Page No.1

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ३] द्वितीय विधान सभा के तृतीय सत्र का तृतीय दिवस [संख्या ३

बुधवार, १२ फरवरी, १९५८

विधान सभा की बैठक म० पू० ११.५ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई

[श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन]

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

भवन निर्माण (सिंचाई विभाग) उनियारा

३६. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा): क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सिंचाई विभाग द्वारा उनियारा में एक विश्राम गृह (रेस्ट हाउस) व ओवरसियर क्वार्टर और कार्यालय का निर्माण कराया जा रहा है ?

(ख) अगर हां, तो कितनी लागत का तथा निर्माण कार्य ठेकेदारी से या अमानी से हो रहा है ?

(ग) उक्त मकानात उनियारा से कितने फासले पर बनवाये जा रहे हैं ?

(घ) क्या ये मकान तैयार हो गये हैं ? यदि नहीं, तो कार्य की प्रगति क्या है ?

उप सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (क) हां।

(ख) विश्राम-गृह की लागत २०,१८८ रु० है और ओवरसियर क्वार्टर की लागत ७८५० रु० है। कार्य श्री जितेन्द्रनाथ ठेकेदार द्वारा निर्माण हो रहे हैं।

(ग) ये मकानात आबादी से दो मील की दूरी पर बनाये गये हैं।

(घ) पूर्ण-रूप से निर्माण नहीं हुए हैं। ओवरसियर क्वार्टर में केवल किवाड़ बनाना शेष है तथा विश्राम गृह करीब आधा पूरा हो चुका है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जब ओवर क्वार्टर तैयार हो गये हैं और और किवाड़ लगाना बाकी है, तब इर्रिगेशन स्टाफ जो उनियारा में रहता है, उनका किराया क्या सरकार देती है ?

श्री भीखाभाई : मैं समझा नहीं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मेरा निवेदन यह है कि आपने फर्माया कि सिर्फ ऑफिस कार्यालय बनना बाकी है और ओवरसियर क्वार्टर्स के किवाड़ लगने बाकी हैं। वे लोग रह रहे हैं आबादी के अन्दर। तो क्या शिफ्ट होने पर उनको वहां शिफ्ट किया जायगा, या पहले शिफ्ट किया जायगा ?

श्री भीखाभाई : कम्प्लीट होने के बाद शिफ्ट किया जा सकेगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जिन बिल्डिंग्स में रहते हैं उनका किराया सरकार देती है या वे देते हैं ?

Page No.2

श्री भीखाभाई : वह प्रश्न अलग से है, उसका जवाब अलग ढंग से दे सकूंगा।

श्री मदनसिंह : आबादी से दो मील दूर बनाने का क्या सिद्धान्त है ?

श्री भीखाभाई : बांध के नजदीक बनाये गये हैं और वे इसलिए बनाये गये हैं ताकि बांध की निगरानी करते रहें।

रावराजा श्री सरदारसिंह : पाल टूट जाय तो मकानों की निगरानी कौन करेगा ?

(हंसी)

अनाज उत्पादन में वृद्धि हेतु किये गये प्रयत्न

४०. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या खाद्य व रसद मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सरकार ने अनाज का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में अब तक क्या क्या प्रयत्न किये और उनका क्या परिणाम रहा ?

(२) खाद्य समस्या को हल करने के लिये सरकार और क्या प्रबन्ध कर रही है ?

(३) क्या यह सच है कि सीमावर्ती तस्कर व्यापार भी हमारे अन्न भाव को बढ़ाने में एक कारण है ?

खाद्य व रसद मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) इस प्रश्न का कृषि विभाग से सम्बन्ध हैं, इसका उत्तर प्रश्न संख्या ६१ में दिया जा सकेगा।

(२) सरकार ने जयपुर, जोधपुर व अजमेर में अनाजों के संग्रहालय स्थापित किये हैं जिनमें १० लाख टन नाज मौजूद है और इस समय कहीं पर भी अभाव होने पर वह अनाज वहां लाया जा सकता है। कमी वाले क्षेत्रों में नाज सस्ती दुकानों के द्वारा जनता में वितरित किया जा रहा है। वर्तमान समय में भिन्न भिन्न जिलों में दुकानें कार्य कर रही हैं, इससे अनाजों के भाव और बढ़ने से रोके जा सके हैं और कीमतों में गिरावट हो रही हैं।

(३) जी हां।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह समाचार गलत है कि सीमा से बहुत अन्न पाकिस्तान को भेजा गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसा कोई समाचार नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सच है कि राजस्थान से खाद्यान्न का बाहर निर्यात होता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : राजस्थान से बाहर वीट (Wheat) नहीं जा सकता है और वीट के अलावा सब नाज जा सकता है, उसके ऊपर पाबन्दी नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : इसका मतलब यह है कि हमारे सामने खाद्य की समस्या नहीं है, अभाव की स्थिति नहीं हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप चाहें तो १ लाख मन नाज बाजार में से खरीद सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : क्या यह सच है कि धोलपुर से गेहूं यू० पी० के लिए जाता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पहले इस बात की शिकायत आई थी, अब उसका प्रबन्ध कर दिया गया है।

Page No.3

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जयपुर संग्रहालय में कितना स्टॉक है ?

श्री अध्यक्ष : पहले एक का उत्तर आने दीजिये।

एक माननीय सदस्य : पहले कब शिकायत आई थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: पहली एसेम्बली के टाइम में शिकायत आई थी।

श्री सतीशचन्द्र: राजस्थान में अन्न का कितना स्टॉक है ?

श्री अध्यक्ष : मध्य भारत भी राजस्थान ज़ोन में है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पहले शिकायत आई थी, अब उसका प्रबन्ध कर दिया गया है।

श्री जनार्दनराय नागर : खाद्य समस्या की पोलिसी है वह सेन्ट्रल गवर्नमेंट से डाइरेक्ट होती है और उन्होंने कानून बना रखा है। खाद्यान्न की कीमतों में जो गिरावट और वृद्धि होती है, उसको आप किस तरह कंट्रोल करते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो नाज मिला है, वही किसी ने नहीं उठाया है।

रावराजा श्री सरदारसिंह: इन गोदामों में कितना नाज होगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : १० लाख टन।

श्री जनार्दनराय नागर : मेरा प्रश्न यह नहीं है। मेरा प्रश्न यह है कि कभी खाद्यान्न की कीमतें गिरती हैं, कभी बढ़ जाती हैं, उनको कन्ट्रोल करने की आपकी कोई नीति है, आपके पास कोई साधन हैं ? मैं यह कहना पर्याप्त नहीं समझता कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट की पोलिसी है उसको राजस्थान सरकार वर्क-आउट करती रहती है। मैं यह निश्चित रूप से जानना चाहता हूं कि राजस्थान में कीमतें कभी बढ़ जाती हैं, कभी घटने लगती हैं, उनके बारे में राजस्थान सरकार के पास कोई साधन हैं या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं अर्ज कर चुका हूं कि जब प्राइसेज़ बढ़ जाती हैं तो सस्ते अनाज की दुकान खोल देते हैं और गिरती हैं तो अनाज खरीद लेते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

वनों की सीमा निर्धारण

४१. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा): क्या वन-मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) वन विभाग द्वारा ग्रामवाइज़ जंगलात की सीमा कहां कहां निर्धारित की गई है ?

(२) क्या सीमा निर्धारण में वन विभाग के अधिकारियों के अतिरिक्त अन्य विभाग के अधिकारियों ने भी सहयोग दिया ? यदि हां, तो कौन कौन उस समय मौजूद थे ?

(३) जहां जहां सीमा निर्धारण कार्य हुआ है उनमें कितने का फैसला फोरेस्ट सैटलमेन्ट ऑफिसर ने किया और अब कितना बाकी है ?

(४) टौंक जिले में तहसील व ग्रामवाइज़ वन विभाग ने कहां कहां सीमा निर्धारित की है।

(५) इस सम्बन्ध में सरकार को कहां कहां से आपत्तियां प्राप्त हुई हैं ?

वन मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) ग्रामवार सीमा कहीं भी निर्धारित नहीं की जाती। वन की सीमा का निर्धारण तो वन खंड के आधार पर ही किया जाता है। वन सीमा का निर्धारण निम्नलिखित वन डिवीजनों में किया गया है :

Page No.4

(श्री नाथूराम मिर्धा)

कोटा, झालावाड़, बारां, टोंक, बूंदी, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाडा व सिरोही ।

(२) सीमा निर्धारण में वन विभागीय अधिकारियों के अतिरिक्त राजस्व विभाग के क्षेत्रिय पटवारी तथा अन्य उच्च अधिकारीगण सामयिक आवश्यकतानुसार वांछित योग देते हैं। राजस्व विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों व कर्मचारियों का, जिन्होंने सहयोग दिया है, नामांकन करना असम्भव है ।

(३) वन बन्दोबस्त अधिकारियों ने १३४४ वर्ग मील वन क्षेत्र के सम्बन्ध में निर्णय दिया है और २४०६ वर्ग मील वन क्षेत्र का सीमा निर्धारण अभी विचाराधीन है ।

(४) ग्राम या तहसीलवार वन सीमा का निर्धारण नहीं होता । टोंक जिले में तहसीलवार निम्न ग्रामों में समीपवर्ती वनों में सीमा निर्धारण हुआ है :

श्री नाथूराम मिर्धा : तहसील टोंक में मैंने नाम दिये हैं सोहेला, कच्चबन्धा विशरास, नदी गिलोद व सेन्दरा ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : डिस्ट्रिक्ट टोंक तहसील उणियारा का मैंने पूछा है....

श्री अध्यक्ष : कोई तहसील रह गई है, यह पूछ रहे हैं । काम हो गया होगा ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : खेतों में पत्थर डाल दिये हैं साहब ।

श्री नाथूराम मिर्धा : तहसील उणियारा की मेरे पास कोई सूचना नहीं है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैंने प्रश्न में टोंक जिले का पूछा था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जिन तहसीलों में काम हुआ है उनका मैंने बता दिया है ।

श्री मदनसिंह : क्या यह सही है कि जिन पहाड़ियों पर एक भी दरख्त नहीं हैं, जो बिलकुल नंगी पहाड़ियां हैं उनको भी वन विभाग में ले लिया गया है ?

नाम तहसील	वनों के समीपवर्ती ग्राम
निवाई	निवाई
टोंक	सोहेला, कच्चबन्धा, विशरास, नदी गिलोद व सेन्दरा ।
मालपुरा	टोरडी, मालपुरा व सिंधोलिया ।
टोडा रायसिंह	टोडा रायसिंह व पटालिया ।
अलीगढ़	देवली व आमली ।
दूनी (देवली)	भीमरावास, कोकरिया, भंवरखोह, इन्डोडा व गोनरी ।

(५) फोरेस्ट एक्ट के अनुसार सरकार के पास कोई आपत्ति नहीं आती ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने फरमाया है उसमें बनेटा और कोड का नाम नहीं दिया और सब का दिया है, तहसील टोंक में ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे स्पेसिफिक तौर से बता दें तो आसानी से मैं प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं, वरना यह बहुत बड़ा प्रश्न है । बहुत सी नंगी पहाड़ियां हैं, उनको ग्रेज़िंग के लिये दो-तीन साल के लिये क्लोज़ कर देते हैं तो वहां दरख्त और झाडियां उग

Page No.5

(श्री नाथूराम मिर्धा)

आती हैं। इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया है कि ३ साल ग्रेज़िंग क्लोज़ रखने के बाद वहां दरख्त उग आते हैं।

श्री मदनसिंह : क्या ऐसे घरों को भी आपने वन विभाग में मिला लिया है जिन में लोग रह रहे हैं ? सरकार की इस बारे में क्या नीति है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा कि सरकार तक तो वे मामले आते ही नहीं हैं, फोरेस्ट सेटलमेंट ओफिसर के पास ही ऐसे मामले जाते हैं, वहीं अपील होती है और वहीं फैसले होते हैं।

श्री मदनसिंह : आपकी इस बारे में क्या नीति है, घरों में रह रहे हैं, आपका नियम है कि नहीं, आपकी नीति क्या है कि उन घरों को भी वन में ले लिया जाय ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आम तौर से वनों में लोग रहते हैं और घरों में रहने से वनों की सीमा में कोई फर्क नहीं आ सकता।

श्री मदनसिंह : आपका क्या विचार है इसके लिये, आपकी नीति क्या है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसमें नीति का सवाल नहीं है, जहां पर वन, सघन वन हैं, उनमें घर आ गये हैं, वन में वह रहने लायक हैं तो वन की सीमा में आएगा और नहीं आने लायक है तो छोड दिया जायगा।

श्री मदनसिंह : तो क्या उनको घर छोड़ने पड़ेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वन में घर आ जाने से सीमा में कोई फर्क नहीं आ सकता। आपको ताज्जुब करने की जरूरत क्या है, गांव के गांव जंगलों के अन्दर बसे हुए हैं, लोग वहां रहते हैं और पीढ़ियों से रहते हैं।

श्री श्रीभानसिंह : जो गांव जंगलों में बसे हुए हैं, जहां वनों की सीमा निर्धारित कर दी गई है, उनकी चराई और फ्युअल के लिये क्या एरेंजमेंट किया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उनके हक हकूकों को सेटलमेंट के रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है।

श्री श्रीभानसिंह : मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या आल्टरनेटिव एरेंजमेंट किया गया है ? क्या होता है यह तो आपको भी मालूम नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे मालूम नहीं हैं तो फिर मुझसे क्या जानना चाहते हैं ?

श्री मदनसिंह : बिलकुल मालूम नहीं और अन्याय हो रहा है, यह जानना चाहते हैं कि यह क्या हो रहा है ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : कहां कहां सीमा निर्धारित की है, मेरे प्रश्न करने का मतलब यह है....

श्री अध्यक्ष : आपने जवाब दे दिया कि आपकी जानकारी में आपकी तहसील में कोई काम नहीं हो रहा है।

रावराजा श्री सरदारसिंह: भाग (५) में मैंने पूछा है कि इस सम्बन्ध में सरकार को कहां कहां आपत्तियां प्राप्त हुई हैं ? इसका जवाब मुझे नहीं मिला है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने अर्ज किया न कि फोरेस्ट एक्ट के अनुसार सरकार के पास कोई आपत्ति नहीं आती।

रावराजा श्री सरदारसिंह : फोरेस्ट एक्ट के माफिक नहीं, पर गलत सीमा निर्धारित की है उसके बारे में आपत्तियां आई हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह सरकार के पास नही आतीं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

सिंचाई योजना

४२. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) डिस्ट्रिक्ट टोंक में छोटी और बड़ी सिंचाई योजना के अन्तर्गत किस किस तहसील में तालाब बनाने की योजना है ?

(ख) उनमें कितनों का काम चल रहा है और किन किन तहसीलों में कब से बन्द पड़ा है और क्यों तथा कब तक शुरू होने की आशा है ?

(ग) क्या यह सही है कि जहां जहां काम बन्द पड़ा है वहां स्टाफ बदस्तूर कायम है ? अगर हां, तो क्या स्टाफ है और वह क्या कर रहा है ? ...

उप सिंचाई मंत्री श्री (भीखाभाई) :

(क) डिस्टिकट टोंक में निम्नलिखित छोटी और बड़ी योजनाएं बन रही हैं :—

तहसील उनियारा में गलवा व गलवानिया।

तहसील देवली में नोगजा तथा तहसील टोंक में दौलत सागर।

गलवा बड़ी योजना है और शेष तीनों छोटी।

(ख) गलवा तथा दौलतसागर का काम चालू है। नोगजा का काम शीघ्र चालू होने वाला है। गलवानियां के बाकी काम के लिये तारीख १०-२-५८ को दुबारा टेन्डर मांगे गये हैं। गलवानिया-बरसात सन् १९५७ में बंध को नुकसान होने के बाद से बन्द पड़ा है। इसके लिए ठेकेदार को नोटिस दिये गये थे कि काम फिर से चालू करें। इसके नहीं करने पर फिर टेन्डर मांगे गये हैं। नोगजा का डिजाइन अब अधीक्षक अभियन्ता से मंजूर हो गया है और जल्दी ही काम जारी होगा।

(ग) जो काम बन्द हैं वहां कोई स्टाफ नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : उनियारा में गलवा का काम कब से चालू होगा ?

श्री भीखाभाई : इसके टेन्डर मांगे गये हैं। गलवा के बारे में टेन्डर मांगे गये हैं, फाइनेन्स में पड़ा हुआ है, स्वीकृति आते ही शुरू कर दिया जायगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मन्त्री जी ने बताया कि स्टाफ नहीं है तो गलवा का पहले स्टाफ था वह बदस्तूर मौजूद है कि नहीं ?

श्री भीखाभाई : नहर का काम चालू है, डेम का काम चालू करने के लिये स्वीकृति आने पर काम चालू किया जायगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : गलवा बांध ही नहीं बंधा तो फिर पानी नहरों में कहां से जायगा, पहले नहर बनती हैं या बांध ?

श्री भीखाभाई : ऐसा है कि बांध भी बनाये जाते हैं और नहरें भी तैयार की जाती हैं। बाद में नहर बनाने से पानी रुक जाता है तो इर्रिगेशन डवलपमेंट में रुकावट आती है।

श्री श्रीभानसिंह : टोंक डिस्ट्रिक्ट में छोटे बांध बनाये हैं, उनसे कितनी लैंड इर्रिगेट करते हैं ?

श्री भीखाभाई : अलग अलग का तो मेरे पास नहीं है । गलवा के बारे में मेरे पास सूचना है, १६००० एकड़ इर्रिगेशन हुआ ।

श्री श्रीभानसिंह : स्माल इर्रिगेशन के बांध बनाये हैं, इनकी बात पूछता हूं ।

श्री अध्यक्ष : That is another question.

श्री श्रीभानसिंह : I am asking for Tonk District.

श्री अध्यक्ष: Even about the Tonk District.

रावराजा श्री सरदारसिंह : कितने अर्से से वह स्टाफ बेकार बैठा है ?

श्री भीखाभाई : मैंने कहा बेकार नहीं बैठा, काम कर रहा है ।

जिला बोर्ड द्वारा औषधि-वितरण

४३. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या स्वायत शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जिला बोर्ड, जयपुर के औषधालयों में दवा का कोटा कम क्यों रखा गया है और यह भी समय पर औषधालयों में क्यों नहीं पहुँचता ?

(ख) बोर्ड द्वारा इस सम्बन्ध में ठीक व्यवस्था कब तक हो सकेगी ?

(ग) बोर्ड के अधीन किन किन कर्मचारियों की टी. ए. की रकम कितने दिनों से कितनी कितनी रुकी हुई है ?

उप स्वायत्त शासन मंत्री (श्री पूनमचंद विश्नोई) : (क) औषधालयों में औषधियों का कोटा रोगी संख्या के अनुपात से ही रखा जाता है और यह कम नहीं है । औषधियों का कोटा निश्चित समय पर ही पहुंच जाता है । जो औषधी तैयार नहीं होती वह बाद में भेज दी जाती है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) बोर्ड के किसी भी कर्मचारी के टी. ए. की कोई रकम रुकी हुई नहीं है ।

श्री प्रभुलाल : दो-तीन महीने तक कोटा औषधालयों को दवाइयां नहीं भेजी जाती हैं इसका क्या कारण है ? लोग कहते हैं कि दवाइयां नहीं आती हैं और आप कहते हैं कि दवाइयां भेज दी जाती हैं ?

श्री पूनमचन्द : मैं कुछ नहीं समझ सका कि आपने क्या कहा ? यदि फिर से फरमावें तो कुछ उत्तर दिया जा सकेगा ।

श्री प्रभुलाल : मैं दौलतपुरा में गया और वहां लोगों ने कहा कि दवाइयां बहुत देरी से आती हैं तो इसका क्या कारण है ?

श्री पूनमचन्द : ऐसी शिकायत हमारे पास नहीं आई, आप सूचना दे रहे हैं तो इसकी पूछताछ की जायगी ।

श्री पी. के. चौधरी : क्या यह सही है कि दवाइयां कम जाती हैं, उनका कोटा कम रखा जाता है । क्या रसायनशाला की केपेसिटी कम है इसलिए कोटा भी उसी तरह से रखा जाता है ?

श्री पूनमचन्द : इसका मैं उत्तर दे चुका कि रोगियों की संख्या के अनुपात से ही रखा जाता है ।

श्री पी. के. चौधरी : क्या रसायनशाला की केपेसिटी है, उसको देखकर उतना ही कोटा फिक्स किया जाता है ?

Page No.8

श्री पूनमचन्द : रोगियों की संख्या को देख कर फिक्स किया जाता है।

एक माननीय सदस्य : "रिंगरण" में कोई दवाई निकली है क्या ?

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

'किसान समाचार' का वितरण

४४. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि हाल ही में कृषि विभाग द्वारा "किसान समाचार" मासिक पत्र छपवा कर तकसीम किया गया था ?

(ख) अगर हां, तो यह किस प्रेस में छपवाया गया तथा इसमें कितना सर्फा हुआ ?

(ग) जिस आशय से यह समाचार-पत्र छपवाया था उसमें कितनी सफलता मिली ?

(घ) क्या इस समाचार-पत्र के वितरण की व्यवस्था कृषि-विभाग से ही है या छपाई करने वाले प्रेस को वितरण का अधिकार है ?

उप कृषि मंत्री (श्री दौलतराम सारण) :
(क) हां।

(ख) राज्य को प्राविधिक सहायता मिशन द्वारा भेंट स्वरूप प्राप्त मशीन पर वे छापे गये थे। इन पर करीब ४०) रु० प्रति अंक व्यय हुआ है।

(ग) किसानों द्वारा जो वैज्ञानिक बातें अथवा कृषि की उन्नति रीतियां सरलता से अपनाई जा सकती हैं, उनको सरल व सर्व-ग्राह्य भाषा में प्रसारित करना ही इस प्रकाशन का उद्देश्य है। अभी यह प्रकाशन प्रारम्भिक अवस्था में प्रयोगात्मक रूप में ही है। इसलिए इसकी सफलता का पूरा मूल्यांकन नहीं हो सका है।

(घ) कृषि विभाग द्वारा ही 'किसान समाचार' की वितरण व्यवस्था है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह किस प्रेस द्वारा छपवाया गया था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : महकमे का खुद का प्रेस है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : किस प्रेस द्वारा बताया ? कुछ सुनाई नहीं पड़ा। जरा आप उसको और पढ़ दीजिये।

श्री दौलतराम : प्रश्न के "ख" भाग में इसका उत्तर दिया है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : सुनाई नहीं पड़ा था, जरा फिर से पढ़ दीजिये।

श्री दौलतराम : (ख) राज्य को प्राविधिक सहायता मिशन द्वारा भेंट स्वरूप प्राप्त मशीन पर ये छापे गये थे। इन पर करीब ४०) रुपया प्रति अंक व्यय हुआ है।

डा० चंद्रकला : क्या ये प्रतियां मुफ्त में बांटी गईं ?

श्री दौलतराम : जी हां।

एक माननीय सदस्य : क्या ये प्रतियां हर डिस्ट्रिक्ट में भेजी गईं ?

श्री दौलतराम : हां, डिस्टिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर और पंचायतों के पास जितना इसका प्रकाशन हुआ है उतनी ही प्रतियां भेजी गईं।

श्री चन्दनमल वैद : क्या ४०) में भेजने का खर्चा भी था ?

Page No.9

श्री दौलतराम : यह तो प्रकाशन का खर्चा है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : माननीय मंत्री जी ने बताया कि पर्चे छपवाये हैं उसमें यह लिखा हुआ है कि "किसान पत्नी की अभिलाषा"। इसके बैक में क्या है वह भी पढ़ दीजिये। कुछ नहीं है।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : क्या अभिलाषा है यह अगले अंक में बतावेंगे।

रावराजा श्री सरदारसिंह : पढ़ कर बता दीजिये, पढ़ा नहीं जाता।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

लाउड-स्पीकरों का दुरुपयोग

४५. **डा० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सच है कि जयपुर शहर में दिन प्रति दिन लाउड-स्पीकरों का दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है?

(२) क्या लाउड-स्पीकरों के उपयोग के लिये पहले से अनुमति लेना आवश्यक नहीं है?

(३) क्या सरकार लाउड-स्पीकरों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई कदम उठाने का विचार कर रही है?

गृहमंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) :
(१) जी नहीं।

(२) रात के बारह बजे तक विवाह एवं बरात में, धार्मिक जुलूस एवं समारोह में, शिक्षा संस्थाओं के उत्सवों में, किसी सरकारी विभाग एवं राज्य सरकार के तत्वाधान में और किसी अधिकृत न्यायालय की आज्ञा के अलावा लाउड-स्पीकरों को काम में लेने के लिए कमिश्नर, म्युनिसीपल बोर्ड की आज्ञा लेना आवश्यक है।

(३) सिटी ऑफ जयपुर म्युनिसिपल एक्ट, १९४३ के अधीन इस सम्बन्ध में बाइ-लॉज़ बने हुए हैं, अतः सरकार द्वारा कोई और और कदम उठाने का प्रश्न नहीं उठता।

डा० चंद्रकला : क्या यह सच नहीं है कि लाउड-स्पीकर रात-रात भर बजते रहते हैं?

श्री रामकिशोर व्यास : कह नहीं सकता।

डा० चंद्रकला : क्या यह सही है कि कीर्तन और भजन के नाम पर भद्दे गाने गाये जाते हैं और रात भर लोगों की नींद खराब की जाती है?

श्री रामकिशोर व्यास : ऐसा है तो बताइये।

डा० चंद्रकला : लेकिन ऐसा कहा गया है कि....

श्री अर्जुनदास : Are the advertisements on loud-speakers permitted freely?

(हंसी)

श्री जनार्दनराय नागर : Louder please

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

निर्वाचन ग्राम पंचायत

४६. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या ग्राम, नगर, तहसील दूनी, डिस्ट्रिक्ट टौंक की ग्राम पंचायत का इलेक्शन

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

तारीख १५. ११. ५७ को किये जाने का निश्चय हो चुका था ?

(ख) क्या सरपंच का भी चुनाव हस्व आदेश कलेक्टर ता० १५. ११. ५७ को ही होना था ?

(ग) क्या यह सही है कि हजारों की संख्या में वोटर्स उक्त चुनाव के लिये इकट्ठे हो गये थे ?

(घ) क्या यह सही है कि स्वायत्त शासन विभाग से सरपंच नोमिनेट कर दिया गया ? अगर हां, तो क्यों ?

(ङ) क्या यह भी सही है कि जिसको सरपंच मुकर्रर किया गया है वह इलेक्शन में हार गया था और उसके खिलाफ मेम्बरों ने अविश्वास भी प्रकट कर दिया था ?

उप स्वायत्त शासन मंत्री (श्री दौलतराम सारण) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) जी हां । पंचायत के नये चुनाव होने तक पंचायत का कार्य सुविधा से चलाने के लिए ऐसा करना आवश्यक समझा गया ।

(ङ) मनोनीत सरपंच श्री श्रीनिवास निर्वाचित नहीं हो सके थे । मनोनीत सरपंच के विरुद्ध नियमानुसार अविश्वास का प्रस्ताव पास नहीं हुआ ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : 'क' पर बताया कि 'जी नहीं' । इसको माने यह हैं कि चुनाव स्थगित नहीं हुए ।

श्री दौलतराम : आपने पंचायतों का चुनाव पूछा है । पंचायत का तो चुनाव नहीं हुआ था किन्तु चुनाव तो सरपंच का था ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : पंचायत का चुनाव हो गया । सरपंच के लिए १५ तारीख निश्चित करके नोटिस लगा चुके थे, वह स्थगित क्यों हुआ ?

श्री दौलतराम : किन्हीं प्रशासनिक कार्यों के कारण रिटर्निंग ऑफिसर नहीं पहुंच सके इसलिए नहीं हो सके ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : १५ के बजाय २८ तारीख निर्धारित होकर नोटिस चस्पा हो चुका था फिर क्यों चुनाव रोक दिये गये ?

श्री दौलतराम: सरपंच सम्मेलन जयपुर में था यह आपको मालूम ही है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : सरपंच-सम्मेलन २ तारीख को था । २८ को इश्तिहार लगा चुके थे और उसके लिए चीफ पंचायत-ऑफिसर ने कलेक्टर को लिख भी दिया था फिर भी स्थगित रखे गये ?

श्री दौलतराम : फरवरी २८ दिन का महीना होता है और २ तारीख को यहां बुलाया जाना था ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जनवरी २८ दिन का महीना नहीं होता है । जनवरी की बात थी फरवरी कहां से आ गई !

(हंसी एवं कोलाहल)

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का स्टेटमेन्ट नहीं दें तो अच्छा है ।

श्री दौलतराम : जनवरी तो ३१ दिन का महीना है, इसीलिए २ तारीख को यहां बुलाया जाना था ।

Page No.11

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपको यदि जनवरी, फरवरी और मार्च का मालूम न हो तो फिर इसके फेक्ट्स भी मालूम नहीं हैं। चीफ पंचायत ऑफिसर का ऑर्डर मौजूद है कि चुनाव करा दिये जांय, बावजूद इसके चुनाव नहीं कराये गये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: चुनाव का ऑर्डर दिया जा चुका है। जल्दी ही हो जावेंगे।

श्री मदनसिंह : पंचायत-सम्मेलन में वे तो आ ही नहीं सकते थे ?

एक माननीय सदस्य : कृपा-पात्र होंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

जयपुर-कोटा बस सर्विस

४७. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या यातायात मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या सरकार जयपुर से कोटा के लिए सीधी बस-सर्विस चलाने का विचार करती है ? यदि हां, तो कब तक तथा अब तक चालू न किये जाने के क्या कारण हैं ?

यातायात मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :

(१) जी हां, किन्तु यह निश्चित नहीं कहा जा सकता है कि कब तक चालू हो जावेगी।

(२) मामला कानूनी मशविरे के लिए विधि विभाग के विचाराधीन है।

डा० चन्द्रकला : निश्चित कहने में क्या कठिनाई है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बताया मैंने आपको कि यह मामला कानूनी मशविरे के लिए विधि विभाग के विचाराधीन है।

डा० चन्द्रकला : कब तक विचाराधीन रहेगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जब तक रहना चाहिए।

श्री लक्ष्मीचन्द : कब से विचाराधीन है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी कुछ दो-तीन महीनों से।

डा० चन्द्रकला : क्या सरकार यह आवश्यकता महसूस नहीं करती है कि कोटा से आने में रेल मार्ग द्वारा जो कठिनाई है उसके कारण जल्दी से जल्दी सीधी बस सर्विस चालू करने का कोई न कोई निश्चय ले ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसका मैंने जवाब दे दिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : टोंक-देवली रोड पर चलने वाली बसेज़ का एक्स्टेन्शन सरकार ने दे दिया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी नहीं।

श्री चन्दनमल बैद : क्या विचाराधीन इसलिये है कि मिसल का पेटा नहीं भरा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसका जवाब '२' में दे दिया गया है ?

श्री पुरुषोत्तमलाल: क्या टेम्परेरी पर्मिट नहीं दिया जा सकता ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

पंचायतों के अपील केस

४८. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) तहसील पंचायत उनियारा और दूनी में सन् १९५५ से १९५७ तक कितनी पंचायतों के अपील केस दायर हुए ?

(ख) उनमें से कितने अब तक फैसले हुये और कितने बाकी हैं।

Page No.12

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

(ग) सन् १९५५-५६ व ५७ में उपरोक्त दोनों पंचायतों की कितनी कितनी तारीख वाईज़ बैठकें हुईं और उनमें कितनी कितनी दफा गण-पूर्ति नहीं हुई ?

(घ) उपरोक्त पंचायतों की सालाना आमदनी और खर्चा क्या क्या है ?

(ङ) तहसील उनियारा के सरपंच और पंचों की क्या क्या योग्यता है ?

उप स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री दौलत राम) : (क) ७३४ अपीलें हुईं।

(ख) ४१८ का निर्णय हो चुका, ३१६ का निर्णय होना बाकी है ।

(ग) १७६ बैठकें हुईं जिनमें से ५८ में गणपूर्ति नहीं हुई ।

(घ) आय और व्यय का ब्योरा निम्न है: दूणी तहसील की आय १,८८३ रुपया है और व्यय १,५५७ रु० तहसील उणियारा १,९५६ और व्यय १४६० है ।

सरपंच हिन्दी पढ़े लिखे हैं और यही योग्यता पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक है कि उप-सरपंच भी हिन्दी पढ़ा-लिखा होना चाहिये ।

श्री मदनसिंह: ऐसे सरपंच जो न हिन्दी लिख सकते और न पढ़ सकते हैं और न दस्तखत ही कर सकते हैं उनका क्या हाल है ?

श्री किशलाल शाह: क्या नये पंचों के लिये हिन्दी का ज्ञान आवश्यक नहीं है ?

श्री अर्जनदास: It is not necessary that even a Minister should be educated, what to say about panch or Sarpanch.

रावराजा श्री सरदारसिंह : गणपूर्ति किस वजह से नहीं हुई और कौन कौन पंच किस किस बैठक में उपस्थित नहीं थे ?

श्री दौलतराम : यह अलग से प्रश्न पूछिये ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जो पंच पांच बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसको पंचायत से हटा देना चाहिये ।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो रूल के मुताबिक पंचायतें कर सकती हैं ।

यातायात व आवागमन की समुचित व्यवस्था

४९. **डा० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या गृह मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि दूकानदारों व ठेलेवालों द्वारा जयपुर शहर की चौड़ी सड़कों का दुरुपयोग किया जाता है जिससे आवागमन में रुकावट पैदा हो जाती है ?

(ख) यदि हां, तो सड़कों और रास्तों पर आवागमन में किसी प्रकार की रुकावट न हो इसके लिए सरकार क्या प्रबन्ध करने का विचार रखती है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी हां ।

(ख) सब्जी, फल एवं चाट बेचने वाले अपना सामान बेचने के लिये सड़क का कुछ भाग घेर लेते हैं ।

(ग) अलग से स्टेन्ड बनवाने, थड़ियों को हटाने और चान्दपोल, रामगंज तथा जौहरी बाजार से नाज और सब्जी मन्डियां दूसरे स्थान पर हटाने का प्रश्न म्युनिसिपल बोर्ड के अधिकारियों के विचाराधीन है ।

Page No.13

डा० चन्द्रकला: विचार जो कर रही है, उसको कार्यान्वित कब किया जायगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसके लिये समय निर्धारित नहीं किया जा सकता।

डा० चन्द्रकला : लेकिन जो दुर्घटनायें इसके कारण होती हैं उसके लिये क्या उपाय किये हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : उनको रोकने का प्रयत्न किया जाता है।

बिजली घरों की स्थापना

५०. **श्री हज़ारीलाल** (केकड़ी) : क्या मन्त्री विद्युत विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या सरकार का केकड़ी व देवली जिला अजमेर में बिजलीघर बनाने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

उप विद्युत मन्त्री (श्री भीखाभाई) : जी हां। केकड़ी का काम सम्भवत: १९५९ के प्रारम्भ तक समाप्त हो जायेगा। देवली का पुराना पॉवर हाउस केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग, नई दिल्ली के अधिकार में है। उसके लेने के विषय में लिखा पढ़ी चल रही है।

श्री हजारीलाल : माननीय मन्त्री बतायेंगे कि यह काम कब तक शुरु हो जायगा ?

श्री भीखाभाई : डीजल इन्जिन केनेडियन प्रोग्राम के तहत मार्च के महीने में आने की उम्मीद है, उनके आने पर काम शीघ्र शुरू होजायगा।

सिटी बस सर्विस, जयपुर

५१. **डा० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या यातायात मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) जयपुर शहर के कितने और कौन कौन से रूट पर सिटी बस सर्विस चालू हैं ?

(२) शहर के दूसरे रास्तों पर सिटी बस सर्विस अब तक न चालू होने के क्या कारण हैं ?

(३) क्या सरकार कुछ और रास्तों पर सिटी बस सर्विस चालू करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कहां कहां और कब तक ?

यातायात मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा): निम्न लिखित मार्गों पर :

(१) मानक चौक-सांगानेरी गेट एडवर्ड मेमोरियल-सवाई मानसिंह अस्पताल।

(२) सांगानेरी गेट, आदर्शनगर, युनिवर्सिटी कोर्नर, रामबाग कोर्नर, गांधीनगर।

(३) माणक चौक, चांदपोल दरवाजा, रेल्वे स्टेशन।

(४) चांदपोल-झोटवाड़ा

अन्य मार्गों पर बस सर्विस चालू करने के लिये जनता की ओर से कोई प्रार्थना-पत्र नहीं आये और न किसी ने परमिट के लिये प्रार्थना-पत्र ही दाखिल किये। जबतक जनता की ओर से प्रार्थना-पत्र नहीं आते तब तक ऐसा प्रश्न नहीं उठता।

डा चन्द्रकला : जिन मार्गों पर बस चल रही हैं क्या उन सब के लिये जनता की ओर से मांग आयी थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां।

श्री मदनसिंह : जनता की ओर से यदि मांग न आए तो क्या सरकार का यह कर्तव्य नहीं कि जनता के फायदे के लिये बस सर्विस चालू की जाय ?

Page No.14

श्री नाथूराम मिर्धा : आप तो समझदार आदमी हैं, आपको पता होना चाहिये कि यह सरकार का काम नहीं है, यह तो आर० टी० ओ० करते हैं। यह क्वाज़ी जुडिशियल बोडी है।

श्री मदनसिंह : उनकी छाती पर भी तो आप ही बिराजे हुए हैं ? क्या सेंक्शन की आवश्यकता नहीं रहती ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सेंक्शन की आवश्यकता नहीं।

डा० चन्द्रकला : जहां जनता को असुविधा हो, उसको दूर करने का कार्य सरकार का नहीं है क्या ? जहां इस प्रकार की सुविधायें न हों उन सुविधाओं की व्यवस्था करना सरकार का कर्तव्य नहीं है क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जहां तक पर्मिट देना और कौन सा रूट खोलना है यह सब काम आर० टी० ओ० का है, सरकार से इसका कोई सम्बन्ध नहीं।

विद्युत व्यवस्था, केकड़ी

५२. **श्री हज़ारीलाल बाकोलिया** (केकड़ी): क्या विद्युत मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केकड़ी नगर में बिजली की लाइन डाली जा रही है ? यदि हां, तो कब से ?

(ख) उक्त कार्य कब तक पूरा हो जाना चाहिये था तथा अब कब तक यह कार्यान्वित हो जायेगा ?

उप विद्युत मन्त्री (श्री भीखाभाई) : यह भी प्रश्न पहले जैसा ही है जिसका मैं उत्तर दे चुका हूं।

(क) अभी सामान इकट्ठा किया जा रहा है, लाइन डालने का काम शुरू नहीं हुआ है।

(ख) यह कार्य द्वितीय पंच वर्षीय योजना की समाप्ति तक हो जाना चाहिये। आशा है १९५९ के शुरू तक यह काम पूरा हो जायगा।

श्री हज़ारीलाल : क्या यह सही है कि केकड़ी के लिये जो इन्जिन आया था वह दूसरी जगह भेज दिया गया है ?

श्री भीखाभाई : केनेडियन प्रोग्राम की तहत डी० जी० एस० टी० की मारफत एन्जिनों के लिये आदेश दिये जा चुके हैं जो मार्च तक आ जायेंगे, तब काम शुरू हो जायगा।

सहकारी केन्द्रीय फेडरेशन, नागौर

५३. **श्री वेनाराम गहलोत** (खारची) : क्या मंत्री, सहकारी विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सहकारी केन्द्रीय फेडरेशन, नागौर, में कितने हजार का एम्बेज़लमेंट है ?

(२) उक्त एम्बेज़लमेंट को हुए कितना समय हुआ है और क्या इसकी इन्क्वायरी हो चुकी है ?

(३) अब यह केस किस स्टेज पर है और सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उप सहकारी मंत्री (श्री दौलतराम) : (१) ८,४४३ रुपया।

(भाषण अनुमोदित होकर प्राप्त नहीं हुआ)

श्री मोहब्बतसिंह : यह जांच कब शुरू हुई और कब समाप्त हुई ?

श्री दौलतराम : २६–७–५४ को इसका पता चला था, उसी समय इसकी जांच के

(श्री दौलतराम)

लिये श्री रामनाथ कोल को नियुक्त किया था । उनकी ज़ांच रिपोर्ट आने के बाद ऑडिट करवाया गया । फिर जैसा कि मैंने प्रश्नोत्तर में बताया, श्री लालसिंहजी को सौंपा गया ।

श्री मोहब्बतसिंह : जांच खत्म होने की हम तिथि चाहते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : जिन लोगों ने एम्बेजलमेन्ट किया क्या यह सही है कि उनको गिरफ्तार नहीं किया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा (सहकारी मंत्री) : इन दोनों लोगों को सस्पेन्ड कर दिया गया है और काफी अर्से से सस्पेन्ड हैं, यह बात जरूर है कि दो-तीन ऑफिसर्स द्वारा इसकी इन्क्वायरी करवाई गई, उन तीनों की रिपोर्ट में भिन्नता है, इसलिए सही रूप से परिणाम निकाल नहीं पाये हैं। अब हमने उसको चार्जशीट दे दिया है और कमिश्नर को इन्क्वायरी का काम सौंप दिया है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिन ऑफिशियल्स के खिलाफ प्राइमाफेसी केस बन चुका है, उसके बनने के बाद भी पुलिस में यह केस रजिस्टर नहीं करवाया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पुलिस में यह केस रजिस्टर किया जा चुका है और डिपार्टमेन्टल जांच भी करवायी जा रही है ।

श्री मदनसिंह : पुलिस जब केस की जांच कर रही है तो डिपार्टमेन्टल जांच की क्या आवश्यकता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : दोनों एक साथ चल सकते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस डिपार्टमेन्ट की ओर से पुलिस क्या कार्यवाही कर रही है उसकी जानकारी का पता नहीं किया जा रहा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पुलिस की रिपोर्ट आती रहती है ।

श्री मोहब्बतसिंह : पुलिस में यह किस स्टेज पर है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी इस वक्त मैं बता नहीं सकता, इसके लिये अलग से प्रश्न पूछिये ।

श्री मोहब्बतसिंह : इस व्यक्ति को सस्पेन्ट कब किया गया ?

श्री दौलतराम : १७।१।५७.

श्री मोहब्बतसिंह : इसकी जांच कब शुरू हुई ।

श्री दौलतराम : यह पहले बता चुका हूँ ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि फेडरेशन वर्किंग कमेटी में माननीय मंत्री स्वयं भी हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह गलत सूचना आपको मिली है ।

श्री भैरोंसिंह : आप हैं या नहीं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : कतई नहीं ।

श्री अर्जुनदास : पुलिस में यह कब रजिस्टर हुआ ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

जल बोर्ड

५४. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : (जौहरी-बाजार, जयपुर) :—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान ग्राम जल बोर्ड की कितनी मोटर गाड़ियां कहां किस किस के पास हैं ?

Page No.16

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(२) उक्त बोर्ड के जिला संयोजक या मंत्री कौन कौन थे तथा प्रत्येक को क्या वेतन दिया जाता था और कब से ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(३) क्या जिला मंत्री किन्हीं सामाजिक या राजनैतिक संस्थाओं से सम्बन्ध रखते थे ? यदि हां, तो किस किस संस्था से ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) :

(१) राजस्थान जल-बोर्ड के पास कुल २६ मोटर गाड़ियां थीं। अब चूंकि बोर्ड आगे नई योजनायें अपने हाथ में नहीं ले रहा है इसलिये उनमें से अधिकांश गाड़ियां बेची जा चुकी हैं। अब केवल दस जीप गाड़ियां हैं जो कि बिक्री के लिए लगा रखी हैं।

(२) जिला मंत्रियों की सूची इसके साथ संलग्न है। चूंकि मंत्री पदों पर प्रायः सार्वजनिक कार्यों में रुचि रखने वाले व्यक्ति ही थे उनको स्वेच्छा से १०० रुपये से २०० रुपये माहवार तक, आवश्यकतानुसार, ओनरेरियम के रूप में दिया जाता था और कुछ लोग अवैतनिक भी काम करते थे।

(३) मंत्रियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा ऐसा कोई बन्धन नहीं था, जो भी व्यक्ति उपयुक्त हो और जिसे भी बोर्ड उपयुक्त समझे उसी को जिले का कार्य-भार सौंपा गया था।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह जो दस गाडियां आपने बिक्री के लिए रखी हैं किस ऑक्शन हाउस में रखी हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हैड ऑफिस में हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो गाडियां बेची गई, क्या वे ऑक्शन से बेची गई या ऐसे ही दे दी गई ?

श्री अर्जुनदास : मर्जीदानों को दे दी गई होंगी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इनके प्राइस फिक्स्ड हैं उसी के मुताबिक बेची गई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या हाइएस्ट प्राइस पर बेची गई या मनचाही कीमतों पर दे दी गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसके लिए एक कमेटी बना रखी है और बोर्ड को भी अधिकार है कि वह किसी भी कीमत पर बेच सकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या आपने एग्ज़ामिन करके देखा है कि इससे ज्यादा कीमत आ नहीं सकती ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमने इस बारे में एक मेकेनिक को, जो इसमें डील करता है, उससे, सलाह ली और उसने जो प्राइस फिक्स की उसी पर दी गई। इसके अलावा जो भी व्यक्ति वहां आते थे उनको कहा जाता था कि ये गाड़ियां बिकने वाली हैं, अतः जिसने ज्यादा बोली दी उसको दे दी गई।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : यह बेची हुई मोटरों का रुपया सरकार में जमा हो चुका है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सरकार के पास नहीं है, सरकार का यह रुपया नहीं है न मोटरें ही सरकार की थीं। बोर्ड की थीं और रुपया उसी के पास है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अगर सरकार उनको कम्पीटीशन करके बेचती और ज्यादा रकम आती तो क्या नुकसान था ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

जवाई बांध

५५ श्री बेनाराम गहलोत (खारची): क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) जवाई बान्ध में कुल कितनी धनराशि व्यय हुई ?

(२) इसमें कुल कितना पानी इकट्ठा होता है और मोरी को पूरा खोल देने के बाद कितना पानी अन्दर रह जाता है ?

(३) क्या यह सत्य है कि इसकी मोरी ज्यादा ऊंची होने की वजह से पानी ज्यादा अन्दर रह जाता है ?

(४) इस बन्ध से सालाना कितने एकड़ भमि की सिंचाई होती है ?

उप सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (क) जंवाई बांध में ता० १-२-५८ तक २,४४ ४६,४३१) रु० खर्च हुए हैं।

(ख) इसमें एक दशमलव छः (१·६) लाख एकड़ फीट पानी इकट्टा होता है और मोरी को पूरा खोल देने के बाद में ११,५०० फीट एकड़ पानी रह जाता है।

(ग) शुरू में यह नहर हाईड्रो इलैक्ट्रिक सिटी पॉवर हाउस को मद्दे नजर रखते हुए डिज़ाइन हुई थी, कालीया पहाड़ पर एक दूसरा पॉवर हाउस बनाने का था इसलिये यह जरूरी था कि नहर का लेवल एसे लेवल पर रक्खा जाय जिसमें ज्यादा "हेड" मिले।

(घ) इस पानी से ज्यादा से ज्यादा ६५,००० एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकती है। सालाना औसत सिंचाई ४६,००० एकड़ अनुमान की जाती है।

श्री बेनाराम गहलोत : पानी अन्दर ज्यादा रक्खे जाने का क्या कारण है ?

श्री भीखाभाई : मैंने कहा कि खाली तो रहता ही नहीं, दसवां भाग रहता है। १·६ लाख एकड़ फीट में से केवले ११,५०० फीट रहता है। पहले जब लेवलिंग हुआ था तब इसी दृष्टि से बनाया गया था। जोधपुर सरकार ने इसकी शुरुआत की थी और राजस्थान सरकार ने इसे पूरा किया।

डकैतियां व चोरियां, पाली

५६. श्री बेनाराम गहलोत (खारची) : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) पाली जिले में पिछले पांच साल में कितनी डकैतियां व चौरियां हुई ?

(२) उक्त डकैतियां कब व कहां कहां पर हुई ?

(३) उक्त डकैतियों में से कितनी डकैतियां तथा चोरियां पकड़ी गई ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) १९५३ से १९५७ तक:—२२ डकैतियां और १९२३ चोरियां।

(२) देवली में १७-२-५३ को
बस्सी में २१-२-५३ को
लालपुरा में २७-२-५३ को
पावा में ३-५-५३ को
भट्टन में ११-६-५३ को
कुमारिया में २१-६-५३ को
मंढा में २२-८-५३ को
बन्ता में २४-६-५३ को।

(श्री रामकिशोर व्यास)

१६५४

मुन्डारा में ३-१-५४ को

खारडी में ६-२-५४ को

नादोल में ३१-३-५४ को

गिरी में ११-८-५४ को

बेडाल में २२-८-५४ को

दूदोर में १२-१०-५४ को

१६५५

रामपुरा में १४-७-५५ को

रदवास में २६-२-५५ को

रेल्वे स्टेशन रणवास में १-११-५५ को

१६५६

असरलाई में १८-१-५६ को

बोपारी में ३-६-५६ को

कन्टालिया में २१-४-५६ को

कोलपुरा में १३-६-५६ को

१६५७

पिलवानी में १५-४-५७ को

(३) १५ डकैतियां और ८१८ चोरियां।

श्री मूलचन्द डागा : कितनी कीमत का माल चोरी गया और कितना बरामद हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह सवाल नहीं था।

श्री बेनाराम गहलोत : इन डकैतियों के बारे में स्पोट पर जाकर कोई इन्क्वायरी की गई।

श्री रामकिशोर व्यास : यह अलग सवाल है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

जमीन पर अनधिकारपूर्ण अधिवास

५७. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या बनीपार्क स्थित लेबर एसोसियेशन की ओर से लेबर कोलोनी से मिली हुई आइस फैक्ट्री के पीछे की जमीन के लिये फरवरी सन् १६५६ से मई सन् '५६ तक कोई दरख्वास्तें दी गई थीं ? यदि हां, तो कितनी और उन पर जयपुर नगर विकास मण्डल की ओर से क्या कार्यवाही की गई ?

(२) क्या सिन्धी सोसाइटी ने बनीपार्क स्थित लेबर कोलोनी पर कब्जा कर लिया है ? क्या इस सम्बन्ध में कोई डेपूटेशन सरकार या जयपुर विकास मण्डल के अधिकारियों से मिला ?

(३) सिन्धी सोसाइटी को बनीपार्क में कितनी भूमि का एलॉटमेंट ऑर्डर दिया गया है और इस समय उसके पास कितनी भूमि का कब्जा है ?

(४) क्या जयपुर नगर विकास मण्डल की ओर से राज्य सरकार को यह लिखा गया कि सिन्धी सोसाइटी ने उक्त जमीन पर अनधिकारपूर्ण अधिवास कर लिया है ?

(५) क्या यह सत्य है कि सिन्धी सोसाइटी को बनीपार्क में यह२५.७५एकड़ जमीन १,३७,००० में दी गई ? उसमें से कितने रुपये का भुगतान सिन्धी सोसाइटी की ओर से किया गया है तथा शेष रकम की वसूली के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वायत शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): (१) इस प्रकार की शिकायत नगर विकास मण्डल के पास कुछ व्यक्तियों द्वारा अवश्य पेश की गई थी। बनीपार्क योजना का

Page No.19

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

नक्शा देखने से मालूम हुआ कि यह भूमि सिन्धी सोसाइटी को दी हुई थी। इसलिये तुरन्त कोई कार्यवाही सम्भव नहीं थी।

(२) जी नहीं, कुछ व्यक्तियों ने मिलकर एक दरख्वास्त अवश्य दी थी जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है।

(३) सिन्धी सोसाइटी को सरकार द्वारा २५.७५ एकड़ भूमि दी गई थी पर डिमार्केशन करते समय इस क्षेत्र में अनुमानतः ३३ एकड़ भूमि आई। अतिरिक्त भूमि के संबंध में सिन्धी सोसाइटी से वापिस लेने या उन्हीं को दिये जाने की कार्यवाही चल रही है।

(४) जी नहीं।

(५) सिन्धी सोसाइटी को २५.७५ एकड़ भूमि १,६४,१५६) नजराने पर दी गई थी, जिसमें से केवल २५,०००) का भुगतान हुआ है। शेष की वसूली के लिये पत्र-व्यवहार चल रहा है। १,३३,०००) रुपया सरकार की ओर से दिया गया है और वह डेवलपमेन्ट में खर्च किया जा रहा है, जिसका एडजेस्टमेन्ट शीघ्र कर लिया जावेगा।

प्रश्न संख्या ४८

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री बेनाराम।

सेन्ट्रल कोऑपरेटिव फेडरेशन, जोधपुर

४६. श्री बेनाराम गहलोत (खारची) : क्या मन्त्री सहकारी विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) जोधपुर सेन्ट्रल कोआपरेटिव फेडरेशन की स्थापना कब हुई ?

(२) उक्त फेडरेशन का क्या शेयर केपिटल है तथा कितना मुनाफा है ?

(३) उपरोक्त फेडरेशन कितने साल से बन्द पड़ा है और इसके क्या कारण हैं ?

(४) उक्त फेडरेशन के कुल कितने सदस्य हैं और उनमें से कितने सदस्यों ने अपने शेयरों की रकम वापिस लेने के लिए मांग की है ?

(५) क्या यह सत्य है कि उनके शेयरों की रकम लौटा दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप सहकारी मन्त्री (श्री दौलतराम सारण) : (१) दिनांक ५-५-५१ को।

(२) दिनांक ३०-६-५७ को हिस्सा पूंजी ८३२२.५० न० पै० और मुनाफा १५१.६३ न० पै०।

(३) लगभग तीन साल से। इस फेडरेशन की स्थापना कन्ट्रोल के समय में नियंत्रित वस्तुओं की बिक्री के हेतु की गई थी और जब से कन्ट्रोल उठाया गया है इसका कार्य स्वतः ही बन्द हो गया है और दूसरे कार्य प्रारम्भ नहीं किये गये।

(४) ३४ सहकारी समितियां और लगभग समस्त ने अपने हिस्सों की रकम वापिस प्राप्त करने की मांग की है।

(५) अभी नहीं। २५-१-५८ को नियमानुसार रकम लौटाने के आदेश दिये जा चुके है।

श्री बेनाराम : रकम लौटा दी गई है या नहीं ?

श्री दौलतराम : आदेश दिये जा चुके हैं।

Page No.20

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

इन्जीनियर्स की नियुक्तियां

६०. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट): क्या विद्युत मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) गत वर्ष कोटा डिविज़न में पॉवर हाउस के कितने जूनियर असिस्टेन्ट इन्जीनियर को इन्जीनियर बनाया गया ?

(२) क्या इनकी नियुक्तियों के कारण सीनियर तथा क्वालिफाइड उम्मीदवार इन्जीनियर, प्रमोशन पाने से महरूम रख दिये गये ?

(३) क्या इस वर्ष भी कोटा डिविज़न में बिना सीनियरिटी का ध्यान रखे ही इन्जीनियरों की नियुक्तियां की जारही हैं ?

(४) क्या जयपुर डिविज़न के पॉवर हाउसों में भी बिना सीनियरिटी का ध्यान रखे ही नियुक्तियां की गई हैं ?

(५) कोटा डिविज़न व जयपुर डिविज़न में कितने साल पुराने असिस्टेन्ट इन्जीनियरों को इस वर्ष इन्जीनियर बनाया जा रहा है ?

उप विद्युत मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) जूनियर असिस्टेन्ट इन्जीनियर का कोई पद विद्युत विभाग में नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, न तो इनका जवाब सुनाई दे रहा है और न समझ में ही आ रहा है ।

श्री भीखाभाई : अब सुन लीजियेगा ।

श्री भैरोंसिंह : अब सुनने से मतलब नहीं है सारा हाउस ही नहीं सुन रहा है और न समझ रहा है ।

(सदन में कुछ आवाजें)

श्री अध्यक्ष : आप थोड़ा धैर्य से सुनें ।

श्री भैरोंसिंह : वे ऐसा समझ रहे हैं कि बहुत ठीक बोल रहा हूं, पर हम न तो ठीक से सुन रहे हैं, न समझ रहे हैं कि वे क्या कह गये ।

श्री अध्यक्ष : आप धीरज रखिये; सब सुन लेंगे । (उप मन्त्री महोदय से) आप फिर से जवाब दे दीजिये ।

श्री अर्जुनदास : Probably the Hon'ble Dy. Minister is deliberately speaking slowly. so that none can follow him and put a supplementary question.

श्री अध्यक्ष : But at least deliberately you should not try not to listen.

श्री भीखाभाई : I am not deliberately speaking slowly. I will try to speak as clearey as possible.

श्री सतीशचन्द्र : And as loudly also ..

श्री भीखाभाई : (२) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(३) जी नहीं । इन्जीनियरों की सीनियरिटी डिविज़न वाइज़ न होकर स्टेट बेसिस पर होती है और प्रोमोशन के रूल्स हैं जिनके आधार पर प्रोमोशन दिये जाते हैं ।

(४) इसका उत्तर प्रश्न नम्बर ३ में दिया जा चुका है ।

(५) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

अनाज की उपज बढ़ाने की व्यवस्था

६१. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) : क्या कृषि मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या द्वितीय पंच वर्षीय योजना की सफलता अनाज की उपज बढ़ाने पर भी निर्भर है ?

(ख) यदि हां, तो सरकार ने अनाज की उपज बढ़ाने के लिये अब तक क्या क्या किया है ?

(ग) १९५५-५६ और ५६-५७ में कितनी बंजर भूमि काश्त योग्य बनाई गई ? जिला जयपुर में किस किस तहसील में कितनी कितनी भूमि काश्त योग्य बनाई गई है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(घ) सरकार ने कितने रुपये तकावी में बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए दिये हैं ? किस जिले को और किस तहसील को सबसे अधिक दिया गया है ?

(ङ) क्या जिस तहसील और जिले को अधिक तकावी दी गई है उसमें अधिक बंजर जमीन उपजाऊ बनाई गई है ? यदि नहीं, तो फिर अधिक रुपये क्यों दिये गये ? यदि हाँ, तो जिला जयपुर में किस किस को कितनी कितनी जमीन और कितनी कितनी तकावी दी है और कितनी जमीन उपजाऊ बनाई है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उप कृषि मन्त्री (श्री दौलतराम सारण) : (क) हां, कृषि उत्पादन में वृद्धि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की आधार शिला है।

(ख) सन् १९५६-५७ व १९५७-५८ में अन्य उत्पादन बढ़ाने के लिये जो कार्य हुए उसकी तालिका संलग्न है।

(ग) सन् १९५५-५६ में १७५०० एकड़ व १९५६-५७ में २३,००० एकड़ बंजर भूमि काश्त योग्य बनाई गई। तहसीलवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हो सके।

(घ) बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिये कोई तकावी नहीं दी गई।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

डा० चन्द्रकला : यदि भाग 'ख' की तालिका बहुत बड़ी न हो तो पढ़ कर सुना दीजिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : (कृषि मंत्री) सारा प्लान ही आ गया है इसमें तो।

श्री दलपतसिंह: सोइल का पूरा एक्सपेरीमेन्ट भी किया जाता है या नहीं बीज-वितरण से पहले ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं समझा नहीं आपका प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : बीज–वितरण करने से पहले जमीन के अनेलिसिस से ही आपका मतलब है न ?

श्री दलपतसिंह : जी हां।

श्री अध्यक्ष : वे पूछते हैं कि बीज-वितरण करने से पहले वहां की जमीन का अनेलिसिस कर लिया जाता है या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बहुत से जिलों में यह कराया जा चुका है और बहुत से जिलों में कराया जा रहा है।

श्री दलपतसिंह: सिरोही जिले में आपने कहीं सोइल को टेस्ट करवाया है या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सिरोही के बांध अभी बने हैं। इसके लिये एक लेबोरेटरी जोधपुर में स्थापित की गई है। वहां भी अनेलिसिस कराया जावेगा।

श्री भैरोंसिंह : मोटागांव की धरती का टेस्ट हुआ या नहीं?

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : उपज भी हो गई है।

(अट्टाहास)

इन्चार्ज विद्युत विभाग, दौसा के विरुद्ध आवेदन

६२. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या विद्युत मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सच है कि दौसा की जनता में वहां के बिजली विभाग के इन्चार्ज की व्यवस्था एवं व्यवहार से तीव्र असन्तोष है?

(२) क्या जनता द्वारा इन्चार्ज की कई दफा शिकायतें की गई?

(३) इस सम्बन्ध में सरकार के पास कितनी शिकायतें की गई तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई?

उप विद्युत–मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (१) कुछ शिकायतें इस प्रकार की आई थीं कि इन्चार्ज दौसा बिजली का दुरुपयोग करते हैं।

(२) चन्द सज्जनों ने एसी शिकायत की थी।

(३) दो व्यक्तियों नें शिकायत की थी। उप मुख्य अभियन्ता विद्युत विभाग ने मौके पर जाकर शिकायत करने वाले के सामने जांच की और शिकायत को गलत पाया।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

पशुओं के लिये अच्छे चारे की व्यवस्था

६३. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली): क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) अच्छी क्वाल्टी का चारा राजस्थान में कितने प्रतिशत मवेशियों को पेट भर मिलता है?

(२) क्या दूध देने वाले पशुओं को हरा चारा सुगमता से मिल सके ऐसी कोई योजना सरकार के पास है?

(३) यदि हां, तो क्या?

उप कृषि मन्त्री (श्री दौलतराम सारण): (१) वांछित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(२) अभी सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं है।

(३) इसकी आवश्यकता समझी जाती है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जब आवश्यकता समझी जाती है तो क्या सरकार इस प्रकार की कोई योजना बनाने वाली है जिससे यह काम पूरा हो सके?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : आपने अभी कहा कि ऐसी योजना वांछित है, तो क्या सरकार की कोई योजना है इस काम को पूरा करने के लिए है?

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : अब योजनायें तो बहुत चली हुई हैं और बहुत सी योजनायें बाकी हैं और नई योजनाओं के लिए ज्यों ज्यों धन और टेक्नीकल आदमियों की उपलब्धि होगी चालू होंगी।

डा० चन्द्रकला : इस सम्बन्ध में योजना बन चुकी है या बनना बाकी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : किस सम्बन्ध में ?

डा० चन्द्रकला : दूध देने वाले पशुओं को सुगमता से हरा चारा मिल सके, इस सम्बन्ध में योजना बन चुकी है या बनना बाकी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पशुओं को हरा चारा मिल सके, इसके लिए तो जहां होता है वहां तो पशुओं को हरा चारा मिलता ही है और जहां कुए हैं, वहां भी हरा चारा मिलता है और जहां चारा पैदा नहीं, जहां पानी भी नहीं है वहां तो लोगों को अपना ही प्रबन्ध करना होता है ।

डा० चन्द्रकला : तो अभी जैसा उपमंत्री महोदय ने कहा कि इसकी आवश्यकता समझी जाती है, तो इसका क्या मतलब है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हरा चारा मिलने की आवश्यकता तो समझी जाती है कि पशुओं को अच्छा चारा मिल सके ।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द ।

जवाई केनाल से पानी का न दिया जाना

६४. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या सिंचाई-मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या तहसील आहोर, जिला जालोर के गुडा बालोता गांव को जवाई केनाल से जो पानी की काश्त के लिए दिया जाता था वह दो माह हुए बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) पानी बन्द होने के कारण किसानों को जो क्षति हुई है उसका उत्तरदायित्व किस पर है ?

(३) क्या यह सत्य है कि इन्जिनियर, तख्तगढ़ द्वारा गत वर्ष भी नहर का पानी बन्द कर दिया गया था ?

(४) क्या इन अधिकारियों के खिलाफ सरकार के पास कोई शिकायतें आई हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

उप सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) :

(१) गांव गुड़ा बालोता, तहसील आहोर, जिला जालोर को जवाई नहर से पानी गये साल दिया गया था और इस साल भी दिया गया है । पानी बन्द नहीं किया गया है ।

(२) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

(३) यह सही नहीं है ।

(४) अधिकारियों के खिलाफ ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है, इसलिए निर्णय का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री लक्ष्मीचन्द : गई साल भी पानी बन्द कर दिया था और इस साल भी बन्द कर दिया, यह इत्तिला में आपको दे रहा हूं और सही है ।

श्री भीखाभाई : मेरे पास जो सूचना आई है वह सरकारी सूचना है और उसी के मुताल्लिक मैं यह जवाब दे रहा हूं ।

श्री लक्ष्मीचन्द : इसके मुताल्लिक क्या जनता की ओर से सरकार के पास कोई रिप्रेज़न्टेशन आया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि इससे जो नुकसान हुआ है उसकी दोषी सरकार है ?

श्री भीखाभाई : ऐसा कोई रिप्रेज़ेन्टेशन सरकार के पास नहीं आया है इसलिए नहीं कहा जा सकता कि सरकार इसके लिए दोषी है ।

Page No.24

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि वहां पानी देना बन्द हुआ या नहीं ?

श्री भीखाभाई : हमारे पास जो सूचना है उसके मुताबिक ही मैं जवाब दे रहा हूं कि कोई पानी देना बन्द नहीं हुआ, हां, फिर भी..

श्री लक्ष्मीचन्द : हम जो जनता के प्रतिनिधि हैं और हमारे पास जो सूचना है उसी के मुताबिक हम कह रहे हैं।

श्री रामकिशोर व्यास (सिंचाई मन्त्री): आपने जो सूचना ती है और सरकार की ओर से जो सूचना दी गई है इन दोनों की जांच करवा ली जायेगी कि कौन सी सूचना सच है।

श्री अध्यक्ष :नेक्स्ट।

पशु चिकित्सालय

६५. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या लालसोट का मवेशी अस्पताल किराये के छोटे मकान में ठीक तरह चलता है ?

(२) यदि नहीं, तो सरकार दूसरा अस्पताल क्यों नहीं बना देती ?

(३) क्या यह अस्पताल ठीक स्थान पर है तथा इसके कोने में होने के कारण तंग गलियों में रहने वाले बाल बच्चों को खतरा नहीं बना रहता ?

उप कृषि मन्त्री (श्री दौलतराम) : (१) लालसोट के पशु—चिकित्सालय के किराये के मकान में चलाने में कोई आपत्ति नहीं होती।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) मकान का स्थान लालसोट की स्थिति देखते हुए ठीक है।

(४) गत इतने वर्षों से जब से यह पशु-चिकित्सालय खुला है ऐसा कोई खतरा बच्चों को पैदा नहीं हुआ।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : क्या यह सही है कि पशुओं के मारने से कई बच्चों के चोटें आई हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री): हमारी जानकारी में ऐसी कोई शिकायत नहीं है।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : आप जानकारी कर लें, इससे बच्चों को कितना खतरा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप चाहते हैं कि डिस्पेन्सरी का मकान अच्छा बन जाये, उसके लिए तो धन की आवश्यकता है, इसलिए कोई अच्छा अगर आप दे सकते हैं तो कानून के मुताबिक हम उसको ले सकते हैं और वहां डिस्पेन्सरी खोली जा सकती है।

राजयक्ष्मा से पीडित कर्मचारियों को चिकित्सा सम्बन्धी सहायता

६६. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि पुलिस विभाग में १५० से कम वेतन पानेवाले व्यक्तियों को टी. बी. जैसी भयंकर बीमारियों में दवाइयों की सहायता सरकार द्वारा दी जाने के आदेश जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो उनका पालन होता है या नहीं ?

(२) जिला जालोर में इस प्रकार की भयंकर बीमारियों के पिड़ितों को यह सहायता दी गई है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास): (१) जी हां, सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में बनाये

Page No.25

(श्री रामकिशोर व्यास)

गये रूल्स पर ऑडिट ऑब्जेक्शन होने की वजह से इनका पालन अभी नहीं हो सका।

(२) जिला जालोर में इस बीमारी से चार सिपाही सर्व श्री हरिसिंह, गिरसिंह, सुमेर सिंह और केसरसिंह पीड़ित हैं। सर्व श्री गिरसिंह और केसरसिंह को सहायता नहीं दी गई क्यों कि उन्होंने इसके लिए कोई प्रार्थना नहीं की। श्री सुमेरसिंह टी० बी० अस्पताल में इन्डोर पेशेन्ट भर्ती थे जहां उनका मुफ्त इलाज हुआ। इसके अलावा रूल्स के अनुसार वह और किसी सहायता का मुस्तहक नहीं हो सकता। श्री हरिसिंह का केस सरकार के ऑडिट ऑब्जेक्शन के कारण, विचाराधीन है।

श्री लक्ष्मीचन्द : यह ऑडिट ऑब्जेक्शन कब हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास : वैसे तारीख तो नहीं बता सकता, लेकिन ए० जी० ने ऑडिट ऑब्जेक्शन किया था।

श्री लक्ष्मीचन्द : इस ऑडिट ऑब्जेक्शन को किऐ गए कितना साल हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं समय नहीं बता सकता।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह सही है कि टी० बी० के रोग के कारण कुछ मर गए हैं ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या होस्पिटल में होने के कारण कोई सहायता नहीं दी जाती ?

श्री रामकिशोर व्यास : एक को सहायता मिली उसका नाम सुमेरसिंह था और वह अस्पताल में इन्डोर पेशेन्ट था और दो ने इसके लिए एप्लाई नहीं किया और एक का केस विचाराधीन था।

श्री लक्ष्मीचन्द : यदि इस प्रकार की बीमारी हो जाये तो क्या सरकार इसके आदेश नहीं दे सकती कि उसको सहायता मिले ?

श्री रामकिशोर व्यास : उसे एप्लाई करना चाहिए।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या यह सही है कि उन्होंने एडमिशन के लिए एप्लाई किया, लेकिन उनको एडमिशन नहीं मिला ?

श्री रामकिशोर व्यास : एडमिशन नहीं दिया तो यह तो डॉक्टरों के ऊपर है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या उनको टी० बी० होने का कारण यही है कि उनको ड्यूटी में लगाया गया ?

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

सड़क निर्माण

६७. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सवाई-माधोपुर की सड़क में दौसा से याने ३३ मील से ६६ मील तक डामर रोड का ठेका दे दिया गया ? यदि हां, तो उसमें कितना काम हुआ ?

(ख) क्या सरकार इस काम को समय पर पूरा करने व आइन्दा पूरा कराने के बारे में ठेकेदार के खिलाफ कोई सख्त कदम उठा रही है।

(ग) यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :

(क) ३०,०००रुपये का अब तक १,७६, ००० रु० का होना चाहिए था ।

(ख) और (ग) आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है ।

डा० चन्द्रकला : यह आप किस का जवाब दे रहे हैं, यहां तो पूछा है कि कितना काम हुआ और आपने इतना सा ही उत्तर दिया ।

श्री नाथूराम मिर्धा : हां, हां, इसी का जवाब है ।

श्री श्रीभानसिंह : साहब यह धीरे धीरे आपस में क्या बात हो रही है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

उप-संचालक, सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय की नियुक्ति

६८. **श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा) : Will the Home Minister be pleased to state:—

Is it correct that there is no vacant post of Dy. Director, Public Relations ? If so, how Mr. Sehgal has been appointed and why has he not yet been paid any salary since his appointment ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : It is not correct to say that there was no vacant post of Dy. Director to which Shri Sehgal was appointed. There was, however, some misunderstanding between the Government and the Accountant General due to which Shri Sehgal could not receive his salary for long. Shri Sehgal has since received his salary upto November end.

श्री पी. के. चौधरी : Is it correct that Mr. Sehgal has now been paid after creating a shadow post of Dy. Directotr for him ?

श्री रामकिशोर व्यास : There is no question of a shadow post.

श्री पी. के. चौधरी : How many posts of Deputy Directors and Assistant Directors are there ?

श्री रामकिशोर व्यास : Two posts of Deputy Directors.

श्री पी. के. चौधरी : How many Assistant Directors ?

श्री रामकिशोर व्यास : असिस्टेन्ट डाइरेक्टर्स की कितनी पोस्टस हैं, यह मैं नहीं बता सकता । लेकिन एक डाइरेक्टर और दो डिप्टी डाइरेक्टर्स की जगह हैं, यह सही है ।

श्री पी. के. चौधरी : Is it correct that the sanctioned strength of the Directorate of Public Relations is as under :

One post of Director,
Two posts of Deputy Directors,
Two posts of Assistant Directors,

OR

One post of Director,
One post of Deputy Director,
Three posts of Assistant Directors?

Is it correct that after Mr. Sehgal's appointment the senior-

Page No.27

(श्री पी. के. चौधरी)

most Assistant Director, Mr. Raghavan, made an appeal against the appointment ?

श्री रामकिशोर व्यास : I don't know, Sir. मुमकिन है अपील की हो। यह अलग क्वेश्चन है और इसके लिए नोटिस चाहिए।

श्री पी. के. चौधरी : Is it correct that after Mr. Sehgal's appointment, for six months he was given no work except drawing the pay ?

श्री रामकिशोर व्यास : I do not know, Sir.

श्री पी. के. चौधरी : Will the Hon'ble Minister be pleased to state, how many officers are there under the Deputy Director who do not work, but receive their pay ?

श्री रामकिशोर व्यास : It is a separate question, Sir, I would require separate notice for it.

श्री पी. के. चौधरी : Is it correct that ScrutinyOfficer Shri Ganeshi Lal Vyas has made a representaion to the Additional Chief Secretary on 3rd of September, 1957 that he has been given no work ?

श्री अध्यक्ष : That has nothing to do with this question. You are discussing the whole of the Department. Next question.

पुलिस स्टेशन भवन का निर्माण

६९. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपलदा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) ग्राम पिड़ावा, जिला झालावाड़, में पुलिस स्टेशन के निर्माण हेतु कितने रुपयों की स्वीकृत हुई ?

(ख) क्या यह भी सही है कि उक्त बिल्डिंग के निर्माण हेतु २ लाख ईंटें खरीदी गई थी जो चोरी चली गई ?

(ग) यदि हां, तो क्या इसकी रिपोर्ट पुलिस में हुई ?

(घ) यदि नहीं तो क्यों ? तथा इस हानि की जिम्मेवारी किस पर है.?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) ५५,००० रु० की।

(ख) जी नहीं। दो लाख ईंटें ठेकेदार ने बनाईं जिसमें से १४,००० ईंटें चोरी गईं।

(ग) जी हां।

(घ) इस हानि का जिम्मेदार ठेकेदार है।

सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय में गजटेड अधिकारियों की नियुक्तियें

७०. **श्री पी.के. चौधरी** (फुलेरा): Will the Home Minister be pleased to state:

Is it correct that all posts of Gazetted Officers in the Directorate of Public Relations, except that of the Director himself, have been advertised for recruitment through the Public Service Commission and high academic qualifications and low age limits have been laid down for the candidates, without caring to make adequate provisions for the promotion and confirmation of the departmental

Page No.28

(श्री पी. के. चौधरी)

candidates who have been working against these posts for some years ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : Yes, it is partially correct. Not all, but 34 posts of Gazetted officers of the Directorate of Public Relations have been advertised for recruitment by the Rajasthan Public Service Commission. Suitable qualifications and age limits were laid down. Every possible relaxation was recommended to and granted by Rajasthan Public Service Commission in case of premerger permanent employees at present working in the Directorate.

The Rajasthan Public Service Commission has, further, exempted all the candidates working in the Directorate from appearing at the written test held by them to select candidates to be called for interviews.

As to the filling up of the post of the Director it was a question of confirming the officer already working on it since long and the Rajasthan Public Service Commission had given their concurrence by judging the suitability of the person after interviewing two senior officers.

श्री पी. के. चौधरी : What quota has been fixed for departmental candidates in this recruitment, in this quota ?

Is it correct that in all other departments, namely for R. A. S., R. P. S. as well as ministerial cadre, everywhere, there is departmental quota which is laid down for promotions and confirmations ?

श्री रामकिशोर व्यास : That has been provided in the rules. It has not been provided here.

श्री पी. के. चौधरी : If it is provided in the rules for all those services, why it is not provided for Directorate of Public Relations ?

श्री रामकिशोर व्यास : We may consider now.

श्री अध्यक्ष : Next.

श्री पी. के. चौधरी : No, Sir. I have got a supplementary to make.

श्री अध्यक्ष : How you want to discuss the whole Department ? How does it arise in this question? He has given all the facts you wanted.

श्री पी. के. चौधरी : One fact still, I remind, Sir, one supplementary. Is it correct On what date the confirmation for the Director, Public Relations was issued ?

श्री रामकिशोर व्यास : Exact date of course, I cannot say.

श्री पी. के. चौधरी : Was it after the reorganisation of the States ?

श्री रामकिशोर व्यास : No, before that.

श्री पी. के. चौधरी : On what date.

श्री रामकिशोर व्यास : Date, I connot say.

श्री पी. के. चौधरी : Is it correct that it is was after the embargo from the Central Government was issued ? The question referred may be of earlier months. My point is, the States Reorganisation took place and the Central Government issued specific instuructions laying an embargo on the confirmation of the staff confirmation......

श्री रामकिशोर व्यास : The question was referred by Public Service Commission long before the result took place. Exact date, if you reguire, I could give you on another question.

श्री पी. के. चौधरी :-My point is, Sir, the point......

श्री अध्यक्ष : You table a definite question for all these things.

श्री पी. के. चौधरी : Another suplementary.

श्री अध्यक्ष : No, the information required is already there.

नगरपालिका अध्यक्ष, रतनगढ़ के विरुद्ध की गई शिकायतों की जांच

७१. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या चेयरमेन, म्युनिसिपल बोर्ड, रतनगढ़ के विरुद्ध जनता द्वारा भ्रष्टाचार, अनियमितता एवं अधिकारों के दुरूपयोग की शिकायत की सरकार द्वारा जांच की गई ?

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

उप-स्वायत्त शासन मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) जी हां।

(ख) मामला सरकार के विचाराधीन है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : कब से विचाराधीन है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : करीब तीन महीने हो गये हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : इस संबंध में जांच करने के लिए कौन अधिकारी गये थे ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अधिकारी, रीजनल इन्सपेक्टर आफ लोकल बोडीज ने की।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि चेयरमेन को चार्जशीट दे दी गई है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां, चार्ज शीट दे दी गई है।

श्री भैरोंसिंह : कौन सी तारीख को दे दी गई है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ये सवालात ऐसे हैं कि चार्जशीट मेटेरियल नहीं है, तीन महीने हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष : If you do not know say no.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : I do not know.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : इस संबंध में फाइडिंग्स दे दी हैं इन्सपेक्टर ने ? इस संबंध में डेफिनिट आरोप क्या हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इन्सपेक्टर ने रिपोर्ट देदी है। फाइडिंग्स तो अब हम देंगे।

श्री भैरोंसिंह : क्या चेयरमेन को सरकार के सामने सुबूत पेश करने के लिए कोई मौका दिया है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां, दे दिया गया मौका।

श्री भैरोंसिंह : मौके के बाद में सुनवाई हो चुकी है क्या ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : तो निर्णय में देरी क्यों हो रही है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मामला काफी कॉम्प्लीकेटेड है इसलिए तय होने में समय लगेगा।

श्री भैरोंसिंह : मामला ज्यादा काम्प्लीकेटेड है तो क्या उसको लॉ डिपार्टमेंट को रेफर किया गया है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भीमसेन।

अधिनियमों का पुस्तकाकार प्रकाशन

७२. **श्री भीमसेन** (लूनकरनसर) : क्या विधि-मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान कोड की तीसरी वॉल्यूम कब तक प्रकाशित हो जायेगी ? क्या यह वॉल्यूम सत्तावन के प्रारम्भ में प्रकाशित नहीं हो जाना चाहिये थी ? अगर हां, तो इस विलम्ब के लिए कौन उत्तरदायी हैं ?

(२) क्या सरकार भविष्य में राज्य के प्रति वर्ष लागू होने वाले कानून(एक्ट्स) सम्बन्धित साल की समाप्ति पर पुस्तकाकार में प्रकाशित करने का इरादा रखती है ? अगर हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

(३) क्या सरकार केन्द्रीय एवं राज्य के विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत बने नियमों, नोटिफिकेशन्स एवं आज्ञाओं को पुस्तकाकार में प्रकाशित करना जनसुविधा की दृष्टि से उचित समझती है ? अगर हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) राजस्थान कोड का तीसरा वाल्यूम कुछ काल से राजकीय मुद्रणालय, जोधपुर, में छपाया जा रहा है। यह वाल्यूम सन् सत्तावन के प्रारम्भ से ही छप जाता परन्तु अन्य आवश्यक कार्यों के कारण छप नहीं सका।

(२) राजस्थान में जितने एक्ट्स गजट में प्रकाशित होते हैं उनकी अलग प्रतियां पुस्तकाकार में बिक्री के लिये पर्याप्त संख्या में छापी जाती हैं। यह अलग बिकने वाली प्रतियां गजट के साथ ही छाप ली जाती हैं जिससे छपाई की लागत कम पड़ती है। एक वर्ष के एक्ट्स की प्रतियां संग्रहित करके अगर जिल्द बन्धवाली जावे तो उस साल के समस्त कानून एक जगह उपलब्ध हो जावेंगे। ऐसी सूरत में साल भर के एक्ट्स को अगर सरकार द्वारा पुस्तकाकार में छापा जायेगा तो खर्चा भी अधिक पड़ेगा और विशेष लाभ भी नहीं होगा। सरकार की ओर से प्रयत्न किया जायेगा कि साल की समाप्ति पर राजस्थान कोड की सिलसिलेवार वाल्यूम प्रकाशित की जावे, जिसमें अगर किसी मूल एक्ट का संशोधन हो चुका हो तो वह संशोधन भी उसमें यथा स्थान शामिल कर दिया जावेगा। कोड की वाल्यूम में संशोधन एक्ट्स प्रायः नहीं छापे जाते हैं।

(३) अभी तक ऐसा कोई संग्रह राज्य सरकार ने प्रकाशित नहीं किया है। इस प्रकार का संग्रह भी प्रकाशित करना आवश्यक है परन्तु इसके पूर्व अभी संपूर्ण नियमों की एक सूचि विधि विभाग द्वारा तैयार की जा रही है जो शीघ्र ही प्रकाशित की जावेगी। इस सूची

(श्री रामकिशोर व्यास)

में प्रत्येक नियमावली के सम्बन्ध में यह भी जानकारी दी जावेगी कि वह राजस्थान राजपत्र में कब कहां प्रकाशित हुई व कब संशोधित हुई। तदन्तर ऐसे संग्रह को भी सरकार शीघ्राातिशीघ्र निकालने का इरादा रखती है परन्तु इसके लिये कम से कम एक वर्ष का समय लगना सम्भव है।

रतनगढ़ के दक्षिण द्वार का अध्यक्ष नगर पालिका द्वारा तुड़वाया जाना

७३. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

(क) क्या यह सही है कि रतनगढ़ के दक्षिणी दरवाजे को चेयरमेन, म्युनिसिपल बोर्ड ने तुडवाया है ? यदि हां, तो कब और किस आधार पर ?

(ख) क्या उपरोक्त दरवाजे के मलबे को बेचा गया है ? यदि हां, तो कब, किस प्रकार से एवं कितने रुपये में ?

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई जांच की है ? यदि हां, तो कब और उसका क्या परिणाम रहा ?

उप स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) जी हां। जून, १९५७ में। यह दरवाजा बहुत जीर्ण अवस्था में था।

(ख) जी हां। दरवाजा तोड़कर मलवा उठाने के लिए टेंडर मांगे गये थे। सबसे ऊंचा टेन्डर १४०) रु० का था जो मंजूर कर लिया गया।

(ग) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या इस सम्बन्ध में बोर्ड के मेम्बरों ने आपके सामने शिकायत पेश की थी कि वहां पर टेन्डर नहीं मांगे गये हैं और चेयरमेन ने मानमानी से उसको बेच दिया है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैं निश्चत तौर से नहीं कह सकता, शायद आई हो, जांच के लिए गई होगी।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : इसके सम्बन्ध में जांच बिठाई है क्या आपने ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : रतनगढ़ के चेयरमेन के खिलाफ रोजाना ४-५ अर्जियां आ जाती हैं। मैं निश्चित् तौर से नहीं कह सकता हूं कि कौन सी आयी है। कम से कम १०० अर्जियां आई हैं। मैं निश्चित् तौर से नहीं कह सकता हूं कि उन पर कुछ हुआ हो।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : आपने कहा है कि जांच के लिए भेज दी हैं !

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जो कुछ भी शिकायतें आती हैं हमारे पास, तो हम उनको जांच के लिए भेज देते हैं। जांच होकर आ जाती है और उन पर यदि किसी पर कोई एक्शन लेना होता है तो एक्शन लेते हैं।

यातायात सुविधा

७४. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपलदा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि ग्राम ककरावदा, तहसील पीपलदा में ग्राम के चारों ओर खिंचे हुए परकोटे में केवल पूर्व एवं उत्तर में दो द्वार है ?

(श्री रामनारायण वर्मा)

(ख) क्या उक्त दोनों द्वारों पर खाल आ जाने से गाड़ियों तथा मवेशियों के आने जाने में कठिनाई होती है ?

(ग) क्या यह भी सही है कि इन खालों में वहा के कृषकों के बैल भैंस आदि गिरने की अप्रिय घटना घटित होती रहती है ?

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम वासियों के कष्ट निवारणार्थ कोई सक्रिय कदम उठायेगी ? यदि हां, तो क्या और कब तक ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथराम मिर्धा) : (क) जी हां।

(ग) यह भी सूचना नहीं है।

(ख) ऐसी सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) (ख) और (ग) के उत्तर के पश्चात् यह प्रश्न नहीं उठता।

१२. ६ म० प०

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्नलिखित सदस्यों ने विधान सभा की बैठकों से, उस समय तक के लिए जो कि उनके नाम के आगे निर्देशित हैं अनुपस्थित रहने की आज्ञा की, प्रार्थना की है :

(१) श्री अनूपसिंह (वि० सं० ७) १० फरवरी और ११ फरवरी, १६५८।

(२) श्री बृजेन्द्रपाल सिंह (वि० सं० २३) १० फरवरी से २५ फरवरी, १६५८ तक।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृति)

आज्ञा प्रदान की गई।

बाड़मेर सरकारी अस्पताल संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर सम्बन्धित मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष : कल एक स्थगन प्रस्ताव था जिसके बारे में सरकार की ओर से एक वक्तव्य दिया जायगा।

१२. १० म० प०

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर में नागरिक समिति के अध्यक्ष के नाम से श्री हीरालाल जोशी ने एक भूख हड़ताल का नोटिस कलेक्टर बाडके सामने प्रस्तुत किया जिस पर तारीख ६-१-५८ लगी हुई है। इस नोटिस में लिखा गया है कि राजस्थान सरकार को इस नोटिस के जरिये साफ शब्दों में कहना चाहते हैं कि नोटिस देने के एक महीने की तारीख तक यानी ५-२-५८ तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई व हमें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो हम तारीख ६-२-५८ से भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। इस नोटिस की एक नकल कलेक्टर, बाड़मेर, संचालक, चिकित्सा विभाग, राजस्थान, जयपुर व जिला ओफिसर चिकित्सा विभाग, जालौर व गृह सचिव राजस्थान के पास उचित कार्यवाही करने हेतु दिनांक १५-१-५८ को भेजी। इस नोटिस के साथ मांगों की एक सूची भी भेजी गयी जिसमें ११ मांगे निम्न प्रकार की गयी हैं :

१. डिस्पेन्सरी को बड़ा सफाखाना (होस्पिटिल) बदला जावे।

२. डी. एन्ड. एम. एच. ओ. का ओफिस बाडमेर में हो।

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

३. अस्पतालों में डाक्टरों व कम्पाउन्डरों की संख्या बढ़ाई जावे।

४. अस्पताल में दवाइयों का बजट व सामान का बजट पहिले से कम से कम चौगुना किया जावे।

५. अस्पताल में मकान की कमी को दूर करने के लिये नये भवन का पूर्ण रूप से निर्माण किया जावे।

६. एक्सरे की मशीन मंगाई जावे।

७. सफाखाना में भर्ती होने वाले बीमारों के लिये स्थान कम से कम बैडस ५० का तय किया जावे।

८. बीमारों की सुविधा के लिये एक एम्बुलेन्स की व्यवस्था की जावे।

९. जनाना सफाखाना सुचारू रूप से चालू किया जावे।

१०. जनाना सफाखाना के लिये स्टाफ व सामान भेजा जाकर कार्य सुचारू रूप से शुरू किया जाकर जनाना सफाखाना बाडमेर को सरकारी रिकार्ड में मान्यता दी जावे।

११. ऑपरेशन थियेटर के लिये आवश्यक सामान व औजारों की व्यवस्था सुचारू रूप से हो और एक सर्जन की नियुक्ति स्थाई तौर से की जाकर यहां पर ऑपरेशनों की व्यवस्था की जावे।

संचालक, चिकित्सा विभाग को इस मांग पत्र के अलावा कमिश्नर, जोधपुर ने दिनांक २१ जनवरी को स्वास्थ्य सचिव, राजस्थान को एक पत्र लिखा जिसमें इस मांग की जांच करवाने हेतु ध्यान दिलवाया गया। इस पत्र के प्राप्त होते ही तारीख २३–१–५८ को संचालक, चिकित्सा विभाग को इस मांगे की जांच करवाने के लिये लिख दिया। वहां से जिला ऑफिसर चिकित्सा विभाग, जालौर को लिख दिया गया था। जो मांगें नागरिक समिति बाडमेर ने प्रस्तुत की उससे जाहिर है कि सब मांगे इस प्रकार की हैं जिनकी जांच करवाने के बाद ही और दूसरी जगहों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही की जा सकती है और इसके लिये जांच भी शुरू करवा दी गई है। इन मांगों में ऐसी कोई मांग नहीं है कि जिस पर तत्काल ही एक महीने में किसी प्रकार की कार्यवाही की जा सके।

बाड़मेर अस्पताल की वस्तु–स्थिति इस प्रकार है :

कर्मचारी

डॉक्टर : सी. ए. एस. क्लास १	१
कम्पाउन्डर्स ग्रेड २	१
कम्पाउन्डर्स ग्रेड ३	१
मिडवाइफ (स्थान रिक्त)	१
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	३

इस समय वहां लगभग एक माह से जिला जालौर के रिजर्व लिस्ट के डाक्टर भी रिक्त स्थान पर कार्य कर रहे हैं। स्टाफ में अलावा मिडवाइफ के कोई स्थान रिक्त नहीं है। यह भली–भांति विदित ही है कि नर्सों व मिडवाइफ की राजस्थान में भारी कमी है। फिर भी यथा सम्भव शीघ्रता से वहां पर मिडवाइफ की नियुक्ति की जावेगी।

इसी तरह दवाइयों व औजारों का या और किसी चीज जैसे मरीजों की खुराक, वस्त्र इत्यादि की भी किसी प्रकार की शिकायत नहीं आई है। न कर्मचारियों के व्यवहार इत्यादि की ही ऐसी कोई शिकायत आई है कि जिस

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

वजह से वहां के लोगों को इस प्रकार की कार्यवाही करने को बाध्य होना पड़ा है।

बाडमेर अस्पताल में १२ शैय्याओं का प्रबन्ध है और उक्त कर्मचारी काम कर रहे हैं। वहां पर औषधियों, औजारों आदि के लिये लगभग वहीं धनराशि स्वीकृत की गई है जो कि जालोर के जिला अस्पताल के लिये है।

चार–पांच दिनों से कुछ लोगों ने उत्तेजना फैलाना शुरू किया और कल बाडमेर के कुछ नागरिक जिलाधीश से मिलने के लिये पहुंचे, जब वे लोग जिलाधीश से बातचीत कर रहे थे उस समय कुछ तत्वों ने पत्थर इत्यादि फैंकने शुरू किये जिस पर बल प्रयोग से उन्हें वहां से हटाना पड़ा। आज के समाचार जो प्राप्त हुये उससे ज्ञात हुआ है कि अलावा ५–६ लोगों के जो अब भी हड़ताल कर रहे हैं और जिनकी हालत नोर्मल है, बाकी स्थिति संतोषप्रद है और आज किसी प्रकार की हड़ताल नहीं है। उन ५, ६ लोगों को भी जिला अधिकारियों द्वारा समझाया जा रहा है।

डिस्ट्रिक्ट व डिविजनल अस्पतालों के विकास के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो धन–राशि २४ लाख रुपये की रखी गई है उसमें से सन् १९५६–५९ में ९,५४,००० रु० रखे हैं जिसका उपयोग आगामी वर्ष में सब जगहों की बढती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जांच-पड़ताल करने के बाद किया जावेगा।

श्री तनसिंह : इसमें एक बात का मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, यदि आप आज्ञा दें। मांग में यह कहा गया था कि या तो ये मांगें पूरी की जांय या संतोषजनक उत्तर दिया जाय। लेकिन आपकी तरफ से संतोषजनक उत्तर देने की बात नहीं आई।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कलेक्टर ने उनसे कहा है कि जांच कराई जा रही है। मैं तीन दिन से कह रहा हूं कि जांच कराई जा रही है। इस बीच में ही लोगों ने गड़बड़ फैलानी शुरू की और पत्थर इत्यादि फैंके।

श्री तनसिंह : मैं कहता हूं यह गलत बात है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने पर्सनली कलेक्टर से बात की हैं।

श्री तनसिंह : आपके स्टेटमेन्ट में यह बात नहीं आई ?

श्री अध्यक्ष : उन्होंने कहा है कि जांच शुरू करवादी है।

श्री तनसिंह : अब तो जांच करवायेंगे ही, जब कि भुख हड़ताल शुरू हो गई है। सवाल यह है कि ५–१–५८ को नोटिस दिया था और २३–१–५८ को जांच के लिये कहा गया।

श्री अध्यक्ष : यह बहस का विषय नहीं है। उन्होंने स्टेटमेन्ट दिया है। जैसी स्थिति थी वैसा उन्होंने बता दिया।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : इस बारे में मेरा प्रस्ताव था इसलिये मुझे भी बोलने दियां जाय।

श्री अध्यक्ष : आपको कुछ स्पष्टीकरण कराना है क्या ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मेरे पास अभी अभी एक तार आया है....

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं जो स्टेटमेन्ट इश्यू किया जाता है उस पर बहस नहीं होती, यदि यह परंपरा होगी तो उचित नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : उनके पास तार आया है जिसका क्लेरिफिकेशन चाहते हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : परम्परा का प्रश्न यह है कि पिछली बार मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा था उस पर बोलने के लिये मुझे ५ मिनिट का समय दिया गया था।

श्री अध्यक्ष : नयी बात की जानकारी अगर आपके पास हो तो बता दें।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जैसा कि कहा गया कि बाडमेर के कई आदमी कलेक्टर से मिले थे, लेकिन मेरी कल ट्रन्क से बात हुई थी, कलेक्टर ने उन लोगों से मिलने से इन्कार कर दिया इसलिये वहां लाठी चार्ज हुआ और १ विद्यार्थी घायल हुआ और दो आदमी गिरफ्तार किये गये। लगभग ५० आदमियों के चोटें आईं। यह प्रश्न इतना गंभीर नहीं है। बाडमेर जिले का केन्द्र है। आपने बताया कि जालोर और बाडमेर दोनों के लिये एक सा प्रबन्ध है लेकिन यह स्पष्टीकरण गलत है ....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह स्पष्टीकरण है क्या ?

श्री तनसिंह : यह बता दीजिये कि लाठी चार्ज किया गया था या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कहा था कि बल प्रयोग किया गया।

श्री तनसिंह : लाठी चार्ज नहीं हुआ क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बल प्रयोग किया गया।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मैं टेलीग्राम पढ़ कर सुना देता हूं।

श्री अध्यक्ष : टेलीग्राम पढ़ने से क्या मतलब होगा, आप गवर्नर के एड्रेस पर बोल सकते हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : टेलीग्राम इस प्रकार है :

'Our hospital demands Increase staff, lady hospital Exray machine. Fifty beds Large quantities DMHO at Barmer. Try grant most of them yesterday. Complete strike large procession lathi charge hundred injured three serious one student very serious If demands not granted situation out of control. Two arrested should be released.

इस प्रकार का तार आया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरे पास भी तार आया है। उसमें इन्जर्ड की बात नहीं है और व लाठी चार्ज की बात है। मैंने कलेक्टर से पूछा भी है।

१२. १८. म. प.

अभिभाषण की प्रतियों का राजकीय दीर्घा में पूर्व वितरण सम्बन्धी विशेषाधिकार प्रस्ताव

(वाद-विवाद एवं निर्णय)

श्री अध्यक्ष : कल दो प्रिविलेज मोशन्स आये थे जिनको पढ़ कर सुनाया था। इस बारे में मेरे पास एक पत्र आया है जिसे पढ़ कर सुनाता हूं :

Page No.36

(श्री अध्यक्ष)

"From Shri Surya Swarup, I. A. S., Deputy Secretary to the Government of Rajasthan, Jaipur to the Speaker, Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur - the 12th February, 1958.

Sir,

I regret very much that due to some inadvertance of mine a few copies of the Governor's address were distributed in the official gallary while the Governor had been able to read only four or five paragraphs of his address.

I beg apology to you and to the House for this."

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि वैसे तो इस सदन को अधिकार है कि ऐसे प्रसंग को लेकर जिस प्रकार का सदन निर्णय दे वह सब को मान्य हो, लेकिन यह स्पष्ट है कि इस प्रकार की कार्यवाही से सदन के विशेषाधिकारों का हनन है और विशेषाधिकार....

श्री अध्यक्ष : आप किस पर भाषण दे रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : इस पर।

श्री अध्यक्ष : This has not been allowed to be put.

श्री भैरोंसिंह : Put ?

श्री अध्यक्ष : Put and discussed before the House.

श्री भैरोंसिंह : यह रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि We should be allowed to put.

श्री अध्यक्ष : मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस एक्सप्लेनेशन के आने के बाद सदन के लिए यह जरूरी नहीं रह जाता है कि प्रिविलेज मोशन को डिस्कस किया जाय।

श्री भैरोंसिंह : वैसे डिस्कस नहीं होता लेकिन सदन सुप्रीम आॅथोरिटी है और जो चाहे वह निर्णय दे सकता है लेकिन इस प्रकार का यह प्रश्न है, जिन प्रश्नों के लिए हमने एक विशेषाधिकार समिति बना रखी है, वह विशेषाधिकार समिति........

श्री अध्यक्ष : आप फिर बहस करने लग गये। (मुख्यमंत्री की ओर सकेतकर) आप कुछ कहना चाहते हैं ? Would the Leader like to say something ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : मैं निवेदन करूंगा कि यह अध्यक्ष महोदय के निर्णय की बात है कि इस मामले में जो वे व्यवस्था दें उसके बाद बहस का प्रश्न नहीं रहता।

श्री भैरोंसिंह : हम प्रार्थना कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय ने निर्णय कहां दिया ?

श्री अध्यक्ष : निर्णय यह दिया है कि यह प्रस्ताव डिस्कस नहीं किया जायगा। जो एक्सपलेनेशन आगया है, उसे हमें काफी मानना चाहिए। This should be deemed sufficient, I think.

१२. २१ म. प.

यातायात मंत्री द्वारा सदन में रखी जाने वाली विज्ञप्तियां विलम्ब से प्रस्तुत करनेसम्बन्धी विशेषाधिकार प्रश्न

श्री नाथूराम मिर्धा (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कल मैं इस सदन में

(श्री नाथूराम मिर्धा)

जो विज्ञप्तियां सदन की मेज पर रखना चाहता था उस समय इस सदन के एक माननीय सदस्य ने कुछ सूचना के बारे में जानना चाहा था....

श्री भैरोंसिंह : ग्रोन एपोइन्ट ग्रॉफ ग्रॉर्डर, सर, मैंने एक प्रिविलेज मोशन दिया है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : You can see me about the privilege motion in my chamber.

श्री भैरोंसिंह : लेकिन यह जो विज्ञप्तियां हमारे सामने ग्रा रही हैं, इनका उस प्रिविलेज मोशन से सम्बन्ध है। इसलिए इन पर जो निर्णय होता है, वह ग्रोटोमेटिकली प्रिविलेज मोशन पर भी असर करेगा। इसलिए या तो दोनों को एक साथ ले लिया जाय या पहले उसे ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रिविलेज मोशन की सिचुएशन मैं ग्रापको बतादूंगा, लेकिन उसके बारे में मैं कहूंगा कि ग्राप स्वयं प्रिविलेज मोशन नहीं लेकर ग्राये। मैंने ग्रापको ढूंढा लेकिन ग्राप न मिले। ग्रगर ग्राप मिल गये होते तो सदन के सामने यह नौबत न ग्राती।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, पोइन्ट ग्रॉफ इन्फोर्मेशन में यह बात चाही थी कि ये विज्ञप्तियां इस सदन के सामने जल्दी ग्रानी चाहिए थीं और एक सेशन जो हो चुका है, उस समय ये विज्ञप्तियां इस सदन के सामने क्यों नहीं ग्राई? इसके बारे में मुझे यह निवेदन करना है कि ये विज्ञप्तियां जिस समय राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन के लिए भेजी गई, तो यह कहा गया था कि जब गजट में ये विज्ञप्तियां प्रकाशित कर दें, तो हमें सूचित कर दें कि कौनसी तारीख के गजट में प्रकाशित कर दी गई हैं। जब सेशन खत्म हो गया उसके बाद में सूचना ग्राई कि गजट में प्रकाशित कर दी गई हैं। इसलिए यही सेशन था जिसमें हम विज्ञप्तियों की कॉपी सदन की मेज पर रख सकते थे और इस सेशन के पहले दिन सदन की मेज पर विज्ञप्तियों की कॉपियां रखने के लिए ग्रापके सामने प्रस्तुत कर दीं....

श्री भैरोंसिंह : यह गजट कौनसी तारीख को प्रकाशित हुग्रा था?

श्री नाथूराम मिर्धा : गजट में प्रकाशित हुई, तारीख १२-९-५७ को।

श्री भैरोंसिंह : सेशन १९-९-५७ तक चला।

श्री नाथूराम मिर्धा : उन्होंने सूचना देरी से भेजी।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : ग्रध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह ग्राता है कि जब सरकार ने ये विज्ञप्तियां निकालीं, तो यह कोई जरूरी नहीं कि वे विज्ञप्तियां गजट में पब्लिश हों उस समय से पहले सदन में न रखी जायं। सदन में विज्ञप्तियां उस समय भी रखी जा सकती थीं जब ग्रॉर्डर निकाला गया और उस ग्रॉर्डर में ग्रमेंडमेंट करने का सदन को ग्रधिकार है। सरकार ने विज्ञप्तियां पब्लिकेशन के लिए भेज दीं, वे १२-९-५७ को पब्लिश हो गई। सरकार ग्रब यह एक्सक्यूज़ लेती है कि पब्लिकेशन की इत्तला उन्हें नहीं मिली। यह सदन का कुसूर नहीं है, यह मंत्री महोदय का कुसूर है, प्रेस का कुसूर हो सकता है, विभाग के सेक्रेटरी का कुसूर हो सकता है लेकिन सदन के ग्रधिकारों पर कुठाराघात

(श्री भैरोंसिंह)

नहीं हो सकता। अगर गलत इतला के कारण सदन के अधिकारों पर कुठाराघात होता है तो मैंने जो प्रिविलेज मोशन मूव किया है, उसको इस सम्बन्ध में ले लिया जाय; अगर फिर कोई स्थिति आती है तो इन विज्ञप्तियों को पेश करने की इजाजत दी जाय।

श्री अध्यक्ष: क्या यह लाजिमी है कि विज्ञाप्तियां पहले सेशन में ही पेश की जायं।

श्री भैरोंसिंह : बिलकुल लाजिमी है। Sub sectcon 3 of Section 133 of The Act is like this :

"All rules made under this Act by the Central Government or by any State Government shall be laid for not less than 14 days before parliament of the Legislature as the case may be, as soon as possible."

इसमें लिखा है ,"as soon as possible after they are made and shall be subject to such modification (as parliament or such Legislature) may make during the session in which they are so laid."

श्री अध्यक्ष:"as soon as possible" लिखा है। The words are 'as soon as possible.'

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब यह है कि जो पहला सेशन हो, उसमें रखा जाय, after they are made, not after they are published. Once the Government orders for the publication of the rules, it will be taken that the Government has made the rules and when the Government make rules, it is incumbent to lay before the Legislature when it is in session. As soon as possible"......

श्री नाथूराम मिर्धा: माननीय अध्यक्ष, यह कानूनी प्रश्न पैदा हो गया है और इस कानून का जो इन्टरप्रिन्टेशन माननीय सदस्य करना चाहते हैं, वह कानून का इन्टरप्रिटेशन नहीं हो सकता है। 'एज़ सून एज़ पोसिबल' का जो मतलब कहते हैं कि उसी वक्त उसी सेशन में रखा जायगा। मैं आपके सामने निवेदन कर चुका हूं कि इन विज्ञप्तियों का प्रकाशन १२-६-५७ के गजट में हुआ था और वह गजट जब तक प्रकाशित नहीं होता तब तक कानून एन्फोर्स नहीं हो सकता था। इसलिए आपका यह कहना कि जैसा ही गजट में प्रकाशन हो गया, उसको पहले सेशन में सदन में रख देना चाहिए था, यह इन्टरप्रिटेशन गलत है, क्यों कि ऐसा नहीं हो सकता। गजट में प्रकाशित होने के बाद ही कानून एन्फोर्स होता है। हमने जब उन्हें भेजा था तो खत लिखा था कि जब प्रकाशित कर दें तो हमें सूचना भेज दें कि यह गजट में प्रकाशित हो चुका है, तब हम समझेंगे कि वह फोर्स में आ चुका है। उसके बाद तुरन्त और नेक्स्ट मौका जो था, वह यह सेशन था। उस सेशन में सूचना हमारे पास नहीं आई थी, ऐसी स्थिति में हम सदन में नहीं रख सकते थे। हम इस सेशन में पहले दिन ही रख दें, यह नहीं है। इस प्रकार धारा १३३ (३)जिसमें "as soon as possible" लिखा हुआ है, उससे बिल्कुल गवर्न होता है। जितनी जल्दी विज्ञप्तियों को सदन में रखने का मौका हमारे पास अवेलेब्ल था, उसी मौके पर विज्ञप्तियां रख दीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) माननीय अध्यक्ष महोदय,

Page No.39

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

माननीय मन्त्री जी ने १३३ [३] का रेफरेन्स और लीगल कॉम्प्लीकेशन का हवाला दिया। मैं समझता हूं कि अगर वे धारा १३३ की उपधारा [२] को पढ़ते तो शायद उनकी समझ में आजाता। उसमें यह बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, Sub-rule 2 to rule 133"...... shall be published in the official gazette and shall, unless some date is appointed, come into force on the date of such publication" सब-सेक्शन [२] के तहत जो रूल्स गवर्नमेंट बनायेगी, वे डेट ऑफ पब्लिकेशन से फोर्स में आ जावेंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि सब-सेक्शन के अनुसार १२-६-५७ से जो रूल्स या नोटीफिकेशन गवर्नमेंट ने निकाले, वे फोर्स में आ गये और इस बात को ध्यान में रखते हुए सब-सेक्शन [३] में प्रोविजन किया गया है : "All rules made under this Act by the Central Government for by any (State) Government shall be laid for not less than 14 days before parliament or the State Legislature, as the case may be, as soon as possible after they are made." Had the intention of the Legislature been that the rules should be placed before the State Assembly after they are published. I may humbly submit, Mr. Speaker. that the words 'made' should not be there and "as soon as possible' as they published" it could be sufficient but the very provision that word "made" is there the State Government is bound by duty to place rules and notifications under Section 33. ऐसी सूरत में माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि रूल्स १२-६-५७ को गवर्नमेंट ने पब्लिश कर दिये और रूल्स पब्लिश होने के साथ डेट अपोइन्ट नहीं की, इसलिए मैं सब सेक्शन [२] के तहत निवेदन करूंगा कि रूल्स फोर्स में आ गये थे और जो सदन को रूल्स को मोडिफाई करने का राइट दिया है, वह मोडिफिकेशन १४ दिन के अन्दर स्टेट लेजिस्लेचर कर सकती है :

"shall be subject to such modifications as the Legislature may make during the session in which they are so laid"

मैं नम्र निवेदन करता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, कि इन दोनों सब सेक्शनों पर एक साथ ध्यान करने के बाद यह स्पष्ट है। इसमें जो प्रोविज़न है कि रूल्स बनने के बाद तुरन्त स्टेट लेजिस्लेचर के सामने आने चाहिए, न कि पब्लिकेशन के बाद। माननीय मन्त्री महोदय का कहना है कि हमने रूल्स पब्लिश किये नहीं, इसलिए स्टेट लेजिस्लेचर के सामने नहीं कर सकते, यह एक बहाना है और ऐसी स्थिति में हमारे सदन के विशेषाधिकारों का हनन हुआ है और रूल्स नल एड वोइड (null and void) हो गये हैं और उनको मोडीफाई हम इस सेशन में कर सकते हैं, इसलिए ये विज्ञप्तियां आज उपस्थित नहीं की जा सकतीं। इन सब सेक्शन्स को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है....

श्री भैरोंसिंह : एक पोइन्ट माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी इजाजत से रख दूं। क्या यह बात है कि जो रूल्स गजट में पब्लिश हो गये और लागू हो गये उन रूल्स के अन्दर यह हाउस आज की स्थिति में अमेंडमेंट कर सकता है कि नहीं ? वह धारा १३३ भाग (१) में दिया हुआ है।

Page No.40

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय अध्यक्ष, इस उप धारा ३ में यह बात साफ रखी है कि रूल्स १४ दिन तक सदन की मेज पर रखे रहें और कोई अमेंडमेंट कोई माननीय सदस्य करना चाहें तो कर सकते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : यह नहीं है यह कानून की बारीकी है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मेट्रिक से तो एल. एल. बी. ज्यादा समझता है ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यदि ऐसी बात होती तो यह होता कि कानून तो सरकार बना दे और विधान सभा की एप्रूवल हो जाने पर लागू कर दे । बल्कि कानून प्रोपोज़ करें, विधान सभा की एप्रूवल हो, ऐसी कानून की मंशा है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह कानून नहीं है रूल्स हैं ।

श्री भैरोंसिंह : नियमों के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार की आज्ञा है....

श्री नाथूराम मिर्धा : अगर ऐसा होता तो नियम भी सदन में आते और उन पर भी डिस्कशन होते ।

श्री भैरोंसिंह : आपको सदन के नियम मालूम होने चाहिये कि एक मेम्बर बोलता है तो दूसरे को खड़ा नहीं होना चाहिये ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं खड़ा हुआ था तो उस समय आप बोले....

श्री अध्यक्ष : वर्ड्स १३३ में यूज़ किये गये हैं, "एज़ सून एज़ पोसिबल" यह मेन्डेटरी नहीं है कि उसी सेशन में पेश किया जाय । किसी के लिये पोसिबल है कि जल्दी एक्शन लिया, किसी के लिये पोसिबल है कि धीरे धीरे लें ।

श्री भैरोंसिंह : इस सेशन में पोसिबल नहीं है तो अगले सेशन में लेगये और वह चालू रहेगा ।

श्री अध्यक्ष : आपका जो राइट है १४ दिन का that remains open.

श्री भैरोंसिंह : As soon as possible after they are made.

मेड के माने यह नहीं कि किसी दिन से लागू कर दिया । अगर मान लीजिये गजट में प्रकाशित होने के बाद ६ महीने में फोर्स में आये, सेशन तीन–चार महीने नहीं हुआ....

श्री नाथूराम मिर्धा : इसमें तो सेशन हुआ है । गवर्नमेंट को पॉवर दिया है बगैर सदन की परमीशन रूल्स बनाने का सरकार को अधिकार दिया है, अब यह १४ दिन तक सदन की मेज पर रहेगा जो संशोधन करना चाहें कर सकते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : यदि पिछले सेशन में ये पेश होते और अमेंडमेंट लाते....

श्री अध्यक्ष : There is no bar to their being enforced without being considered by the House.

श्री भैरोंसिंह : यह है इसमें १२ तारीख को पब्लिकेशन किया, १२ से १६ तक सेशन हुआ, उसमें सदन चाहता तो अमेंडमेंट कर सकता था....

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री) : अब भी कर सकते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : अब कर सकते हैं, यह दूसरी बात है । कई ऐसे रूल्स हैं जो सदन में रखने के बाद संशोधित हो सकते हैं और वे पिछले सेशन में रखे जाते तो संशोधित हो सकते थे । इसलिये उस सेशन में हमारे

(श्री भैरोंसिंह)

अधिकार थे उनका हनन हुआ है, इसलिये उसे उपस्थित करने की आज्ञा नहीं दी जाय जब तक कि प्रिविलेज के मोशन का निर्णय नहीं हो।

श्री नाथूराम मिर्धा : अगर उन ६ दिनों में अमेंडमेंट करना चाहते थे और वे नहीं करने से ये रूल्स ऐसे बन गये हैं कि बड़ा भारी जुल्म हो गया हो, ऐसी कोई बात नहीं है। इसको देखने से पता चलेगा कि सिर्फ एक शब्द जोड़ा गया है।

श्री अध्यक्ष : That is not relevant, but the matter of consideration is......

श्री नाथूराम मिर्धा : वे यह कहते हैं, उनका इन्टरप्रिटेशन है कि ६ दिन में लिया जाता और विचार किया जाता। ऐसी न रूल १३३ की मंशा है। अभी रीज़नेबल टाइम में लाकर पेश किया है, वह इस रूल की मंशा को पूरा करता है, कोई माननीय सदस्य अब भी कोई अमेंडमेंट दें तो उस पर विचार किया जा सकता है। रूल बनाने की ओथोरिटी सरकार को दी गई है, इनके सर्टेन एक्ट्स प्रोविजन्स बनाकर गजट में छापा कर सकते हैं। रीज़नेबल टाइम में यह सदन में आ गया है.......

श्री अध्यक्ष : But this is certainly against the spirit of the Section, the idea is that as soon as they are made they should be laid before the House, but the lapse is not so serious as to prevent it from being laid before the House.

(करतल–ध्वनि)

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय,....

श्री भैरोंसिंह : ओन ए पोइन्ट ओफ ओफ ऑर्डर, सर, उस प्रिविलेज मोशन का क्या हुआ साहब ?

श्री अध्यक्ष : I told you to please see me in my Chamber.

श्री भैरोंसिंह : सदन में रख दिया जाता है....

श्री अध्यक्ष : I told you again and again, I will give the decision. It has been rejected, I will tell you why ?

श्री श्रीभानसिंह : The decision has been given, Sir......

श्री अध्यक्ष : I will tell him privately.

१२.३६ म० प०

सदन की मेज पर रखी गई गृह–विभाग की दो विज्ञप्तियां

श्री नाथूराम मिर्धा : (यातायात मन्त्री) अध्यक्ष महोदय, मैं गृह विभाग (बी) विज्ञप्ति संख्या डी० ६०८६ । एफ. १६ (१४) (१५) एच. बी । ५६ दिनांक ७ अगस्त, १९५७, जिसके द्वारा राजस्थान मोटर विहिकल्स रूल्स, १९५१ के नियम १२१ में संशोधन किया गया है, वह सदन की मेज पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं गृह विभाग (बी) विज्ञप्ति संख्या डी० ६७६६ । एफ० १६ (१४) (१३) एच. बी. । ५६ दिनांक १७ जून, १९५७, जिसके द्वारा राजस्थान मोटर

Page No.42

(श्री नाथूराम मिर्धा).

विहिकल्स रूल्स, १९५१, के नियम ६६ (जे) में संशोधन किया गया है, वह सदन की मेज पर रखता हूं ।

१२. ३७ म० प०

राजस्थान नगर सुधार विधेयक, १९५७

(प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपास्थापन हेतु समय में वृद्धि)

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप स्वायत्त शासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अर्बन इम्प्रूवमेंट बिल, १९५७ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के हेतु, नियत समय को मार्च १९५८ के आखिरी सप्ताह तक बढ़ा दिया जाय ।

श्री श्रीभानसिंह : रीज़न्स बतायें ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : रीज़न्स बतायें ।

श्री अध्यक्ष : The Select Committee has not finalised as yet.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, सिलेक्ट कमेटी ने दो मीटिंगें कीं, पहली मीटिंग में यह मसला पेश हुआ कि..

श्री भैरोंसिंह : मसला बताना ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैं भी कानून समझता हूं और उस मीटिंग में यह कहा गया कि इस कानून में क्या हो इस बारे में विचार करते समय देहली में एक कानून बना है वह अच्छा है उसे देखा जाय । उस कानून के आने में २०-२१ दिन लग गये । फिर प्रवर समिति ने उस पर दूसरी मीटिंग में विचार किया और इच्छा जाहिर की गई कि प्रतिवेदन को अगले सत्र के प्रथम सप्ताह में पेश किया जाय, मैंने यह रखा कि इसी सेशन के दर्म्यान में मिल सकेंगे ।

श्री भैरोंसिंह : सिलेक्ट कमेटी ने क्या यह तय किया है कि इस प्रतिवेदन को अगले सत्र में पेश किया जाय, जैसा कि माननीय उपमंत्री ने बताया कि इस सत्र के बीच में रिपोर्ट तैयार कर सकेंगे । इस प्रकार का निर्णय माननीय उपमंत्री जी का है या सिलेक्ट कमेटी का निर्णय है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह सिलेक्ट कमेटी का है और इसको अमेंड किया है, इसमें लिखा गया है, गलत लिखा है सिलेक्ट कमेटी की तरफ से मैंने अमेंड किया है ।

श्री भैरोंसिंह : सिलेक्ट कमेटी की तरफ से माननीय अध्यक्ष, इनको अख्त्यार है क्या ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : सिलेक्ट कमेटी ने ही यह निर्णय किया । यह गलत लिख दिया है कि आगे बढ़ा दिया जाय..

श्री अध्यक्ष : ये तो और भी जल्दी पेश करना चाहते हैं ।

क्या सदन की अनुमति है कि समय बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई ।

१२. ३९ म. प.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर के विशेषधिकार प्रस्ताव पर समिति का प्रतिवेदन

(उपास्थापन हेतु समय में वृद्धि एवं उपास्थापन)

श्री भैरोंसिंह खेजड़ला (बिलाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री

(श्री भैरोंसिंह खेजड़ला)

जगदीशप्रसाद माथुर, सदस्य विधान सभा, द्वारा दिनांक १४ नवम्बर, १६५७ को उठाये गये विशेषाधिकार के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को वर्तमान सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जावे ।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि समय बढ़ा दिया जाय ।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई ।

(विराम)

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, श्री जगदीशप्रसाद माथुर, सदस्य विधान सभा, द्वारा दिनांक १४ नवम्बर, ५७ को उठाये गये विशेषाधिकार के प्रश्न पर मैं विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

१२. ४० म० प०

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सामन्य वाद-विवाद

(पूर्वक्रम से)

श्री अध्यक्ष : Discussion of Governor's Address. Shri P. K. Chaudhury.

श्री पी. के. चौधरी : (क्रम से) अध्यक्ष महोदय, मैं कल राज्यपाल के भाषण के सिलसिले में कम्युनिटी डेवलपमेन्ट प्रोजेक्सट्स के फैल्योर के बारे में कह रहा था । मैं कह रहा था कि डेवलपमेन्ट ब्लॉक्स का जो डिस्ट्रिब्युशन हुआ था उसके बारे में तो एक मंत्री महोदय उस वक्त हंस रहे थे, यानि उनकी शक्ल से ऐसा मालूम हो रहा था कि जो बात मैं कह रहा था वह गलत कह रहा था । उसके लिए मैं प्रोजेक्ट्स के सम्बन्ध में जो इवेलुएशन कमेटी की रिपोर्ट हैं जो कि मेरे पास है, उससे मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूं :

"There is wide disparity in the distribution of and therefore of the benefits of the community project programmes. This disparity exists as between block and block in the project area. Within blocks it exists as between the headquarters of the Village Level Workers and the villages easily accessible to them and the villages not easily accessible. Within village, it exists as between cultivators and non-cultivators; within cultivating classes, it exists as between cultivators with bigger holdings and larger financial resources and those with smaller holdings and lesser financial resources. This is a matter of serious concern not only in terms of econmic and social justice, but also in terms of the political consequences that may ensue in the context increasing awakening among the people."

अब यह जो बात है, जो सेकेन्ड प्रोजेक्ट इवेलुएशन कमेटी की रिपोर्ट है उसमें इस बात का जोर दिया गया था कि यह जो बेनिफिट का डिस्ट्रिब्युशन कर रहे हैं वह अन्डर प्रिविलेज्ड क्लास को नहीं मिल रहा है और जिनके बिगर रिसोर्सेज़ हैं, प्रिविलेज्ड क्लास है उन्हीं को मिल रहा है । यह लैंड लेस को नहीं मिल रहा है । सेकन्ड रिपोर्ट में भी यही बात कह गई थी और इसमें भी यही बात कही गई है । रिपोर्ट सरकार के पास आती है, रिपोर्ट तो आती है लेकिन इस पर कोई तवज्जह नहीं दी जाती है । मैं इस बात को

Page No.44

(श्री पी० के० चौधरी)

स्वीकार करता हूं कि सेकन्ड रिपोर्ट में इसका ज़िक्र करने के बाद सरकार उस पर सोचती और डिस्ट्रिब्युशन का जो सिस्टम है उसको वह चेन्ज करती तो मैं उसको ठीक समझता। फोर्थ रिपोर्ट आती है उसमें भी यही बात रहती है और कोई तब्दीली नहीं रहती है। इसलिए मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं कि जो कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें डिफेक्ट्स हैं और उनको सुधारना चाहिए। मैं यह कह सकता हूं कि ७०' परसेन्ट पैसा दिया है वह बेहुदा खर्चा हुआ है और वेस्ट हुआ है और साथ ही साथ यह कहना चाहता हूं कि इस प्रोजेक्ट के जरिये से जो लोन पोलिसी है वह डिस्पेरिटी के लिए ज़िम्मेदार है। हम गांवों में लोन देते हैं, सिक्योरिटी क्या है, क्रेडिट क्या है, यह देखते हैं और उसके लिए बिगलैंड होल्डर्स हैं, बिगर रिसोर्सेज़ वाले हैं उन्हीं को मानते हैं। प्रोजेक्ट एरिया में कहीं भी जो लोन पोलिसी का डिस्ट्रिब्युशन रहता है वह इस हिसाब से रहता है, यही सोचते हैं और उसी हिसाब से लोन देते हैं कि इकोनोमिक इसका रिटर्न क्या है? इकोनोमिक रिटर्न की हैसियत से ही देते हैं न कि सोशल जस्टिस, न कि अन्डर प्रिविलेज्ड की दृष्टि से पैसा लेने की केपेसिटी टेस्ट करते हैं। यह एप्रोच ही गलत है, यह अंडर प्रिविलेज्ड को ही ज्यादा राहत पहुंचाने के लिए है। इसलिए यह जो लोन पोलिसी है वह अल्टीमेटली जाकर it makes rich richer, and poor poorer.

इस प्रकार यह पोलिसी आगे जाकर चलती है। इन्डस्ट्रियल बोर्ड के लिए देते हैं, गांवों में सरकार की ओर से यह होना चाहिए कि अन्डर प्रिविलेज्ड को मिले। इसका रिओर्गेनाइज़ेशन होना चाहिए, लोन पोलिसी जो है उसमें जो डिफेक्टस हैं उसमें सुधार करना चाहिए।'

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जो प्रोजेक्टस हैं उनमें गवर्नमेन्ट की ओर से लोन न देकर कोऑपरेटिव के जरिये से लोन देने की ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। इतनी बात मैं कम्युनिटी प्रोजेक्ट के बारे में कहना चाहता हूं।

अब मैं राज्यपाल महोदय के भाषण के पैरा १६ में जो उद्योगों के बारे में कहा गया है, उस सम्बन्ध में सोड़ा एश फैक्टरी और फर्टीलाइजर के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। एक दो साल से सुन रहा हूं कि मेरी कोन्स्टिटुएन्सी सांभर में सोड़ा एश की फेक्टरी खोली जावेगी। राज्यपाल महोदय ने बताया कि हमें अब कमेटी की सिफारिशें मिली हैं कि सांभर सोड़ा एश फेक्टरी बनाने के लिए उपयुक्त है। यह काफी नहीं। सरकार ने क्या कदम उठायें हैं? यह कहा कि प्राइवेट इन्डस्ट्रियलिस्ट्स की इसमें रुचि उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं कि कैसे रुचि उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सोड़ा एश फेक्टरी में कोई भी इन्डस्ट्रियलिस्ट्स आज के जमाने में पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा क्योंकि इसमें काफी पैसा इन्वेस्ट होता है। मैं नहीं समझता कि यह सांभर में हो सकता है। दो साल से सोचते आ रहे हैं कि सोड़ा एश फेक्टरी हमको मिलेगी। मैं यह जानता हूं कि यह कभी भी प्राइवेट इन्डस्ट्रियलिस्टस के जरिये से नही हो सकती है। इसके लिए मैं एक सुझाव रखना चाहता हूं कि यदि सरकार दरअसल इसको सिन्सियरली खोलना चाहती है तो फोरिन इन्वेस्टर्स हैं उनको इसमें इन्ट्रस्टेड करें।

(श्री पी० के० चौधरी)

यही करने में माननीय मुख्य मंत्रीजी सफल होंगे । यह सोड़ा फेक्टरी सांभर में और हनुमानगढ़ में फर्टीलाइज़र हो जावेगी । सांभर में तो तब ही होगा जब कि फोरन इन्वेस्टर्स को इन्ट्रेस्टेड करेंगे या गवर्नमेंन्ट खुद करे तब ही हो सकता है । यह रुचि उत्पन्न करने की बात है और इसमें प्राइवेट इन्डस्ट्रियलिस्ट्स की बात है तो इन्डिया का कोई जाकर यह नहीं करेगा ।

दूसरी बात है वह यह है कि मुझे जानकारी मिली है किसी सोर्स से । यह जानकारी मिली कि गवर्नमेन्ट ओफ इन्डिया में कुछ लोग सोचते हैं कि सोड़ा एश फेक्टरी के लिए सांभर टीक नहीं है । अब कमेटी ने कुछ ही सिफारिशें दी हों सोड़ा एश फेक्ट्री का विकास उधर ज्यादा नहीं है । कुछ लोग बात कर रहे थे, मैंने यह सुना है । मुख्य मंत्रीजी इसकी जांच कर लें । सोड़ा एश फेक्ट्री नहीं तो दूसरी करें । यह सुनने में आया है कि सोडा एश फेक्ट्री में रुचि उत्पन्न करने के लिए तो प्रयत्न है लेकिन जो ब्राइन है उसको ले जाने का खारा गुड़ा में साइट दिया जा रहा है...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): कहां दिया जा रहा है ?

श्री पी० के० चौधरी : खारागुड़ा में ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कौन दे रहा है ?

श्री पी० के० चौधरी : गवर्नमेन्ट ओफ इन्डिया में सुना है । यह उठा ले जायेंगे तो सोड़ा एश फेक्टरी नहीं होगी । प्राइवेट इन्डस्ट्रियलिस्ट में इन्ट्रेस्ट पैदा करना तो छोड़ दीजिये, इसको गवर्नमेन्ट ओफ इन्डिया की ओर से करा सकते हैं, यह नहीं हो तो फिर फोरिन इन्वेस्टर्स को इसके लिए तैयार करें । वे काफी इन्तजार करते हैं हिन्दुस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए । मैं कहता हूं फोरिन लोगों को इन्टरेस्टेड करिये जैसा कि मद्रास और केरल सरकार कर रही हैं । जब दूसरे राज्य कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते; वे डायरेक्ट भी फोरिन वालों से बात चीत करते हैं तो राजस्थान सरकार क्यों नहीं कर सकती ? मैं आशा करता हूं कि माननीय मुख्यमन्त्री इसमें इनीशियेटिव लेंगे ।

पलाना कोलियरी के बारे में भी कुछ कहूंगा; राज्यपाल ने अपने भाषण में इसके उत्पादन पर सन्तोष प्रकट किया है, वे कहते हैं कि ए क्लास मैनेजर के अपोइन्टमेन्ट से उत्पादन बढ़ा है, यह ठीक हैं कि पहले उत्पादन रेस्ट्रिक्टेड था, बी क्लास मैनेजर को ३० हजार से ज्यादा का लाइसेन्स नहीं था ए क्लास मैनेजर के अपोइन्ट करने से नेचरली बढ़ता ही । ए क्लास मैनेजर के आने से २ हजार टन से ढ़ाई हजार टन तक बढ गया । इसके अलावा यह भी है कि अनइकोनोमिकली जो चलते रहे उसकी वजह से भी उत्पादन पर असर पड़ा है । पलाना से जो कोल हम पैदा करते हैं उसको २१ रुपया टन के हिसाब से बेचते हैं, बिहार और बंगाल का कोयला १८ रुपया टन के हिसाब से बेचा जाता है । जहां तक मजदूरी का सवाल है हम पलाना में ८० क्युबिक फीट पर २ रुपया खर्च करते हैं, वहां बंगाल और बिहार में ३६ क्युबिक फिट पर सवा तीन रुपया देते हैं फिर भी वहां तनखा ज्यादा होते हुए भी सेलिंग प्राइस कम है । आजतक जो अनइकोनिमिक चलता रहा लेबर चार्ज जहां पर कम है क्वान्टिटी प्रोड्यूस ज्यादा होती है फिर नुकसान किस तरह रहता है ?

(श्री पी० के० चौधरी)

दूसरी बात यह है कि यह जरूरी नहीं था कि मैनेजर को बदला जाय मेरी जहां तक जानकारी है हमारी जिऑलोजिकल रिपोर्ट जो है उसमें लिखा है कि मेथड ऑफ एक्सट्रेक्शन गलत है। उन्होंने बताया कि जितना कोयला निकाला जाता है उसमें से ६६ प्रतिशत वेस्ट रह जाता है और एक्चुअली ३४ प्रतिशत एक्सट्रेक्ट कर पाते हैं। इस तरह से १२ मिलियन टन्स के करीब कोल आज वेस्ट में पड़ा हुआ है उसके लिये जो कुछ सुझाव दिया गया है इसके लिये ओपन कोस्ट मेथड अपनाना चाहिये; अगर हम इसको अपनाते है तो हमारा एक्सट्रेक्शन सेन्ट पर्सेन्ट होगा। मैनेजर के अपोइन्टमेंट से ज्यादा उत्पादन बढ़ा है यह उतनी ज्यादा खुशी की बात नहीं है, राजस्थान गवर्नमेंट की खुद की रिपोर्ट है उसमें जो कहा गया है कि मेथड ऑफ एक्सट्रेक्शन बदलना चाहिये उसके अनुसार हमें कार्य करना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि जो हमने तीन एकेडमीज़ खोली हैं एक साहित्य ललितकला और संगीत और नाटकों की एकेडेमी खोली है। मैं भी इन तीनों एकेडेमियों का स्वागत करता हूं, लेकिन इसमें जिन व्यक्तियों को लेने के लिए जो कमेटी अपोइन्ट की गई मैं उस अपोइन्टमेन्ट के तरीके को ठीक नहीं समझता। यह मैं नहीं कहता कि जो मेम्बर रखे हैं वे ठीक नहीं हैं, लेकिन जहां तक हमने देखा है ऐसे ऐसे आदमियों को इन में लिया है जो संगीत और नाटक का नाम निशान नहीं, जानते जिनकी शक्ल सूरत चार्ली चेपलिन जैसी है, संगीत का नामोनिशान नहीं जानते, वकालात करते हैं ऐसे ऐसे आदमियों को नाटक एकेडमी में रख दिया गया है जिन आदमियों को रखने की जरूरत नहीं। इसके लिये मेरा यह निवेदन है कि अगर आप इन कमेटियों द्वारा ऐसे व्यक्तियों का चुनाव न कराकर अगर इन्हीं एकेडेमीज़ के चेयरमेन को यह अधिकार दे देते कि जिन आदमियों को चेयरमेन सिलेक्ट करें उन्हीं को रखा जाय तो भी किसी हद तक ठीक रहता, कम से कम यह तो होता कि जो भी चेयरमेन होते वे यदि किसी भी आदमी को लेते तो उस आर्ट में एक्सपर्ट होते उन्हीं को लेते, ऐसे मामलों में निष्णात होते उन्हीं को लेते, चार्ली चेपलिन जैसे आदमियों को तो नहीं लेते। जैसे साहित्य एकेडेमी के लिये मेम्बरों का चुनाव करना हो तो उसके लिये ऐसा किया जाता कि राजस्थान के जितने भी बड़े बड़े साहित्यकार हैं उनको बुलाया जाता; उनसे नामों की पेनेल ले लेते और फिर उस पेनेल में से जितने मेम्बरों की जरूरत होती ले लिया जाता इससे यह तो होता कि कम से कम सही आदमी तो आते। इसमें हुआ क्या कि जिन आदमियों के नाम सेक्रेटेरिएट लेवल पर आये उन्हीं नामों पर माननीय मन्त्री महोदय ने सील लगा दी। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि जिस ढंग से कमेटी बनायी गई और जिस ढंग से व्यक्तियों का अपोइन्टमेंट किया गया वह गलत था। साहित्यकों को बुलाकर पहले उनसे नाम ले लिये जाते फिर उनमें से आदमी रखे जाते तो अच्छे आदमी मिल जाते, इसलिये मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि इस कमेटी को ६ महिने के लिये टेम्परेरी करार देकर छ महीने के बाद इसको रिकोन्स्टीट्यूट की जाय उसमें ऐसा हो कि हरेक एकेडेमी के लिये पेनल नामों की मांग ली जाय और उसमें से अपोइन्ट किये जांय, इससे यह होगा कि जिस उद्देश्य को लेकर हमने ये एकेडेमीज़ बनायी हैं वह उद्देश्य

(श्री पी० के० चौधरी)

पूरा हो सकेगा, अगर यह सुझाव आपको पसन्द नहीं है तो चेयरमेन्स जो हैं उन्हीं के ऊपर छोड दीजिये जिन आदमियों को वे लेना चाहे ले सकते हैं, हालाकि यह डेमोक्रेटिक तरीका नहीं है फिर भी अच्छे साहित्यकार, संगीतकार और नाटककार मिल सकेंगे।

उद्योग की स्थिति के बारे में राज्यपाल महोदय ने काफी सन्तोष प्रगट किया है। उन्होंने यह भी बताया कि औद्योगिक झगडों की संख्या बहुत कम है। वास्तव में देखा जाय तो यह बात नहीं है, यूनियन्स को कुचलने कीजो पोलिसी सरकार की रही है उसके कारण बहुत सी यूनियन तो खत्म हो गई तो झगड़े पैदा होने की सूरत ही नहीं रही। जहां तक उद्योगों का सम्बन्ध है मेरा यह निवेदन है कि सब उद्योगों में मिनीमम वेजेज़ एक्ट लागू होना चाहिये और कम्पलसरी लागू होना चाहिये, इस के बारे में जब हम लेबर मिनिस्टर या लेबर कमिश्नर से पूछते हैं तो हमें यही जवाब मिलता है हमने इसके लिये दिल्ली को लिखा है वहां से जवाब आने पर ही लागू कर सकते हैं, डेढ़ साल से लगातार चिल्ला रहें है लेकिन राजस्थान की किसी भी इन्डस्ट्री में आज तक मिनीमम वेजेज़ एक्ट लागू नहीं है। जहां हमने मिनीमम वेजेज़ एक्ट में जो प्राइवेट लोग देते थे उससे भी बहुत कम वेजेज़ रखी हैं, वह भी हमारी स्टेट में लागू नहीं है, ए क्लास स्टेट होने पर भी किसी भी उद्योग में मिनीमम वेजेज़ एक्ट लागू नहीं है। मेरा माननीय मुख्य मन्त्री से निवेदन है कि वे दो महिने के अन्दर अन्दर मिनिमम वेजेज़ एक्ट लागू कर दें। आप जहां कई बातों के लिये ऑर्डिनेन्स निकाल कर रेकटिफाइ करते हैं, छोटी मोटी बातों के लिये ऑर्डिनेन्स निकाल देते हैं, जहां यह मिनिमम वेजेज़ एक्ट डेढ़ साल से पड़ा हुआ है उसके लिये कोई सोचने का कष्ट ही नहीं करता।

दूसरी बात मैं पुलिस एसोसियेशन के बारे में निवेदन करना चाहूंगा, कल भी इस सदन में पुलिस कर्मचारी संघ के रिकॉगनिशन के बारे में बातें की उसकी जानकारी कुछ मुझे भी है। उनके संघ को बनने नहीं दिया जाता मैं समझता हूं कि इसके लिये यह कहा जाता है कि पुलिस रेगुलेशन में ऐसी बात नहीं है। मेरा निवेदन है कि पुलिस रेगुलेशन भी कोन्स-टीट्यूशन के खिलाफ नहीं होता है। भारत का जो संविधान है धारा १६ के अन्दर हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं वह हरेक सिटी-जन के लिये है :

"All citizens shall have the right to freedom of speech and expression, to assemble peacealy andb without arms, and to form associations or unions."

A policeman does not cease to be a citizen of India. He is free to form association or union. You can not prevent them to from unions or associations. ये तीनों चीजें ऐसी है जो हिन्दुस्तान के हर एक सिटीज़न हैं, हर एक नागरिक को प्राप्त हैं इसके खिलाफ कोई एक्शन होता है तो वह कोन्स्टीट्यूशन के खिलाफ होगा। पुलिस मैन भी एक नागरिक है। उसको भी विधान के अनुसार फंडामेन्टल राइट्स मिले हुए हैं, टू फॉर्म ए एसोसियेशन इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। आप उसके लिये रूल बना सकते हैं कि इसमें पोलिटी-शियन्स को आप शामिल नहीं होने देंगे।

(श्री पी० के० चौधरी)

और इसके लिये आप विक्टीमाइज़ करते हैं उनको। मेरे पास नाम हैं ऐसे लोगों के जिनको आपने विक्टीमाइज़ किया है। यहां जयपुर में पुलिस के लोग इकट्ठे हुए थे उनको आपने डिस्चार्ज कर दिया और कोर्ट में केस भी चलाया था आपने। मानसिंह और और विश्वनाथ जयपुर पुलिस लाइन में एकत्रित हुए थे, उन्होंने वहां अपने कुछ अन्य साथियों के साथ सभा की। उन्हें अरेस्ट किया गया, मुकदमा चलाया पर कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया यह कह कर कि मीटिंग करना कानून के खिलाफ नहीं है। पर उनको नौकरी से निकाल दिया गया है। जो हक उनको कान्स्टीट्यूशन में प्राप्त है और उनके मातहत जो फन्डामेन्टल राइट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं उनको आप किस तरह से विक्टीमाइज करते हैं यह उसका एक नमूना है। भीलवाड़े का एक मानसिंह, पुलिस कर्मचारी, यादवसिंह, भैरोंलाल, नन्दलाल भी थे। उनको आपने डिस्चार्ज कर दिया। इनमें से एक अर्जुनदास को चार्ज शीट भी मिली है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि वे चूंकि अपने हक के लिये आवाज उठाते हैं तो आप उनको इस तरह से विक्टीमाइज़ करते हैं।

इसमें एक दूसरा भी केस है जिसमें इन मानसिंह, अर्जुनदास ने अर्जी दी थी एस. पी. हिरन के खिलाफ जो भीलवाड़ा में था कि इस. एस. पी. ने अपनी मोटर में सरकारी पार्टस लगा लिये हैं। इसमें ड्राइवर के भी दस्तखत थे जो उसका ड्राइवर था, वह कह रहा है कि सरकारी कारबुरेटर इस एस. पी. की कार में लगाली गई है। शिकायत की उन्होंने, एस० पी० की डी० आई० जी० के पास लिखित में। पर अब इस अरजी देने का नतीजा क्या होता है ? उन अरजी देने वालों को चार्ज शीट दी जाती है कि तुमने एस० पी० की शिकायत सीधी डी० आई० जी० को क्यों की, डिसिप्लिन क्यों तोड़ा, इसलिये तुम जवाब दो। जवाब मिलने पर उनको घर बिठा दिया गया। अब एस० पी० अपनी मोटर में सरकारी का-बुरेटर लाकर लगा देता है, उसमें उसका ड्राइवर गवाह है, अब उसकी शिकायत अगर डी० आई० जी० को नहीं करेंगे तो क्या एस० पी० को करेंगे ? वे डी० आई० जी० को कर सकते हैं। मैं तो इतनी बात कहता हूं कि एक छोटा पुलिसमैन जब ऐसी बात कहता है और लिखकर कहता है आई० जी० को तो जरूर इसमें सच्चाई होगी, तथ्य होगा, वह झूठी बात नहीं कर सकता है। यह पोसीबल नहीं है। जब तक डी० आई० जी० को लिखकर नहीं देता, जबानी कहता है, तो उसकी वकत नहीं, वह बात सच नहीं हो सकती। पर उस को विक्टीमाइज़ किया गया यह चार्ज उल्टा उस पर लगाकर कि तुमने एस० पी० हिरन के खिलाफ सीधा डी० आई० जी को क्यों मामला दे दिया। डाइरेक्ट कैसे एप्रोच कर लिया ? उसको घर बिठा दिया गया। यह चीजें हमें बताती हैं कि हम कहां हैं, हमने क्या प्रगति की है।

अब मैं और बताऊं। संघ बना। उसके जो प्रेसीडेन्ट बने थे उसको विक्टीमाइज़ करने के लिये जैसलमेर ट्रान्सफर कर दिया। अभी कुछ दिन हुए वह बीमार पड़ा है। पुलिस के लोगों ने २६ जनवरी को सारे राजस्थान भर में जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा आदि में हजारों पुलिसमैनों ने रिपब्लिक डे मनाया फास्ट रख कर, इस बात के लिये कि उनके जो कर्मचारी संघ के वर्कर्स हैं उनको विक्टीमाइज़ किया जाता है। जगह जगह के एस० पी० उन को बुलाकर कहते हैं, धमकियां

(श्री पी० के० चौधरी)

देते हैं कि इस संघ के मेम्बर मत बनो। उन्होंने २६ जनवरी को इस वास्ते उपवास किया था सारे दिन और ड्यूटी बजाते हुए किया था कि उनके संघ के कर्मचारियों को विक्टीमाइज़ किया जाता है। उनके संघ के मन्त्री जो लालसिंह थे उनका ट्रान्सफर बाड़मेर कर दिया गया है। प्रेसीडेन्ट जाता है जैसलमेर और सेक्रेटरी बाड़मेर। इनको तनखा क्लास ४ की मिलती है। पुलिस विभाग में यह रूल है कि क्लास फोर की तनखा पाने वाले को, १००) रुपये से कम वेतन पाने वाले को उसके डिस्ट्रिक्ट से बाहर ट्रान्सफर नहीं किया जावे। पर क्योंकि इन्होंने यूनियन बनाने की हिमाकत की इसलिये इस तरह से विक्टीमाइज़ किया जाता है। तो मेरा मतलब यह है कि डिपार्टमेंट है आपके हाथ में। वे गरीब हैं, छोटे रैंक के हैं। आपके हाथ में सत्ता है, आप उन्हें सता सकते हैं, उनका दूर दूर ट्रान्सफर कर सकते हैं। पर यह चीज ठीक नहीं है। इससे छोटे कर्मचारियों में असन्तोष फैलेगा। डेमोक्रेसी का तकाजा नहीं है कि आप उन्हें बोलने से रोकें, अपनी भावना को व्यक्त करने से रोकें, अपने फन्डामेन्टल राइट को इस्तेमाल करने से रोकें, यूनियन बनाने से रोकें। आप उनको न कुचलें। वे बहुत छोटे हैं। एक रोटी के लिये नौकरी करते हैं, उनके भी बाल-बच्चे हैं। आप उनको कुल चालीस रुपये की तनखा देते हो। इस पर भी आप उन पर तरह तरह की ज्यादतियां करते हो, उनके हक और हकूकों पर हमला करते हो। अपने हक और हकूक की हिफाजत के लिये वे यूनियन बनाते हैं इसलिये बनाते हैं कि उनकी महनतके पैसे का ऊंचे अधिकारी दुरुपयोग न करें। अभी बीकानेर जोधपुर वगैरह में रिपब्लिक डे मनाया जाता है। पुलिस वालों का एक फण्ड होता है जिसमें गरीब छोटे पुलिस कर्मचारियों की तनखा में से चन्दा लेकर दिया जाता है। उस फण्ड का पैसा ये उच्च अधिकारी इस तरह के जल्सों में बरबाद कर देते हैं। अपने पास से एक पैसा नहीं देते। इससे उन छोटे कर्मचारियों में दर्द होता है। अपने पैसे की हिफाजत करने के लिये वे यूनियन बनाते हैं, तो इस तरह से विक्टीमाइज़ किया जाता है, उनकी यूनियन को रिकॉग्नीशन नहीं देते। कहते हैं यह पुलिस रेगुलेशन के खिलाफ है। अगर ऐसा है तो मैं कहूंगा कि कॉन्स्टीट्यूशन के फन्डामेन्टल राइट के अगेन्स्ट में पुलिस रेगुलेशन नहीं जा सकता। इसलिये मैं कहना चाहता हूं माननीय मन्त्रीजी से कि इन बातों पर गौर किया जावे और जो फन्डामेन्टल राइट्स कॉन्स्टीट्यूशन ने सभी को दिये हैं उनको छीना न जावे। इसलिये उनको यूनियन बनाने की स्वीकृति दी जावे। रिकॉग्नाइज़ किया जावे। हां आप यह रोकथाम कर सकते हैं कि उसमें बाहर का कोई आदमी न हो। पोलिटिशिन्स उसमें न आने पावें। सेन्टर में भी ऐसा है, रेलवे की यूनियन है। सिर्फ उसमें रोक थाम इतनी है कि पोलिटिकल एक्टीविटीज़ में भाग नहीं ले सकेंगे, आउट साइडर को भाग नहीं लेने देंगे। ये रोक आप लगाइये। यह बात आपकी जायज़ है मैं मानता हूं। पर यूनियन बनाने से रोकते हैं, अपने हकों की हिफाजत करने से उनको रोकते हैं और इसलिये रोकते हैं कि आपके घरों मे वे आज झाड़ू लगाते हैं, आपके नाजायज काम वे करते हैं, उनकी कमाई में से काटकर दिये गये पैसे के फण्ड के पैसों को आप अपने मोज-मजे में उड़ाते हैं उन के खिलाफ वे यूनियन में आवाज उठावेंगे, मोटरों में सरकारी

Page No.50

(श्री पी. के चौधरी)

पार्टीस आप लगाते हैं वह हिम्मत करके वे लोग बता देते हैं, उनको आज तो आप डाइरेक्ट एप्रोच का नाम देकर सर्विस से बाहर निकाल देते हैं, पर यूनियन बनने के बाद निकालना आपके लिये मुश्किल हो जावेगा, आज जो भ्रष्टाचार ऊपर के अधिकारियों में फैला हुआ है उसका वे मुकाबला करना चाहते हैं। तो आज की इस सरकार के लिये जो डेमोक्रेसी में भरोसा करती है, जो आज अपने को जनता का प्रतिनिधि मानती है इस तरह के प्रयत्नों को प्रोत्साहन देना चाहिये कि जिससे यह भ्रष्टाचार समाप्त हो अब तो। इस बारे में मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा और निवेदन करूंगा कि वे जल्दी से जल्दी उन लोगों के बारे में इन्क्वायरी करें जिनको डिस्चार्ज किया गया है, जिनको गलत तरीकों से विक्टीमाइज़ किया जा रहा है और जिस तरह के ये काम हो रहे हैं उनको समाप्त किया जाये और उनको अपनी यूनियन बनाने दी जावे।

दूसरी बात, लेबर के बारे में कहूंगा। देशपांडे कमेटी की रिपोर्ट आई है सूती मिल मजदूरों के लिये। साल डेढ़ साल होने आया पर कोई एक्शन सरकार नहीं ले रही है। एक बार नोटिस निकला मीटिंग बुलाने के लिये, पर वह मीटिंग नहीं हुई और १॥ साल यों ही चला जाता है।

उद्योग नीति में सेटिस्फेक्शन बताते हैं। पर इसको अनेलाइज़ करते हैं, उसकी जड में जाते हैं तो दिखता है कुछ नहीं है, सब खोखला है और हमको बता दिया जाता है कि सब ठीक है और सुन्दर शब्दों में हमें खुश कर दिया जाता है। पर जिन पर इसका असर पडता है वे इन सुन्दर शब्दों से कैसे सन्तोष करेंगे? वे तो एक्शन देखते हैं। हकीकत में क्या काम किया गया, क्या ठोस कदम उठाया इससे उनकी भूख नहीं मिटेगी। यह कह देना भाषण में कि हमने अच्छा काम किया है काफी नहीं है। कोरे भाषणों से उनका पेट नहीं भरता। कन्क्रीट चीज चाहिये। आपका लेबर कमिश्नर खामोश बैठा है। उसे लेबर लॉज़ का ज्ञान नहीं है, उसने इस तरह के एस्टीमेट कमेटी के सामने बयान दिए हैं। कहता है ये लॉज़ मैंने पढ़े नहीं, पढ़ने की कोशिश भी तब तो करूं जब मुझे यह पता चले कि मैं इस पोस्ट पर परमानेन्ट भी हूं या नहीं, मैं कोशिश करूं पढ़ने की और जानने की और तभी मेरा किधर ट्रान्सफर हो गया तो क्या कर सकता हूं? यह एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट में लिखा है। जिसको लेबर लॉज़ मालूम नहीं और इसलिये पढ़ता भी नहीं है कि उसको यह पता नहीं कि वह इस विभाग में परमानेन्ट भी है या नहीं, यह बड़ी अजीब सी बात है। आर. ए. एस. में होते हुए भी आप तनखा उसे आई. ए. एस. की देते हैं। १,५००) रुपया आप उसको दे रहे हैं। आई. ए. एस, का ग्रेड है हजार से १,८००) तक। आप उसको स्पेशल ग्रेड देते हैं। जो पोस्ट होल्ड करते है उसकी ग्रेड है ७५०। आर. ए. एस. की है। तो वह यह डिपार्टमेन्ट कैसे चलावेगा और कैसे इन्डस्ट्रियल रिलेशन अच्छे होंगे यह मैं नहीं कह सकता।

दूसरी बात जो राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कही ज़ोनल कौंसिल के बारे में उसमें सन्तोष प्रकट किया है। कहा है कि समझौता हो गया है यह उससे हमें काफी फायदा मिलेगा। ज़ोनल कौंसिल से हमें जरूर

(श्री पी. के. चौधरी)

फायदा मिलेगा यह मैं मानता हूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, पहले भी कह चुका हूं, कि ज़ोनल कौंसिल का जो सिलेक्शन हमने किया है वह गलत किया है। हमारे माननीय मन्त्रीजी ने नॉर्दन ज़ोन में जाना पसन्द किया हैं। पर मैं कहना चाहता हूं कि इससे हमें फायदा नहीं मिलेगा। जो हमारी तरह ही एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जो हमसे गरीब हैं, कम्पली-मेन्टरी है उनसे हमें क्या फायदा मिलेगा। पंजाब इन्डस्ट्रियल प्रोविन्स नहीं है। न उनके पास फाइनेन्स है इन्वेस्ट करने के लिये, न इन्डस्ट्रियल स्किल और लेबर ही उनके पास है। एक तरफ हम बात करते हैं कि राजस्थान में इन्डस्ट्री को पनपाना है, बढ़ाना है। इसके लिये अगर वेस्टर्न ज़ोन को आप जोइन करते तो वहां से आपको फाइनेन्स काफी मिल सकता था, टेकनीकल स्किल मिलती, इन्ड-स्ट्रियल एडवाइज मिलती, सभी कुछ मिलता। आपके यहां के बड़े बड़े इन्डस्ट्रियलिस्ट वेस्टर्न जोन में जमकर बैठे हैं ससी। बम्बई में जाकर बैठे हैं। आपके उस जोन में जाने से आपकी इन्डस्ट्री का विकास होता। कौंसिलों का बनाने का ध्येय ही यह था कि ये जो अगल अगल स्टेटें हैं वे मिलकर It will become a economic unit self-sufficient in all respects; Inaustrially backward, industrially advanced, agriculturally deficit, agriculturally Surplus. यह सब मिलकर के एक सैल्फ सफिशियेन्ट यूनिट बनेगा और इसी आइडिया से हमने यह ज़ोनल कौन्सिल बनाया है। आज पंजाब में जाकर हमको कोई फायदा नही होगा। यहां हम चिल्लाते हैं कि ज्यादा करप्शन है तो मैं कहूंगा कि वहां तो और भी इससे ज्यादा करप्शन होगा। क्योंकि हम तो इतनी दूर बैठे हैं। पंजाब पार्टीशन के बाद एक नया प्रान्त बना है, उसमें कोई एक ट्रेडीशन नहीं है और इससे हमें कोई अच्छी चीज मिलने वाली नहीं है। इससे तो अच्छा था कि हम वेस्टर्न ज़ोन में जाते। इससे हमें काफी फायदा होता और हमारे प्रान्त में जो कई चीजों की कमी है वह पूरी हो जाती। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे मुख्य मंत्री जी ने जो यह ज़ोन की पसन्दगी की है वह चीज ठीक नहीं हुई है और अब भी अगर हो सके और उसको बदला जा सके तो बदलने की कोशिश करें।

१. ११ म० प०

इसके बाद में मैं इन्टीग्रेशन ऑफ सर्विसेज़ के बारे में कहना चाहता हूं। इसमें भी राज्यपाल महोदय ने संतोष जाहिर किया है, लेकिन मैं इसमें देखता हूं कि इन्टीग्रेशन ऑफ सर्विसेज़ में आज तक कुछ भी नहीं हुआ। यह रीसेन्ट इन्टीग्रेशन जो अभी नवम्बर, ५६ में हुआ इसकी तो बात छोड़िये मगर वह जो सन् ५० या ५१ के करीब इन्टीग्रेशन हुआ था उसको आज ८ साल हो गए उसका काम भी अभी तक खतम नहीं हुआ और इस इन्टीग्रेशन के बारे में राज्य-पाल महोदय कह रहे थे कि इन्टीग्रेशन के काम में प्रगति हो रही है। मैं कहता हूं कि उसमें कोई प्रगति नहीं हुई है। नवम्बर में मैंने एक सवाल पूछा था तो उसका जवाब यहां दिया गया कि इन्टरलेसड सीनियोरिटी की लिस्ट बन गई है। यह लिस्ट सेक्रेटेरियट में बनी है। जितना फिगर्स उनको देना चाहिए वह नहीं देते हैं। मैं समझता हूं कि इस बात पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए और जो काम आज तक भी इन्टीग्रेशन का पूरा नहीं हुआ है उसे जल्दी से जल्दी कराना चाहिए और नवम्बर में जो स्टेट का री-आर्गेनाइज़ेशन

(श्री पी. के चौधरी)

हुआ है वह तो और भी दस साल लगायेगा और इसका काम दस साल आगे बढ़ जायेगा। मैं तो कहना चाहता हूं कि जो मेरा सवाल था उस समय में मैं इस बात को ला रहा था कि हमको इसमें कैसे आगे चलना है। अब तक जो इन्टीग्रेशन हुआ है उसका नमूना मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि इन्टीग्रेशन किस तरीके से चल रहा है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने काफी समय ले लिया है और कई सदस्य बोलने बाकी हैं।

श्री पी के० चौधरी : अभी पांच मिनिट में खत्म कर दूंगा।

इन्टीग्रेशन आॅफ सर्विसेज़ में कैसे प्रगति हो रही है उसका मसला मैं आपको बता रहा हूं इन्टीग्रेशन आॅफ सर्विसेज का एक सर्क्यूलर डाइरेक्टर आॅफ पब्लिक रिलेशन्स की तरफ से उसमें लिए गए आदमियों के बारे में निकला है २२ जनवरी, १९५८ को, उसमें लिखा है, "Directorate of Public Relaitons: In supersession of this Directorate order No. Establishment /14/ so on of 3rd October, 1952 and in pursuance of the rules for selection of Government servants for fixation of seniority etc. date 30th November, 1952, the following appointments are made provisionally as a process of integration" याने जिनका ५२ में या ५४ में पोस्टिंग हुआ था आज उसको प्रोवीज़नल बताया जा रहा है। डाइरेक्टर आॅफ पब्लिक रिलेशन्स का जो पत्र एडवरटाइज़ किया गया है इसने सबके सबको २२ जनवरी, ५८ में जाकर प्रोवीज़नल डिक्लेयर कर दिया गया है। इसके बाद में अप्रैल को एक सर्क्यूलर निकाल कर इन सबको ओफिशियेटिंग बता दिया गया है। उन सबको आॅफिशियेटिंग बता दिया आज उनको बताया कि इन्टीग्रेशन आॅफ सर्विसेज़ में प्रोवीज़नल डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो इन्टीग्रेशन आॅफ सर्विसेज़ का मसला चल रहा है इसको देखते हुए तो मैं कहूंगा कि राजस्थान सरकार का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन है वह गलत तरीके से चल रहा है। यह लोग नहीं समझते हैं। लोगों के सात साल के बाद में कन्फर्मेशन आॅर्डर्स तो निकलते नहीं हैं और सात साल बाद कहते हैं कि सन् ५२ में जो कुछ किया गया था उसको सुपरसीड किया जाता है और अब ५८ में आकर यह कहते है कि आप प्रोवीज़नल हो। इस तरह से काम चल रहा है। तो इन्टीग्रेशन आॅफ सर्विसेज़ के काम के लिए तो मुझे कोई संतोष नहीं है। मैं समझता हूं कि इस बारे में खास ध्यान दिया जाय और खेद की बात इतनी ही है कि हमारे मुख्य मंत्री जी को मालूम ही नहीं कि इन्टीग्रेशन में क्या क्या चल रहा है। कल भी एक सवाल था और उसमें आप यह नहीं बता सके कि एडवाइज़री कमेटी के पास कोई शिकायत लेकर जाये तो उस कमेटी के परसोनल के नाम क्या हैं। अब बताइये इतनी इम्पोर्टेन्ट कमेटी जो कि सर्विसेज़ के मामले को निपटायेगी उसके पारसोनल के नाम हमारे मुख्य मंत्री जी को मालूम नहीं हैं। इन्टीग्रेशन का हमारी पार्लियामेन्ट ने एक्ट पास किया है और उसमें यह लिखा है कि सारी स्टेट के झगड़ों को निपटाने के लिए एक कमेटी रहेगी और उस कमेटी के परसोनल्स का नाम उनको पता नहीं है। मैं तो कहता हूं कि वह कमेटी ही नहीं बनी है, असल बात तो यही है। तो यह

(श्री पी० के० चौधरी)

जो काम इन्टीग्रेशन का चल रहा है वह गलत तरीके से चल रहा है और जब जब भी हम इसके बारे में सवाल लाते हैं तो उनका टीक ढंग से जवाब नहीं दिया जाता। हम तो चाहते हैं कि एक तारीख मुकर्रर हो जानी चाहिए कि उस तारीख तक पूरा काम हो जाना चाहिए और अगर उस तारीख तक काम पूरा नहीं हो सके तो then the person incharge must quit. याने जिस सेक्रेटरी को इस इन्टीग्रेशन का काम दिया जायगा और वह काम को पूरा नहीं कर सकेगा तो उस सेक्रेटरी को डिसमिस कर दिया जायगा। मैं तो कहता हूं कि उसको कह दिया जाय कि इन्टीग्रेशन का काम ६ महीने के अन्दर-अन्दर पूरा हो जाना चाहिए और तब जाकर के यह काम पूरा हो सकता है। तो सरकार को इस एटीट्यूयड से काम करना चाहिए कि एक टारगेट डेट फिक्स कर देनी चाहिए। इसमें ऑफिसर्स को भी इन्टरफियर नहीं करना चाहिए। इसके लिए रूल्स बना दो और उसको कह दो कि then you are incompetent. You will be reverted. तब हम देखते हैं कि वैसे काम नहीं होता है।

लास्ट में जो मैं कहना चाहता हूं वह लॉ एण्ड ऑर्डर की बात है। लॉ एण्ड ऑर्डर के बारे में राज्यपाल महोदय के भाषण में संतोष जाहिर किया गया है। मैं वैसे इसके बारे में कोई खास कमेन्ट्स नहीं रखना चाहता हूं। मैं वैसे हमारे होम मिनिस्टर साहब का ध्यान एक इन्सीडेन्ट की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं और वह डयाना का कांड हुआ है। उसके बारे में शिकार थाना के लिए वहां भरतपुर का एस० डी० ओ० एक वारन्ट इश्यू करता है एक रहीम खान नाम के ऊपर कि वह डयाना गांव से जा कर रिकवरी करेगा। सेक्शन १०० के अन्दर वारन्ट लाते हैं और मजिस्ट्रेट साहब वारन्ट इश्यू करते हैं और डयाना जो गांव है वह शिकार थाने के अन्दर होता है। तो दूसरा जो नगर थाना है उसका जो पुलिस सब–इन्सपेक्टर है वह उसको साथ लेते हैं, कान्सटेबल्स को साथ लेते हैं, पांच–छः मेवों को साथ लेते हैं, एक गूजर को साथ लेते हैं और तीन जनवरी को वहां पहुंचते हैं। एक जनवरी जो एतवार होता है उसको तो मजिस्ट्रेट साहब के यहां से वारन्ट इश्यू होता है और तीन जनवरी को गांव में जाते हैं और जाकर के लड़की टट्टी फिर कर जाती है उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। लड़की भाग जाती है तो लोगों को गांव में जा कर मार-पीट करते हैं। फिर वहां फायरिंग किया और गोली चलने से तीन आदमियों की डैथ हो गई। एक तो औरत को गोली लगी जो अपने घर के अन्दर दूसरी मंजिल पर थी, एक दूसरी गोली उसके बच्चे को लगी और तीसरी गोली एक आदमी के लगी जो कि अपने गवाड़े में काम कर रहा था और वह खत्म हो गया। तो इस तरह गोली चलाने के कारण तीन आदमी खत्म हो गए और १५ आदमी घायल हुए। इसके बाद में यह लोग वहां से चले जाते हैं। फिर क्या होता है कि ११ बजे करीब अलवर डिस्ट्रिक्ट का गोविन्दगढ़ के थाने का सब–इन्सपेक्टर है, वह जाता है और मेव और गूजरों को साथ में ले जाता है। वह हवा में फायरिंग करता है और गांव वालों को इकट्ठा करता है और गांव वालों की ११ बजे से ४ बजे तक अच्छी तरह पिटाई करता है। एक खानसिंह जो आदमी था उसका बूढ़ा पिता जिसकी उम्र ८५ वर्ष की थी उस लड़के की लाश के पास रो रहा था, उसको पकड़ कर के बन्दूक के कुन्दे से उसकी

(श्री पी० के० चौधरी)

कुटाई की। वह कुटाई ४ बजे तक चली जब तक कि वहां पर कलेक्टर साहब को खबर नहीं होती। कलेक्टर को खबर शिकार थाने का जो सब-इन्सपेक्टर था उसने की थी और वह लोग जाकर के जब पहुंचते हैं तो जो अलवर डिस्ट्रिक्ट का सब-इन्सपेक्टर था वह फिर वहां से भागता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह लॉ एण्ड ऑर्डर का नक्शा है। इस बात पर मुझे शर्म लगती है। खुद होम मिनिस्टर साहब दौरा कर आये हैं। हमारे मुख्य मन्त्रीजी भी कहेंगे कि एन्क्वायरी हो रही है। मेरा शर्म से सिर झुकता है कि इस राज्य में यह काम होता है। हम कहते हैं कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता के राज्य में यह चल रहा है और इस पर उसकी कोई एन्क्वायरी नहीं होती है। अभी परसों ही हमने अखबार में पढ़ा है कि जलन्धर में फायरिंग हुआ और एक जुलूस में फायरिंग हुआ और उस में पुलिस की फायरिंग से एक आदमी मारा गया और उसकी इन्क्वायरी के लिए खोसला कमेटी एप्वोइन्ट हो जाती है। वहां एक आदमी मर जाता है उसके लिए वहां इस स्टेट्स की एन्क्वायरी हो जाती हैं और यहां पर ३ आदमी मर जाते हैं और एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट की पुलिस जिसको कि कोई ऑथोरिटी नहीं है वह यह काम करती है और उसके बाद में ५ तारीख तक लाश हैण्ड ओवर नहीं की जाती है, फिर भी हम कहना चाहते हैं कि लॉ एन्ड ऑर्डर है। इस लॉ एण्ड ऑर्डर पर हम आपको शाबाशी नहीं दे सकते हैं, हम आपको कान्ग्रेचुलेट नहीं कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि इस मामले की हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस या जस्टिस ऐसे स्टेटस के आदमी के द्वारा एन्क्वायरी होनी चाहिए जो कि बराबर एन्क्वायरी करे। यह कोई एन्क्वायरी नहीं कि एक ए. डी. एम. एन्क्वायरी के लिए भेज दिया। They are all liable to influnces में समझता हूं कि जो गवर्नमेंट है उसको बड़ी शर्म महसूस करनी चाहिए। ऐसी बात हो जाती है उसके ऊपर अच्छी तरह से एन्कवायरी नहीं होती है। पंजाब की मिसाल हमारे सामने आती है। परसों शनिवार को दंगे में एक आदमी की पुलिस की गोली से डेथ हो गई है और फौरन ही खोसला कमेटी एप्वाइन्ट कर दी गई। यहां सारे गांव को इकट्ठा करके पुलिस जुल्म करती है, नादिरशाही करती है, मारपीट करती है और उसके लिए कोई एन्क्वायरी नहीं होती है और जो होती है वह ए. डी. एम. के द्वारा होती है। मेरी मांग है कि हाई कोर्ट के जस्टिस के स्टेटस की जुडीशियल एन्क्वायरी बिठाई जाय कि ऑथोरिटीज़ को अधिकार था कि वह उनको वहां भेज सकते थे, लेकिन उनके फायरिंग का कोई अधिकार नहीं था। एक दूसरे थाने की पुलिस आती है और बाहर के आदमियों को अपने साथ में लाती है। अगर अरेस्ट करने को ही गये थे तो सिर्फ पुलिस को जाना था, वहां मेव और गूजरों को साथ में ले जाने की क्या बात थी और वहां जाकर गांव में ऐसा करना यह चीज़ ठीक नहीं है। यह हमारी शान के खिलाफ है।

[समय समाप्ति सूचक घंटी]

हम समझते हैं कि यह हमारे लिए कलंक है। मैं चाहता हूं कि इस पर जुडीशियल एन्क्वायरी बिठाई जाय।

श्री तनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय–

श्री श्रीभानसिंह : मि० स्पीकर, सर····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों से मैं

Page No.55

(श्री अध्यक्ष)

निवेदन करूंगा कि संक्षेप में भाषण दें और कुछ नाम तो मेरे पास आ गये हैं और जो भी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं वे कृपया अपने नाम मेरे पास भेज दें।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : I rise to support the motion of thanks regarding address-regarding Governor's Address. But, Sir, we were reminded by the Governor about our responsibilities as the representative of the people. While I am aware and surely all the honourable members are aware about their responsibilities such repetitions loses their value. But I would have much preferred if the Governor had reminded the Government that they should make more use of this Legislature. It has rather been my experience of the last year that work done by this Government was more through Ordinances and we were called here just to pass the budget. While we talk of broad-basing democracy, we neglect the Legislatiure the thing at the Apex If we will not be utilising it in these days' when there is ample and urgent work and the Government continue to do its work through ordinances, this would be detriment 'to democracy because it gives an upper hand to the executive and bureaucracy. To-day Democracy is alien to our soil and if we want to establish and stablise it, we will have to utilise it. But we are ignoring its utilisation with the result that the value of the Legislature has been minimised and the bureaucracy is on ascendency. Even when the bureaucracy is on the ascendency, yet there is dissatisfaction in the administration and this reminds me of the satisfaction shown in the Governor's address at the Emergency recruitment. To-day, in the administration, there is discontent. It may not be on the surface. We may not be able to see it but it is there and I will refer that due to the new recruitment, about 50 Dy. S Ps. here, they are reverted. We should see to their services. As for instance I know one of the Dy. S. Ps. who has put in 8 years continuous service. He fought against the dacoits. He lequidated them, why ? With the distant hope that one day the Government will be pleased and will confirm him. But now to-day, what is his position ? He is reverted. I know of several other officers honest officers who have been true to their work and worked hard and served the Government, but all their efforts have been of no avail because they have been reverted by those taken during the course of Emergency recruitment. Is this the way to introduce the newly recruited and to replace the old faithful officers ? You are introducing discontent there, there is dissatisfaction with this policy it must be corrected and improved. Similary with the technical Departments. In the technical Departments, in P. W. D., people

Page No.56

(श्री श्रीमानसिंह)

without qualifications had been promoted as Executive Engineers. While Irrigation is also a technical Department. Their's are the same qualifications, same status, same pay but there, this binding is there that without technical qualification, they cannot become engineers-Irrigation Engineers. After all both are technical Departments. You must treat them similarly but somehow or the other I have no hesitation in saying that they waggle their way without commetting any fault. This needs, correction for this introduces discontent. Similarly I am told about the Cooperative Department. What is there? That once the Government had taken a decision that only graduates will be made as Assistant Registrars. That as soon as a decision is taken and at once changed and now some new entrants have been made as Assistant Registrars without having the requisite qualifications. These are the things that we must take note of. That those servants which have been honest and true, who have helped you, they have helped in implementing the plan, but how far they are satisfied. They must not be neglected. They are not articulate about their discontent and dissatisfaction but the discontent that lies hidden is more dangerous, than the discontent that is seen, because we can treat it; because the other is below the surface is unnoticed so I would like the Government to take notice of it. But, Sir, this time we must also look to the past. Last year, the Governor's address contained that Zamindari Abolition Bill will be placed before legislature and passed but unfortunately it was not. It was such an important legislation the Legislature was not made use of and this year we have also been promised but I am not sure whether this year also it will come on the Statute Book and those half people of Rajasthan who continue to be in service position, whether their position will be ameliorated. I would like to remind, that if we want to achieve the food targets, if we want to give impetus to the agriculturist, we must restore one half because the other half continue its peasant proprietor-ship and the other peasant proprietor ship is non-existant. I draw your attention to the condition in Bharatpur Distt. where density of population is 290 persons per sq. mile. If there such condition continue, if this Zamindari system continues and if the farmers continue to be exploited, to be bleeded by the landlords, how you can achieve your agricultural targets ? And on the other hand, their is sub-divisions, & fragmentation of land, indebtness, unemployment, everything is rampant, their only solution is the abolition of landlordism and the establishment of ceilings. I would like the honourable Minister to fix a deadline that we will pass the Zamindari Abolition Bill by this

(श्री श्रीमानसिंह)

and this time, we will impose ceilings at this time; because if you have granted a few the conditions of affluence, then the majority the 70 percent of people of Bharatpur only demand just the minimum subsistence; it is their right and they will demand it. Therefore, I would like that the honourable Minister should come out with a clearcut statement that this House will rise when it has passed the Zamindari Abolition Bill, when it has passed the Ceilings Bill, for it is not my demand, this is the demand of 10 lakhs of people that I represent here. It is their demand as today they are un-employed, they are starving. What is the alternative today ? There is the same old low production, indebtedness. They are all there as before.

My reading is this that our agriculture, despite all our measures of introducing improved seeds, implements, manure the agricultural economy, even after the feudal system has been abolished, it has not responded. We are incurring increasing expenditure, but the land, the agricultural economy, its response is nil. I do not know how food targets are achieved ? The conditions in agriculture remain the same. The fragmentation continues the sub-division is there and there is the landless labour which unfortunatly had been treated as untouchables in the Governor's Address There is no mention as to what the Government is doing for them what steps it will take to combat the problem of the landless labourers ? It does not mention. Similarly is the credit facilities. We are not told as to what will be the change or what gradual improvements will be introduced into the land revenue system. What changes will be introduced to render a balance between land, man and animal These are the problems which have been ignored. All these problems are existing where we have abolished the feudal system, with the result that the initiative of the farmer is not there, with the result that the investment in the agriculture is not there and because the conditions are not optimum, there is no savings left with the farmer. The food output or the food target can not be achieved and they have not been achieved, because only when we tackle these obstacles, these obstacles which prevent our agriculture policy from fructifying we must tackle them, the delay will defeat our purpose, can we hope to achieve our targets ? There is need for radical reforms. We must keep the gradualism aside. Only then, both the abolition of zamindari and these radical steps, these combined will make our agriculture economy respond to our increasing expenditure, will make it play its rightful role in our national economy.

Similarly, I cannot leave out

Page No.58

(श्री श्रीमानसिंह)

the irrigation from here. I will compliment the Government on their undertaking gigantic projects with huge expenses, the Bakhra, the Chambal and the Rajasthan Canal. When they are completed, when their waters flow to the fields to the parched fields of Rajasthan, and tuned them into smiling green fields, then I will congratulate government but for the present we have been so immersed in these gigantic schemes that we have lost sight of small things. I am referring to the minor and medium irrigation. None of these Bhakhra, Chambal or Rajasthan Canal will bring water to my district. They are craving only for minor and medium irrigation, the artisan wells, that will turn the district into agranary of Rajasthan. But unforfunately no expenses are incurred and there the agriculture still continues to be a gamble in the rains in this our plan for agriculture, which is the main stay of our development, the main stay on which we want to rais the standard of living of our people. Half of the national income comes from agriculture. But no we must go slow, we must go gradually. Ofcourse, gradualness may be good at some places, but here it is democracy, the economic democracy, which has to be brought to the doors of the Common man, the weak man and it is not being done.

Similarly, I was very happy at the news that rural credit is being integrated. But we should also see the past, as to how far our credit agencies have played their rightful role, have helped the cultivators; and I would say that let us hesitate no longer to admit that our credit agencies have failed, have failed miserably, and our taccavi loa-ns have deceived us. It is a very strong statement, Sir, but if you look into the statistics, only 3 percent loans are given through credit agencies and 97% loans are taken by the farmer from other private sources, like private money lenders, traders and middle men. They still continue to suck the blood of the farmers. Unfortunately, in the Governor's address, there is no talk of abolishing money lenders. After all, how can co-operative credit succeed, when it meets with opposition from private agencies ? But still we want to perpetuate them. Only 3 percent of the credit needs of the farmers are met by these agencies and 97 percent by middle men and exploiters. Therefore, we must reorganise our co-operative societies and we must bring in trained personnel, so that things can advance. What is happening that these Co-operative Inspecetors, urban-minded, they go to the village and stay there; with whom ? with the village leader, who is the rich man, and who gives them the facility to stay, there they make a co-operative society

(श्री श्रीमानसिंह)

of the rich people. What is the aim of our loans ? When we give loans from credit co-operative societies, or otherwise the aim is to make the weaker man strong; while unfortunately it has been the reverse. It has made in the villages the strong man stronger and the weak man weaker. This is rather not a pleasant statement, but if we look that out of 100 people, 70 people are the poorer, weaker people, who contribute 40 percent of agricultural production, and how many co-operative societies are there ? Rather nil for them. What have our taccavi loans done for them ? They have not gone to the poor man. Besides being inadequate about Rs. 100 to 300, this is all the sum we give, besides being inadequte, our taccavi loans have not gone to the right persons, the weaker persons who need them, the men with small holdings. It has not touched them. We live in a commonwealth, but unfortunately there is no wealth for the Common man. We have not organised our agencies for the weaker people, for the poorer sections of the Society. We want to make strong stronger. We must reorganise our co oprative' movement, our rural credit with rural mindness and that rural mindedness must be there in the way that the weak man get the taccavi loans, that the co-operative credit is supplied to the weaker sections, so that they may be stronger.

I can say and show that we have organised village leadership camps but if we analyse the six years of democracy, honourable members will excuse me when I say that democracy has not thrown up into power any weaker man at the village level but the stronger man, money lender, the trader or urban people. They have played their part and wrong men have been thrown in power and when our Social Welfare Officers, our Co-operative Inspectors, our other Welfare workers, when they go to the villages, they stay with these men, these wrong men who have come in power. Then that, urban mind with the urban finance and thinking of urban facilities, how can it support the weaker men ? These we have to radically reorganise. We want our agriculturist to take their rightful place. We have to radically reorganise the agricultural system, the organisation of better credit methods and we have to organise our rural credit with a rural mind and leave out these urban vices. Now, coming to the gratification shown at the low prices. I have talked of the urban mind and only urban mind can show gratification at the low prices that are prevailing now. After all when we admit that 70 or 80% live in villages. To-day about Bharatpur, I can say that prices are Rs.9-Rs. 10/- per md. of

(श्री श्रीमानसिंह)

wheat and the seed that they purchased was at about Rs.16-Rs.17/- per md. and the seed given by the Agriculture Department is also on Sawai basis. Now at this Rs. 9/- Rs. 10/- who will benefit, those people who draw fixed incomes, salaried classes, say, the middle men, say the urban people or the tradesman who has gambled; they may benefit but not the farmer. That gratification should have been shown by the Government through an endeavour to stablise the prices. While increased prices are bad but decreased prices are detrimental. Inflation and deflation both are worst for our economy and we have to check it. What we want is stability. The Government will have to come into the market and will have to ensure that the farmer gets his due earning.Then stability of earning. The Government will have to enter into the market and if the prices continue to be law. Surely take it, that the famer will cohtinue to be born in debt, to live in debt and shall die in debt. Therefore, I request you that this time when yeu take steps, that you come into the open market, that you purchase wheat and restore the prices i. e. what has been first planned. That while the prices were high, our agriculture economy refused to invest the requisite finance and that had to endanger the savings the prices continue low. He will not be able to invest in this conditions and if there is no investment, there will be no higher production. If there is no saving where from will the farmer purchase the implements, improved seed and manures? Therefore the vital need of the farmer is saving and savings can only be guaranteed when we stabilise the prices, when we stabilise themat such level that it is profitable to the farmer, then only we can guarantee the response of the stagnant economy i. e. Agriculture. Thus, after having dealt with Agriculture, I come to the law and order problem, and about law and order gratification was shown; that law and order has been established satisfactorily in Rajasthan. But, Sir, the District I come from, where of course, law and order is idealist word, there is rape, there is murder, there is theft, there is dacoity all round and if by law and order, Government means indiscriminate firing, I believe, then there is certainly law and order and if we view law and order rightly then, 35,000 were stolen in Ujjain town and there is no news. 45,000 in weir and there were other minor dacoities and then we talk of law and order. To-day, in Nadbai and Bharatpur tehsils, there is a systematic ejectment, systematic murder. I refer to the position of schedule Castes to which reference was made here that they are being ejected. Their women are maltreated and the police is making wrong representation. That

(श्री श्रीभानसिंह)

is the law and order and their confidence that they have in law and order. Let us ask in democracy in people's Government, when this is their condition, for that, I ask, you see, I request the Home Minister to have mercy on them and give them stability. It is not by spending money, it is by spreading education. It is by taking steps against those orthodox castes, and those people who have turned like them. Similarly indiscriminate the peple many people were shot, women were killed and it is then supposed that law and order was restored. No enquiry was conducted. I had placed the facts here and the former Speaker before me assured that there should be a judicial enquiry and I demand it in order to establish confidenec in force of law and order. Even if you are right, in order to establish law and order in the eyes of other people, you must have an impartial judicial enquiry. Sir, one of the points left out in the Governor's address is regarding the Judiciary. Some how or the other, I am one of those believers that through the cover of impartiality and independence judiciary is above our criticism, while for this and for every thing the Legislature has right to review the working of the judiciary and my experience shows that to-day the greatest check to our democracy and progressive method is the judiciary. It has, to-day failed us, if I may say so because those independent and impartial judges, if we take the poor men, it is they; who have lost confidence in the justice. You may tell them that judiciary is independent, that it is impartial but he has no faith. He has lost such a faith in our judiciary because it is unduly weighted against him. It is not within thereach of the common people. our farmers, they cannot even go for it, the poor cannot avail it. They cannot come upto Jaipur. We have to do away. Judiciary needs radical reforming. With this the pulls and influences must go and some law or the other justice must be restored. There is no reference in the address as to what the State Government is thinking about judiary. Probably because it is importial, probably they are independent, we are not taking any steps. Therefore, I would like that the Government must, make justice cheap, do some thing for bringing it within the reach of the common people, majority people, it is not unduly weighted with its Hierarchy of Appeals. That the affording riches can go, with their cases to the Supreme Court. These defects should be remedied. Judiciary should be brought nearer to Poor people, our farmers and common people. I take now education, Sir, I was with anxiety expecting that there will be a declaration that the Government is taking steps to introduce free and

(श्री श्रीमानसिंह)

compulsory primary education. Secondly, education or for that matter if I even take the Health together, what steps has the Government taken in Health. Regarding Bharatpur hospital, people can die, no body cares for them, they are not given available medical treatment; no proper treatment is undertaken and still there are no steps taken. Ladies die due to neglect of officer, ladies die for want of care. Enquiry is made but no steps are taken, no care is taken; no efforts are made, no notice is taken. This is the condition of our health.

For 10 lakhs people, last year the Government was kind enough to give one Aushadhalaya; one Aushadhalaya for 10 lakh people. Distribute that one Aushadhalaya, its benefits, its medicines that it will give to 10 lakhs of people and be satisfied, but these people are silent.

Similarly regarding education, 600 schools were opened. Even if you look to the targets that you have placed, in five years 5000 schools are to be opened; therefore, 1000 schools per year is the target that should have been achieved, but 400 schools below the target. I am unable to understand as to how the targets will be achieved in the last years of the Plan if we are proceeding at this rate. Either we must be told clearly that the Government has revised its educational plan and it has placed the targets lower, or we must be told why these schools were not opened. We cannot continue like this. Today people have no hesitation in paying you taxes, but they want amenities, they want social security, they want education, and want expenditure we are incurring is more in the urban areas than in the villages. The childeren of the villagers are not getting education. They want atleast to know as to how much time you will take to educate them, to enlighten them. The Government should come out with a clear-cut policy that this is our deadline and from that date we will intorduce free and compulsory education. After all, is it no obligatory on the Government to give it ? It is my right to be educated, I must know as to what things are. If the people of our country, our State, continue to be illiterate, I can assure you that illiterate democrats will never be able to defend our democracy, beacuse they do not understand its benefits, they do not understand its rights. They cannot organise themselves and they cannot express themselves, and when these illiterate democrats cannot express themselves, they fail to achieve their personality; they fail to achieve their individuality which is our aim, which is the

(श्री श्रीमानसिंह)

aim of our plan. The whole summum bonum of our programmes is the development of human personality but the development of human personality is being deplorably neglected.

They want to know, at least the people in Bharatpur, those 10 lakh people want to know as to when their children will be educated ? When you will give them free and compulsory education ? There should have been a clear cut declaration that by this year we will introduce free and compulsory education.

Similarly we are haphazardly introducing secondary schools, multi-purpose schools, technical education, medical and what not, but if I ask the hon. Education Minister : Have you got a plan ? Have you co-ordinated your schemes ? Side by side with these primary schools, there are basic schools and there is antagonism between the two, but even then we must have them. After basic schools what next ? You cannot answer what next, where the children will go; probably to the secondary school, but after that what next ? To University. But after having done some course in secondary schools, will he reappear in same subject in University ? Will the University take a man educated in crafts, for arts ? So there must be integration, there must be a scheme as to how these new patterns of education-basic schools, secondary schools, multipurpose schools and other technical institutions, are going to be integrated, how they have been dove-tailed in to each other, so that those who want to continue their studies at the highest, may continue, and those who want to leave in the middle may leave and join other institutions. But we do not know. In this important field, it is very important that we must have an integrated plan.

Lastly, Sir, I would only with in two minutes touch the point of unions, and I would request the Home Minister that these IV class servants, policemen, constables, they must be allowed to form unions. I cannot express myself in better terms than this, that denial to them may be on grounds of their been essential services, this point I will not touch at the moment, but the denial to them to form associations is that you are denying them the creative side of their personality. After all, we all become members of certain clubs, certain associations. Why ? Because we know that it give us personality, it enriches our personality. They are forming a union to make their wants articulate, to let you know what are their grievances, and if you suppress this expression, that is not a correct remedy. If you deny them the opportunity to express

Page No.64

(श्री श्रीभानसिंह)

their wants, then you deny them the achievement of their personality, you frustrate their personality, you deny them their right of expression. Therefore, in order that they may make their wants articulate, we must not refuse them the expression of their wants before they become demands. It is essential that they must be given the fundamental right to form unions.

(श्री तनसिंह, श्री मदनसिंह व अन्य सदस्यों के बोलने के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह ।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो राज्यपाल ने भाषण दिया है उसमें मैं सबसे पहले चिकित्सा के विषय को लूंगा, क्योंकि अभी अभी आज ही हमारे सदन में एक माननीय मन्त्री महोदय ने बाड़मेर में उत्पन्न होने वाली स्थिति पर वक्तव्य दिया था।

मेरा निवेदन है कि चिकित्सा के क्षेत्र में जितनी प्रशंसा की बातें की जाती हैं जितनी व्यवस्था की बातें की जाती हैं, जितनी औषधालय खोलने की, नये कार्य करने और आयुर्वेदिक कार्य क्रम के प्रसार करने की बातें बताई गई हैं वे केवल आंकडों की बातें हैं। वास्तव में सरकार कितनी जागरूक है वह माननीय मन्त्री महोदय के आज के वक्तव्य से स्पष्ट हो चुका है। कुछ मांगों को ले कर ५-१-५८ को भूख हड़ताल का नोटिस दिया गया और चेतती है हमारी सरकार २२-१-५८ को जब करीब १० दिन बाकी रहते हैं भूख हड़ताल होने में, उस समय जागती है और उस समय एक व्यक्ति को एपोइन्ट करती है कि जांच करे और जांच कर के रिपोर्ट दे। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि सरकार इस बात की इच्छुक नहीं है कि लोगों की क्या शिकायतें हैं, हम क्या करते हैं और उनके बारे में हम क्या कर सकते हैं। बल्कि सरकार चाहती है कि जितना हमारा आलस्य और प्रमादीपन है, उसके कारण जो चेतना जनता में होनी चाहिये, और उस चेतना के बाद उसकी जो प्रतिक्रिया होती है, उनको दबाया जाय और अपने बड़प्पन और महत्ता को बनाये रखे। पर सरकार की महत्ता इस जनतन्त्र के जमाने में इसमें नहीं हैं कि भूख हड़ताल होगी तो दबा देंगे, एक स्टेटमेंट दे कर उसे दबा देंगे, या यह कह कर उनकी मांगों को दबा देंगे कि उनकी मांगें उपयुक्त नहीं हैं। उनके वक्तव्य में स्पष्ट कहा था कि या तो हमारी मांगें पूरी की जांय या माकूल जवाब दिया जाय। मुझे खेद है कि आज मन्त्री जी बताते हैं कि उनको माकूल जवाब दिया गया है।

१·५८ म० प०

(श्री निरन्जननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मैंने उनसे मालूम किया तो पता चला कि कोई उत्तर कलेक्टर ने इस प्रकार का नहीं दिया। आज भूख हड़ताल प्रारम्भ होने पर दोनों ओर से उत्तर दिये जा सकते हैं। आज एक छोटी सी बात के लिये चार पांच आदमी भूख हड़ताल कर रहे हैं। एक मामूली सी बात को ले कर वहां पर लाठी चार्ज हो रहे हैं और गिरफ्तारियां की जा रही हैं, और इस तरह एक छोटी सी बात को लेकर सरकार जान बूझ कर लॉ एन्ड ऑर्डर को अस्तव्यस्त करा रही है और खेद इस बात का है कि

(श्री तनसिंह)

एक मामूली सी बात के लिये सरकार यह सब कर रही है जिसको मीठे शब्दों से तालवे के गुड़ लगा कर कहा जा सकता था कि सारी बातों को ठीक कर रहे हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं। इतनी हिम्मत भी सरकार में नहीं, इतनी जागरूकता भी सरकार में नहीं, जागती है तो इसलिये जागती है कि इसकी कुर्सियां किस तरह सुरक्षित रहें, कुर्सियों के लिये भागदोड़ हो रही है। राजस्थान में रहने वाली जनता का क्या नसीब होगा, इसकी चिंता का कोई साधन सरकार के सामने नहीं। वह खुद इस बीमारी से पीड़ित रहती है कि ऐसा नहीं हो कि कहीं कुर्सियां हमारे हाथ से निकल जांय। उन कुर्सियों की रक्षा के लिये शब्दों से, भाषणों से, वक्तव्यों से यह बताने की कोशिश की जा रही है कि कुछ नहीं है। हम इसकी जांच करेंगे। ५ तारीख का नोटिस है अधिक से अधिक १० तारीख को आपके पास पहुंच गया होगा; १० तारीख को देख रहे थे कि भूख हड़ताल होने वाली है, तो सरकार के लिये यह आवश्यक था कि इस ओर ध्यान देती। आप कहते हैं कि पत्थर फेंके, लाठियां भी चल सकती हैं, पर इसको रोकने के लिये १० तारीख से आपके पास समय था, आपको इसे रोकने के लिये कार्यवाही करनी चाहिये थी, पर मुझे खेद है कि सरकार उस समय तो परवाह नहीं करती और परवाह तब करती है जब सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती।

लोगों के प्रेसर को जब बर्दाश्त नहीं कर सकते तब जाकर घुटने टेकते हैं। अगर किसी आन्दोलन के सामने सरकार झुकती है तो यह उसकी प्रेस्टिज़ का सवाल है, लेकिन मैं तो कहता हूं कि प्रेस्टिज का सवाल तो तब पैदा होना चाहिए जब कि सरकार स्वयम् सही रास्ते पर हो और किसी अप्रिय स्थिति को आसानी से रोका जा सकता था तो क्यों नहीं रोक दिया जाय ?

अब इसके बाद, मैं निवेदन करूंगा कि अब भी समय लम्बा नहीं है, वक्त अब भी ज्यादा नहीं गुजर गया है। वे इस स्थिति का सुधार कर सकते हैं यदि इस माने में प्रयास किया जाय। वे उन्हीं लोगों के प्रतिनिधि हैं और यहां हुकूमत करते हैं, वे उन्हीं लोगों के प्रतिनिधि के रूप में होकर उन्हीं के प्रति उत्तरदायी भी हैं जो कि आज मांगें मांग रहे हैं। यदि यही भावना हो जाय तो कोई मुश्किल नहीं है कहीं भी कोई झगड़ा हो उसको सुलटाने में। जब सैकड़ों और लाखों रुपया बरबाद कर दिया जाता है तो और जिस तरह से थोड़ी मीठी बात कह कर जिस प्रकार यहां प्रश्नों के समय में झांसा दिया जाता है तो उसी प्रकार बाड़मेर के लोगों को भी दिया जा सकता था और जिसे देने में क्या कठिनाई आ सकती थी।

अब मैं आपका ध्यान राज्यपाल महोदय के भाषण के मुख्य अंगों पर आकृष्ट करना चाहता हूं। भारतवर्ष को आजाद हुए काफी समय हो गया। हम यही सोचते थे और और सोचते जा रहे हैं कि हमारे दृष्टिकोण में हिन्दुस्तान के आजाद होने के पश्चात् कोई परिवर्तन होगा। लेकिन खेद का विषय है कि जब अंग्रेज भारतवर्ष को छोड़ कर चले गये तब भी जो अंग्रेजों के शासन चलाने का ढंग था उसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। अंग्रेजों का भारतवर्ष में शासन करने का जो तरीका था वह यह था कि यहां की जनता का शासन द्वारा विकास हो अथवा न हो इसकी उसको कोई परवाह नहीं थी। उनका तो एक मात्र यही ध्येय था कि इस देश में गुलाम

(श्री तनसिंह)

पैदा किये जायं और इसीलिए उन्होंने शिक्षा में परिवर्तन करके गुलाम पैदा करने की कोशिश की। स्कूलों में, शिक्षणालयों में शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करने का एक मात्र यही ध्येय था कि गुलाम पैदा किये जांय और इसी शिक्षा के कारण इन शिक्षा संस्थाओं से निकलने का मतलब यही रहा कि ज्यादा से ज्यादा नौकरियों में जाकर सुपरिन्टेन्डेन्ट बनें, क्लर्क बने और इधर उधर की नौकरी लेकर कुछ भी बन जांय। उस शिक्षा में एक स्वतन्त्र भावना न रख कर केवल गुलाम बनाने की ही भावना निहित थी: यही शिक्षा पद्धति में परिवर्तन का उनका मूलभूत उद्देश्य था। अंग्रेज भारतवर्ष से निकल गये लेकिन उनका जो दृष्टिकोण था उसमें अब तक कोई यहां परिवर्तन नहीं आया है, केवल एक शिक्षा पद्धति का ही सवाल नहीं है। सोचने के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन नहीं आया है। उसके बाद शिक्षा पद्धति को जरूर बदला, बेसिक एजुकेशन और सेकन्डरी एजुकेशन शुरू की। लेकिन फिर भी आज जो कुछ शिक्षण का कार्य हो रहा है वह इतना नगण्य है कि मैं आपको अपने गांव का ही उदाहरण दूं। बाड़मेर में मल्टीपर्पज़ स्कूल है जिसमें जुलाही का काम सिखाया जाता है। वर्ष निकल गये लेकिन उस स्कूल में अध्यापन कराने के लिए कोई नहीं पहुंचा। दो वर्ष का शिक्षण भी पूरा हो गया लेकिन जो बच्चे शिक्षण प्राप्त करके निकले अब वे कहां जांय? यह प्रवृत्ति है। यह न सरकार से हल होती दिखाई देती है और न इसके लिए सरकार के पास कोई उत्तर है। हमारे सामने बहुत से बिल आते हैं, विकास की बहुत सी योजनायें आती हैं, हमारे सामने यह कहा जाता है कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और इस कृषि प्रधान देश में सच्चा स्वराज्य तब ही होगा जब गांव के लोग यह महसूस करने लगें कि वास्तव में उन्हें अब स्वराज्य प्राप्त हुआ है, स्वतन्त्रता प्राप्त हुई है। लेकिन खेद की बात है कि गांवों के लोगों में संरक्षण पैदा नहीं हुआ है, गांवों के लोग वास्तव में सन्तुष्ट नहीं हुए हैं कि वास्तव में यह राज्य हमारा है। मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि हमारे यहां चाहे मेडिकल कॉलेज के सिलसिले में, चाहे चिकित्सा के सिलसिले में, एजुकेशन के सिलसिले में, पब्लिक एमीनिटीज़ हों उस सिलसिले में जो कार्य किये जाते हैं और किये गये वे इस दृष्टिकोण से किये गये, योजनाबद्ध यह कार्य चला जिस प्रकार की अंग्रेजों के जमाने में चलता था। यदि राजस्थान की आबादी की ओर आप ध्यान दें तो आपको मालूम होगा कि राजस्थान की १ करोड़ ६० लाख की आबादी है और उसमें से १ करोड़ २० लाख व्यक्ति गांवों में रहने वाले हैं, राजस्थान की आबादी ८० प्रतिशत से भी ऊपर गांवों में रहने वाली है। बीकानेर में मेडीकल कॉलेज खोल दें लेकिन मैं तो यह कहूंगा कि मेरे मित्र के कुचेरा गांव में ही खोल दिया जावे। लेकिन लोग बातें सुन कर हंसेंगे। क्या युनिवर्सिटी गांव में नहीं खोली जा सकती है, क्या बड़े बड़े अस्पताल गांवों में नहीं खोले जा सकते हैं; क्या केवल शहरों में ही खोले जा सकते हैं? चिकित्सा के आंकड़ों को देखें तो आपको मालूम होगा कि जो आबादी राजस्थान के विभिन्न शहरों में है वह कुल मिलाकर करीब २६ लाख है, २६ लाख की आबादी शहरों की है और १ करोड़ ३० लाख की आबादी गांवों की है। यदि अस्पतालों की संख्या देखें तो आपको मालम होगा कि

(श्री तनसिंह)

१६० अस्पताल शहरों में है और ७१ गांवों में। डिस्पेन्सरीज़ को देखे तो मालूम होगा कि नाम मात्र के लिए ये खड़ी की हुई हैं। पूर्ण रूप से सुविधा नहीं है, न तो पूरी दवाइयों की सुविधा है, न पूरी डाक्टरों की सुविधा है। अनुपात में विशेष अन्तर नहीं है। ७४ शहरों में हैं तो ६७ गांवों में। रोगियों के बेड्स संख्या देखिये कि सारे ६,६०० हैं, उनमें से ६,१०० शहरों में हैं और ४५२ हैं गांवों में। यह है मेडिकल फेसीलिटीज़ देने का हाल। मेरा कहना यह है कि आज गांवों में अधिक विश्वास प्राप्त हो सकता है वह साइन्टिफिक आधार पर, इस आधार पर हो सकता है कि हम उनकी सुविधाओं का ध्यान रखें और जो स्वास्थ्य सुविधायें प्राप्त नहीं कर रहे हैं इसका बहुत कारण हम स्वयम् हैं और उस कारण को यदि मैं स्पष्ट करूं तो यह प्रतीत होता है कि शहरों में लोग इलाज के लिए जाने का प्रयास ठहरने आने जाने और उनके द्वारा वहां व्यवस्था करने का जो खर्चा आता है उसके लिए साधारण आदमी सोच नहीं सकता है और उसको वे ही सोच सकते हैं कि जो इसके भुक्तभोगी हैं। जिन लोगों को इलाज कराना होता है तो इस प्रकार की कठिनाइयां उठा कर भी शहरों में जाकर इलाज कराते ही हैं। यदि गांवों में बीमारी बिना इलाज के ही अपने आप चली जाए तो उसको तो अच्छा माना ही जाता है। यदि आदमी बिना दवाई के मर रहे हैं तो इतना मान कर ही संतोष कर लेते हैं कि देवी देवताओं पर टिके रह कर या कंकण बांध दिया उससे ठीक हो रहा हूं, यदि मर भी रहे हैं तो भी संतोष हो जाता है कि ठीक मर रहे हैं। इसके लिए अन्य विश्वास भी कितना अच्छा उनके लिए होता है। जो इस ओर ध्यान नहीं देते हैं तो वे इसके जिम्मेदार हैं। गांवों का शोषण करके सारा रुपया लेजाकर शहरों में खर्च करते हैं उनको इस विषय में सोचना चाहिए, उनकी इस ओर जिम्मेदारी है। सारे राजस्थान की इन्कम को देखें तो पता चलेगा कि सबसे बड़ी इन्कम पर-केपिटा है वह रूरल पोपुलेशन पर ६) है। यह तो लैंडरेवेन्यू की इन्कम है। ६) परकेपिटा इन्कम है उसके मुकाबले में और दूसरी कोई इतनी इन्कम नहीं है। अगर सारे पापुलेशन (आबादी) की इन्कम को लिया जाय तो वह ४.१७ रुपया आती है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि आमदनी का सबसे बड़ा हिस्सा गांवों से प्राप्त होता है और यदि आप मुलाहिजा करें कि इन्कमटेक्स, एग्रीकल्चरल इन्कम टेक्स, सेल्स टेक्स ये और भी तो साधन हमारी आमदनी के हैं, वे क्या हैं, उसके लिए तो स्पष्ट रूप से प्रतीत होगा कि गांवों से होने वाली इन्कम सबसे बड़ी है और शहरों से होने वाली इनकम सब से कम। लेकिन जो खर्चा और सुविधा शहरों को मिल रही है वह गांवों को नहीं मिल रही है।

सन् १९५१ में जो जन गणना हुई उस जन गणना के अनुसार हमारे राजस्थान में कुल आबादी १ करोड़ ६० लाख है और उसमें से १ करोड़ ११ लाख व्यक्ति खेती पर निर्भर रहते हैं और केवल ४८ लाख ऐसे व्यक्ति हैं जो खेती से जीविका नहीं कमाते हैं, आबादी का सत्तर प्रतिशत गांवों में रहता है और खेतों पर निर्भर है और तीस प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो खेती के अतिरिक्त धंधा कर अपनी जीविका पैदा करते हैं, इतना होते हुए भी हमारी राज्य सरकार की जो व्यवस्था है वह व्यवस्था इस प्रकार की

(श्री तनसिंह)

है जिसका गला तगडा हो, यदि निर्बल के गले में फांसी नहीं आती है तगड़े व्यक्ति को फांसी पर चढ़ा दिया जाय, इस प्रकार अन्धेर नगरी की व्यवस्था हमारे राजस्थान में हो रही है। सब से ज्यादा लोग हमारे गांवों में रहते हैं और खेती पर गुजर बसर करते हैं। हम आजादी से पहले यह कहा करते थे सच्चा स्वराज्य ग्राम राज्य में है। गांवों की जनता का सच्चा विकास हमारा विकास है, अगर यही होता तो आज जो लैन्ड रेवेन्यू ली जा रही, बिगोडी काश्त करते हैं उस पर भी आमदनी का पूर्ण रूप से टेक्स लिया जाता है, लेकिन शहर वालों के लिये क्या है कि अगर तीन हजार आमदनी होती है तो उन पर इन्कम टेक्स नहीं लगेगा। गांवों के लिये तो तीन हजार बहुत बड़ी बात है तीन रुपया भी अगर अकाल ग्रसित क्षेत्र नहीं हुआ तो भी बिघोडी वसूल करने का हक है।

इसी प्रकार उद्योग-धंधों की बात ले-लीजिये, आखिर उत्पादन तो खेती द्वारा ही होगा। सीलिंग कमिटी की रिपोर्ट आती है, तेजी से उस पर कानून बनाने के लिए आतुर हैं; आप गांव वालों पर इतने आतुर क्यों हैं। सीलिंग लगाने के लिये; आप पूंजीपतियों पर सीलिंग मुकर्रर क्यों नहीं करते ? आप चाहते जरूर हैं कि गरीब आगे बढ़ें किन्तु इतना नहीं बढ़ें कि उसके पास जरूत से ज्यादा पैसा हो जाय। इस जमाने के अन्दर एक साधारण श्रेणी वाला व्यक्ति भी तेज चलने वाले व्यक्ति की समानता करने का अधिकार रख सकता है। क्या एक गांव में रहने वाला व्यक्ति चीफ मिनिस्टर की कुरसी पर बैठने की इच्छा नहीं रख सकता; उसकी इच्छा को सामान्यतः और वैधानिक इच्छा मान सकते हैं, लेकिन जहां तक अपोच्युनिटीज़ का सवाल है उन लोगों को सुविधायें हैं जो आपके साथ हैं और आपके लोग हैं। जो गांव के लोग हैं यहां आकर बैठ जाते हैं, उनमें भी गांव की प्रवृत्तियों की ओर रुचि नहीं रहती। आप यह चाहते हैं कि गांव के लोग भी जमाने के अनुसार चलें, एक तरफ तो गांव वालों पर सीलिंग लगा रहे हैं और दूसरी ओर आप यह चाहते हैं किसानों को यहां लाया जाय। यह कैसे संभव हो सकता है ? आज हमारे यहां जो चुनावों के नियम हैं उनके अनुसार छः हजार रूपया चुनावों में खर्च करना जायज माना गया है। छः हजार रुपये तक खर्च करता है तो उसको बड़ा खर्च नहीं माना जाता, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आप और हम सब यह जानते हैं कि चुनावों में छः हजार से कितना ज्यादा खर्च होता है और किस प्रकार से रिटर्न्स बना कर भेजते हैं और जहां कोन्टेस्ट तगड़ा होता है वहां पर तो कई हजार बिना काम नहीं चल सकता, यह सब होते हुए भी कम से कम ६ हजार रुपया ही समान्यतः खर्चा मान लें, तो क्या एक किसान, जिस पर सीलिंग लगने जा रहा है, जिसकी आमदनी आप २४०० रुपया सालाना मानते हैं वह घर का खर्चा निकाल कर अपने बच्चों कि लिखाई; पढाई, शादी-विवाह आदि के खर्च को निकाल कर क्या ६ हजार रुपया पांच साल में इकट्ठा कर सकता है और फिर पांच साल के बाद उस रुपये को खर्च कर क्या चुनाव लड़कर यहां आ सकता है ? यह कदापि संभव नहीं है। क्या इस तरह से गांव वालों के हाथ में ये कुर्सियां आ सकती हैं ! यह कल्पना करना भी हास्यास्पद है। मैं निवेदन करूं सीलिंग लगाना कोई खुशी की बात नहीं। इस पर भी आप यह उम्मीद करें कि हमारे गांव वाले के पास मोटरें होंगी,

(श्री तनसिंह)

रेडियों होंगे, उनको हर प्रकार की सुविधायें होंगी, इस प्रकार की कल्पना करना हास्यास्पद ही होगी। आजादी मिलने के सात-आठ वर्ष बाद भी, जब से हमारी विधान सभा चल रही है, इतने अरसे के बाद भी, अगर गावों की यही दशा रहती है और उनको सुधार ने की ओर कोई कदम नहीं उठाया जाता है तो हम यह आशा करते हैं कि सुदूर भविष्य में भी जब तक इस प्रकार के लोग शासन में रहेंगे, गांव वालों को आगे बढ़ने नहीं दिया जायगा।

हम आज देखते हैं कि कुछ प्रोजेक्टस का काम जरूर शुरू हुआ है। केवल काम के शुरू कर देने से सन्तोष नहीं हो सकता, हमें तो अपने विचारों में, अपने दृष्टिकोण में, सारी विचार धारा में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। आज हमारा दृष्टिकोण कैसा और किस ओर हम जा रहे हैं? अगर आज हम यह देखते हैं ग्रामीण लोगों की भाषा, उनकी बोली, उनकी वेशभूषा के प्रति हमारी क्या विचार धारा है इसको हम श्रद्धा की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं। मुझे यह देखकर खेद होता है, उपाध्यक्ष महोदय, गांव वालों की वेशभूषा पर व्यंग करते हुए मुझे भी मेरे एक माननीय मित्र ने कहा, आपने जब से दाढ़ी रखा ली है आपकी अक्ल भी मारी गई....

श्री उपाध्यक्ष : Was it a reference outside the House or within the House ?

श्री तनसिंह : No Sir, within the House.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी अभी यह निवेदन कर रहा था कि अगर आप यहां गांव की वेशभूषा पहनकर आते हैं तो हर व्यक्ति आपको देखकर व्यंग करेगा, यह व्यंग उनके प्रति नहीं बल्कि गांव की वेशभूषा की तरफ होता है, वे सहन नहीं कर सकते। माननीय मंत्री महोदय जो अपने आपको सच्चा जनता का प्रतिनिधि मानते हैं तो वे गांव की वेशभूषा पहनकर आवें, गावों के रीति-रिवाजों के प्रति अपनी श्रद्धा प्रदर्शित करें तभी हम यह मानेंगे कि वे सच्चे मायने में गांवों के हित, गांव वालों का हित करने जा रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : केवल दाढ़ी रखना गांव के प्रति श्रद्धा नहीं बताता?

श्री तनसिंह : आप भी रखवाकर देख लीजिये यह कोई आसान नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, भाषा के संबध में मुझे याद आगया। हमारे यहां आॅल इन्डिया रेडयों का केन्द्र है। वहां राजस्थानी भाषा का क्या मखोल होता है यह देखने की बात है। हमारी गांव की भाषा को विदूषक प्रयोग करते हैं। एक तो मास्टरजी बनते हैं वे तो हिन्दी में बोलते हैं और चौधरी जी और बिजड़ा है वे सब राजस्थानी भाषा में बोलते हैं। राजस्थानी भाषा की नाक कटवाने के लिये, केवल हंसी पैदा करने के लिये इस भाषा का प्रयोग किया जाता है

श्री सोहनलाल भटनागर : उपाध्यक्ष महोदय, आॅल इन्डिया रेडियो का विषय पार्लियामेन्ट के आधीन है, उसके बारे में यहां विचार नहीं किया जा सकता।

श्री उपाध्यक्ष : This is just a passing reference.

श्री तनसिंह : पार्लियामेन्ट में और इस

(श्री तनसिंह)

विधान सभा में मैं कोई अन्तर नहीं मानता इसी लिये मैंने निवेदन किया। हमारा दृष्टिकोण भाषा के प्रति, हमारी गांव की वेशभूषा के प्रति और रीतिरिवाजों के प्रति श्रद्धा नहीं है। आज जो भी दृष्टिकोण होता है वह गावों के उत्थान के लिये नहीं केवल अपना हित साधन के लिये होता है। यदि सारे के सारे लोग गांवों में चले जावेंगे तो सबको वहां धन्धा कहां से मिलेगा ? कहां गांवों में जमीन पड़ी है, किस प्रकार से काश्त करेंगे और निर्वाह उनका कैसे होगा ?

अब यदि एम्प्लोयमेंट एक्सचेन्ज के फिगर्स देखें तो बड़ी आश्चर्यजनक प्रगति महसूस होती है। इधर तो स्कूलें अनापशनाप पढ़े लिखे बेरोजगार अपनी फैक्टरी से हर साल निकालती हैं और गांवों में भी काफी निकल रहे हैं और उनको शहरों में भेजती हैं नोवेकेन्सी का साइन बोर्ड देखकर वापिस लौटने के लिये। अब एम्प्लोयमेंट एक्सचेन्ज के पास कितनी दरख्वास्तें आई यह तो नहीं पर जिनको कोई नौकरी नहीं मिल सकी, नाम के रजिस्टर होने के साल भर में, उनके आंकड़े मैं उनके द्वारा जो बताये गये हैं वही बता रहा हूं :

सन ५० में २१,७६३ थे। ५२ में २६, ५३ में ३७ और इस तरह करते करते ५५ में ४३६७८ व्यक्ति ऐसे रहे कि जिनको कोई वेकेन्सी नहीं मिली।

अब यदि हम इन बेकारों की संख्या को देखें और जिनको नौकरी मिली उनके अनुपात से इस विभाग पर हुए खर्चे को साथ साथ में देखें तो यह महसूस होगा कि जब ५५ में ४८ हजार रजिस्टर हुए जिनमें से ४३ हजार को कोई धन्धा नहीं मिला, सिर्फ कुछ ४ हजार से ऊपर लोगों को धन्धा मिला, तो हमें मालूम होगा कि ५२।। रुपया प्रति व्यक्ति पर-कैपिटा खर्च होता है। जिनको एम्प्लोयमेन्ट मिला है उनमें ५२।। रुपया हर व्यक्ति पर खर्च हुआ। इसको देखकर तो हम इसे ही अच्छा समझते हैं कि खैरात की थैलियां रख देते और उसमें से सबको बांट देते। इतना रुपया देने के बाद बाकी लोगों का क्या हुआ, यह भगवान ही जाने। अब यदि हम यह सन्तोष करें कि मल्टीपर्पज़ स्कूलें, हायर सेकन्डरी स्कूलें या बेसिक स्कूलें हमारे इन पढ़े-लिखे लोगों की बेरोजगारी मिटा देंगे या उनकी आर्थिक स्थिति सुधार देंगे तो यह एक कोरी कल्पना है। बेसिक स्कूलों के बारे में मेरा निवेदन है कि हमेशा साइकिलों के पुर्जों में फंसे रहें या बलाई की बुनाई में जीवन निकाल दें यह हो सकता है, पर मानव जीवन का वास्तविक हित, राष्ट्रीय जीवन में योगदान देने का काम उनका नहीं है हमारा है जो बुद्धि के सहारे केवल शासन करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं करना चाहते।

अब मैं थोड़ा सीलिंग का प्रश्न भी लेता हूं। आज सीलिंग को एक हव्वा बनाया जा रहा है। पर दूसरी ओर दृष्टिपात करें तो प्रतीत होगा कि ऐसी जमीन जो काश्त हुई है दो करोड़ ८६ लाख एकड़ है जो पूरी जमीन का ३५ पर्सेन्ट है, लेकिन जो काश्त के काबिल है लेकिन फिर भी काश्त नहीं हो सकी वह १,४२ लाख एकड़ पड़ी है। पर यदि हमारी इस जमीन में उत्पादन की शक्ति को बढ़ाया जावे तो हमारी यह भूमि इतनी पर्याप्त है कि जिसमें से आसानी से हमारी यह आबादी गुजर बसर कर सकती है; पर इस ओर सरकार का ध्यान नहीं है।

(श्री तनसिंह)

अब सबसे अधिक रोचक बात मैं निवेदन करूं। जो पार्टी आज पॉवर में आई हुई है वह पॉवर में आने से पहले नशा बन्दी की नीति अपनाने के लिये बड़े लम्बे चौड़े नारे लगा रही थी और बड़े जोरों से इस नशाबन्दी की नीति का प्रतिपादन कर रही थी। पर अब वह उतनी ही धीमी आवाज से इस बारे में देरी और टालमटोल की नीति अपना रही है। यह बड़ी आश्चर्य की बात है। मैं लगातार, हमेशा कहता आ रहा हूं कि इस बारे में सरकार अपनी स्पष्ट नीति की घोषणा करे। पर आज तक स्पष्ट नहीं है यह नीति। अब मैं यह निवेदन करूं कि इसका सबसे बड़ा असर कहां पर पड़ता है। इसका सबसे बड़ा असर गांवों में पडता है जहां कोई आमोद प्रमोद के साधन नहीं, मन बहलाने के साधन नहीं, वहां अफीम खाना, गांजा और भांग पीना और शराब पीना यही एक मात्र मनोरन्जन का उनका साधन रह गया है। आप देखेंगे की शहरों में अपेक्षाकृत अफीम की खपत कम है। गांवों में बहुत है। शहरों में अंग्रेजी शराब की खपत ज्यादा होती है पर गांवों में देशी शराब काफी चलती है। अब गांवों में ये चीजें कितनी खपती हैं इसके आंकड़े देखें तो पता चलेगा कि हमारी यह पार्टी आज नशाबन्दी की नीति में किधर जा रही है। देशी शराब जो यहां बनती थी ५४। ५५ में वह ५४६हजार गैलन थी। वह सन् ५२-५३ में थी४७६ हजार गैलन। ५४-५५ में थी ४६३ हजार गैलन और ५६-५७ में ६६३हजार गैलन हो गई। यह मैं देशी शराब की बात कर रहा हूं। हम निरन्तर वृद्धि की ओर ही जा रहे हैं। मान सकते हैं कि शराब की कीमत बढ़ी, लेकिन जो कन्ज़म्पशन हुआ है वह उत्तरोत्तर क्यों बढ़ रहा है, इसका क्या स्पष्टीकरण हो सकता है। ये वे आंकडे हैं जो सरकार ने इस सदन में कई अवसरों पर दिये हैं और दूसरे जो सरकार की स्टेटिस्टिक्स की किताब छपी है उसके आधार पर हैं। अब विदेशी शराब यहां आती है ११६ हजार गैलन। ६६३ हजार देशी आती है। इस प्रकार कुल मिलकर ८ लाख गैलन शराब हम पी जाते हैं।

अब भांग की बात करूं तो ५०-५१ में १००३ मन बिका। वह ५६-५७ में २३०० मन हो गया। यह भांग के आंकडे मैंने बताये हैं।

गांजे के आंकडे बताऊं तो ५१-५२ में करीब ५१ मन था जो ५६-५७ में ६६ मन हो गया। तो इसमें भी हम निरन्तर प्रगति पर हैं!

अब अफीम का हिसाब देखें तो ५०-५१ में ५७६ मन था, पर ५६-५७ में वह ४५० मन रहा। अब अफीम में हमने एक सौ मन करीब की कमी की है जब कि वास्तव में बहुत ज्यादा कमी होनी चाहिये थी, क्योंकि यह अफीम हमारे हाथ में नहीं है, सेन्टर के हाथ में है और सेन्टर की नीति इसे लगातार कुछ निश्चित परिणाम में हर साल कम करते जाने की है। पर हमारी सरकार इतनी जागरूक है कि जितना कोटा राजस्थान सरकार को मिलता है वह तुरन्त खरीद लेती है फिर वह चाहे यहां बिके या नहीं बिके। अगले साल कम आया तो वह भी तुरन्त खरीद लिया और स्टोर में जमा कर लिया। अब मुझे यह समझ में नहीं आया कि एक तरफ तो केन्द्रीय सरकार की नीति इसे निरन्तर कम करते जाने की है तो दूसरी तरफ राजस्थान सरकार जितना मिले उतना खरीद कर स्टोर करती जाती है फिर वह चाहे बिके या नहीं, वह यों क्यों नहीं करती

Page No.72

(श्री तनसिंह)

है कि अगर पिछले साल नहीं बिका तो जितना नहीं बिका उतना अगले साल कम देने के लिये केन्द्रीय सरकार से कह दे। वह यह कहे कि हमें इस साल इतने से की ही जरूरत है, अधिक न भेजें। अब हमारी यह उत्तरदायी सरकार किस प्रकार से यहां की जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभा रही है इसका यह एक नमूना है। अगर हमारी यह सरकार गांवों की उन्नति की इच्छा रखती होती तो इस प्रोहिबिशन की नीति स्पष्ट रूप से जनता के सामने रखती और प्रतिवर्ष इसमें कमी करती जाती। तो इस प्रकार से हमारी यह सरकार इस नशाबन्दी की तरफ से भी जागरूक नहीं है।

अब वैसे तो आप बार बार घड़ी की ओर देख रहे हैं इससे मैं समझता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : आप पहले ही समझ रहे हैं इस बात की यह खुशी है।

(हंसी)

श्री तनसिंह : वैसे तो इस सारे भाषण को देखा जावे तो बोलने के लिये काफी सामग्री है। पर मैंने यहां केवल कुछ स्पेसिफिक पोइन्ट ही कहे हैं और इसलिये कहे हैं कि ताकि मंत्री महोदय जवाब देते वक्त इन स्पेसिफिक बातों का स्पेसिफिक जवाब दें। मैं अधिक इधर उधर की बातें नहीं कह रहा हूं इस वक्त। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन का उत्तर वे देंगे। नहीं देंगे तो फिर मौके बहुत आवेंगे अभी तो कहने के। आगे बजट आ रहा है, फिर सप्लीमेन्टरी ग्रान्टस आ रही हैं,वहां आप को पकड़ूंगा।

(हंसी)

इसलिये अच्छा है कि वे इनका यहीं स्पष्टीकरण करके छोड़ें।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : श्री व्यास।

कुछ माननीय सदस्य : यह तो कल बोल चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य क्या आप कल बोल चुके हैं ? You had moved an amendment.

श्री मुरलीधर व्यास : वह तो एक संशोधन था और मैं उसे प्रस्ताव के रूप में लाया था।

श्री उपाध्यक्ष : Any how, I allow you. Please, you will please be a little brief.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो भाषण सदन में रखा और उस पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव है मैं उस प्रस्ताव के पक्ष का नहीं हूं। उसका सबसे बड़ा कारण मैं यह समझता हूं कि राज्यपाल महोदय का जहां तक भाषण है और उस भाषण में जो भी बातें रखी हैं उसको हर सदस्य....

श्री मदनसिंह दांता : ऑन ए पाइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, संशोधन प्रस्ताव खुद ने रखा और उसका कोई नतीजा नहीं है और फिर उसके बाद में आप बोल रहे हैं और आप कल भी बोल चुके हैं। अब आपको मेरे विचार से बोलने के लिये इजाजत नहीं देनी चाहिये!

श्री मुरलीधर व्यास : रूलिंग हो चुका है। अब आप बीच में क्यों बोल रहे हैं ?

Page No.73

श्री उपाध्यक्ष : Order please! For Mr. Vyas's information. Rules are too clear so far as debates are concerned, as provided in the rules, no member will speak more than once. Rules are also flexible. As I have stated earlier, I have allowed Shri Vyas to speak with the request that he will be brief.

श्री मुरलीधर व्यास : (बीकानेर सिटी) मैं जो यह कह रहा था कि कल जो संशोधन प्रस्ताव बेकारी के संबंध में रखा वह तो उसके जोड़ने के संबंध में था और उसके साथ ही साथ मैंने यह भी कहा था कि जितने भी मुद्दे हैं वे सभी विवादग्रस्त हैं और उन सभी पर विवाद किया जा सकता है। मैं यह समझता हूं कि राज्यपाल महोदय ने जो भाषण दिया उससे ऐसा महसूस जरूर होता है कि वाकई राजस्थान में बिलकुल शांति है और बिलकुल सुव्यवस्था है, कहीं पर भी कोई भ्रष्टाचार नहीं है और यहां योजनाओं का विकास बहुत ही अच्छी तरह से हो रहा है, लोगों को काम मिल रहा है और समान न्याय मिल रहा है। इन सारी बातों को, जैसा कि उसके अन्दर है उससे तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि वाकई हमारे यहां पर रामराज्य है और मैं तो यही कहूंगा कि यह तो एक धृतराष्ट्र का राज्य चल रहा है। मैं जहां तक समझता हूं, जहां तक कागजों के रूप में जो बातें सामने आई हैं उसके साथ ही साथ अगर उसके विपरीत सारे राजस्थान में वस्तु स्थिति को देखा जाय और इसके लिए अगर राजस्थान के किसी भी स्थान पर किसी भी गांव में जाकर वहां की व्यवस्था के बारे में पूछा जाय तो मैं समझता हूं कि हर जगह से हमें यही जवाब मिलेगा कि जितनी भी बातें आई हैं उनसे यह प्रतीत होगा कि ये सारी बातें एक विडम्बना के रूप में हैं। यह सदन के सम्मुख ही नहीं बल्कि राजस्थान की १।। करोड़ जनता के विचारों को देखकर भी यह विडम्बना ही कही जायेगी। राज्यपाल महोदय के भाषण में जो कुछ कहा गया उसके बारे में सबसे पहले मैं इस बात को लाना चाहता हूं कि उन्होंने सुव्यवस्था के बारे में जो बात कही है मैं तो यह समझता हूं कि आज भी हमारा देश गणराज्य देश है और जो आजादी प्राप्त कर चुका है; पर मैं कहता हूं कि आजादी आज भी हमारे देश के कई हिस्सों में नहीं है और वहां इतनी जबरदस्त अव्यवस्था है कि वहां के लोग यह महसूस नहीं करते हैं कि उनको आजादी भी मिली है या नहीं। आज जनतंत्र में आजादी के बाद जो सबसे बड़ी चीज देखता हूं वह है कि उसे रोटी न मिले, हो सकता है कपड़ा न मिले, हो सकता है दूसरे सिद्धान्तों का समान न्याय न मिले। लेकिन एक चीज जो कुरबानी के बाद मिल चुकी है और वह भी आज दस वर्ष के बाद, कहीं के लोग यह महसूस करें कि मैं गुलाम हूं तो मैं समझता हूं कि यह बड़ी भारी विडम्बना है और यह इतनी जबरदस्त है कि मैं आपको इसका केवल एक ही उदाहरण देना चाहता हूं और वह यह है कि महाजन जो कि राजस्थान के अन्दर लूणकरनसर तहसील के अन्दर एक हिस्सा है, वहां पर आज क्या स्थिति है; मैं वहां की स्थिति के बारे में यह कहना चाहता हूं कि उस स्थान पर आज कोई भी आदमी आजादी के साथ विचर नहीं सकता। उसके साथ ही साथ जनतांत्रिक तरीके से चुनावों में हिस्सा नहीं ले सकता और वहां पर इतना ज्यादा आतंक और भय है कि हर आदमी की बेइज्जती हो जाती है, हर घर के ऊपर वहां की स्त्रियों की बेइज्जती हो जाती है और इतना ही नहीं, बल्कि लोगों को मनमाने तरीके से लूट लिया जाता है। किसी भी

(श्री मुरलीधर व्यास)

किसान की जमीन जो बिलकुल हरी भरी है, जिसने खेत जोत दिया है उनके खेतों के अन्दर ढोरों को छोड़ दिया जाता है। यह सब कुछ होने पर भी वहां आज कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही है। मैं यह खुले शब्दों के साथ कहना चाहता हूं कि वहां पर आज एक ठाकुर है, वहां पर जो महाजन के राजा हैं और उनके जो भाई हैं वह वहां पर आज खुले रूप से बगावत कर रहे हैं और वह आज भी कहता है कि जैसा मेरा पहले काम चलता था वैसा ही आज भी चलेगा और किसी की ताकत नहीं जो मुझे रोके। यहां तक कि उसने गांव की आजादी को समाप्त करने के लिए जो सबसे पहला काम किया कि वहां के जो पंच हैं पंचायत के, उनको पीटा और उनको इतनी बुरी तरह से पिटवाया कि वह एक पंच जो मोहनलाल है वह गांव छोड़कर ही चला गया। दूसरा पंच जो काम करता था बद्री-प्रसाद वह जब जा रहा था तो उसकी भी चार आदमियों ने मिल कर, जो एक मील का रेतीला टुकाड़ा है उस पर पिटाई की। उसको भालों से मारा, बरछियों से मारा और उसकी हत्या करने का पूरा प्रयत्न किया। उसके बारे में रात को किसी ने घर जाकर कहा तो उसको रात ही में लेकर आये और डिगियान अस्पताल में लाये। वह बच तो चुका था। उसके बाद में भी वहां पर क्या कार्यवाही होती है। वह इस प्रकार की कार्यवाही होती है कि बद्री-प्रसाद तो अस्पताल में है, वहां एक पंचायत का पंच था उसकी कार्यवाही को रोकने के लिए उस अधिकारी ने जो वहां का सरपंच बना हुआ था उसने क्या क्या कार्यवाही की? उसने डाक्टर से मुलाकात की और इस प्रकार का प्रयत्न किया कि वह अधिक से अधिक अस्पताल में न रह सके। अस्पताल में जो घटना घटी उसे मैं भ्रष्टाचार के रूप में कहना चाहता हूं। अस्पताल के डाक्टरों को उसने शरीक कर लिया, उसने दूसरे लोगों को शरीक कर लिया और इस प्रकार की कार्यवाही करवाई कि वह बीस दिन से ज्यादा अस्पताल में न रह सके। उसके बाद में वहां के पी० एम० ओ० ने जांच करवाई और तब वह रह पाया। आज भी उस व्यक्ति के सिर पर बरछी और भालों के घाव के निशान हैं और उस व्यक्ति को वहां भी न्याय नहीं मिल सका। वह व्यक्ति भी कांग्रेस का था, किसी दूसरी जमात का नहीं था। जब पंचायत के दुबारा चुनाव होने लगे तो मैंने उसको कहा कि तुम चुनाव तो लड़ोगे, मैं उसको ले गया। वहां पर मैंने देखा कि उस ठाकुर ने सारे आसपास के गुंडों को जमा किया और वह भी लाठी और बंदूकों के साथ में और उसने सारे गांव में कह दिया कि मैं जितने भी आदमियों को खड़ा करता हूं उनके खिलाफ कोई भी किसी को खड़ा न करे। नतीजा यही हुआ कि कोई भी दूसरा आदमी खड़ा नहीं हुआ। वहां पर हूकलसिंह था जो खुद हुआ। उसने हिम्मत की तो उसने वहां पर भी जो पंचायत का इन्सपैक्टर है उसके साथ में मिलकर के जब पंचायतों के चुनावों का फैसला किया तो यह डिकलेयर किया कि सारी पंचायतों के लिए यह उम्मीदवार अकेले ही थे। मैं इस बात के लिए यह कहना चाहता हूं कि वहां पर आज आजादी रही या नहीं। मेरा तो यही एक मकसद था, मैं वहां यही देखना गया था कि वहां आजादी है या नहीं? तो मैं खुले आम इस बात को कहना चाहता हूं कि सरकार का कोई भी प्रतिनिधि इसको गलत नहीं समझे और अगर कोई गलत समझता है तो वहां पर सैकड़ों घर रहते हैं। वहां पर किसी भी झोंपड़ी

(श्री मुरलीधर व्यास)

में जाकर चुपचाप पता लगाइये कि आज क्या हालत है ?

इतना ही नहीं उन पर हमला कर दिया जाता है और स्त्रियों की इज्जत तक पर हमला कर दिया जाता है, पर वहां पर एक आदमी बोल नहीं सकता। मेरे कहने का मतलब यह है कि सुव्यवस्था की बात कहते हैं, आजादी की बात कहते हैं उनसे एक ही बात मैं कहना चाहता हूं कि वह लोग आजाद नहीं हैं। अगर मेरी बात गलत हो तो कोई भी आदमी, मैं कहना चाहता हूं चाहे गृह-मंत्रीजी किसी भी व्यक्ति को भेजकर पता लगा लें और किसी भी झोपड़ी से लेकर पता लगा लें कि वाकई यहां के नागरिक आजादी मिलने के बाद भी आजाद हैं या नहीं। आज वहां आजादी नहीं है। जनतान्त्रिक तरीके से काम करने की आजादी मिली थी वह भी आज वहां नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि जहां तक शासन की सुव्यवस्था का सवाल है, लॉ एण्ड ऑर्डर का सवाल है आज भी ऐसे स्थान मौजूद हैं जहां के लोगों को आजादी के साथ बोलने की आजादी के साथ काम करने के जनतान्त्रिक तरीके से अपने यहां की सुव्यवस्था चलाने का अधिकार नहीं है। इसके लिए नीचे से लेकर ऊपर तक शिकायत की गई, बड़े २ अफसरों से कहा गया। मैं आज भी कहता हूं कि सभी बड़े अफसरों को, एस. पी. और डी. आई. जी. सब के पास में कह दिया गया है लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि उस क्षेत्र में जाकर जांच कर सके। हिम्मत नहीं हो सकती क्योंकि वे डरते हैं और दूसरे लोग भी डरते हैं और इस प्रकार की व्यवस्था आज वहां है। मैंने यह बात तो पीस एन्ड ऑर्डर के दृष्टि-कोण से कह दी।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं पुलिस राज्य के बारे में, न्याय के दृष्टिकोण से आपके सामने पुलिस की अव्यवस्था के बारे में कहना चाहता हूं। जो मनमाने तरीके से दूसरे जुल्म चल रहे हैं खास तौर से पुलिस वालों के तो यह आवश्यक बात है। उस आधार पर बीकानेर के अन्दर एक दूसरी घटना हुई और वह आज से ४ महीने पहले की है। वहां पर क्या हुआ कि एक २५ साल का नौजवान सुनार थाने में लाकर रखा गया, पकड़ा गया। पकड़ा किस बात के लिए गया कि वह एक किसी बुड्ढी स्त्री, जो कि जा रही थी उसका जेवर खींच रहा था, इस शिकायत पर पकड़ा गया, लेकिन उसको पकड़ कर वहां रखा गया और उसी के चार घन्टे के बाद में वहां कोई, जो कि किसी संबंध से उसके संबंधी थे, पहुंचे और वहां पर जो थानेदार हैं उसने उसको पीटा और पीटा भी इतने बुरे तरीके से कि उसकी हड्डी टूट गई और हड्डी टूटने के बाद उसको होस्पिटल में ले जाया जाता है और अस्पताल में दूसरे दिन उसकी मौत हो जाती है। मैं इस बात का पक्षपाती नहीं कि वह घटना क्या है और क्या नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर इस आजाद मुल्क के एक नागरिक और वह भी नौजवान को इस प्रकार से बिना पूरी तरह से छानबीन करके पुलिस मारती है और मारने से उसकी मौत हो जाती है और मौत हो जाने के बाद जांच का सवाल आता है उस पर सरकार चुप रहती है तो मैं समझता हूं कि किसी आजाद देश के नागरिक को जो अधिकार मिलने चाहिए और देश के हर नागरिक की रक्षा का भार उसकी सरकार पर है वहां उसकी जांच होनी चाहिए। उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि उस कार्यवाही को रोकने लिए क्या २ किया गया ? वह सुनार मर चुका

(श्री मुरलीधर व्यास)

है और उसकी १७ साल की स्त्री बेचारी विधवा हो चुकी है, उसकी पुलिस वाले कुछ नहीं सुनते और ऊपर से लेकर नीचे तक उस मामले को दबाने के लिए कोशिश करते हैं। जो सुनार वहां पर मरा है उसकी मार का क्या कारण था? उसको क्यों मारा गया? उसका सबसे पहला कारण यह था कि एक कांग्रेस के जिम्मेदार आदमी थाने पर पहुंचे और कहा कि इसकी खूब पिटाई की जाय। उस आधार पर वह पीटा गया, और पीटने के बाद आगे का सवाल यह था कि किस प्रकार से पुलिस ने अपने आपको बचाने की कोशिश की और यह कहा कि उस आदमी ने सिर फोड़कर अपनी जान दे दी। वह आदमी सजायाफ्ता था; उसने जेल में सिर फोड़कर जान नहीं दी और यहां सिर फोड़कर जान दे दी। इसकी इन्क्वायरी मजिस्ट्रेट ने की क्योंकि पुलिस की इन्क्वायरी मजिस्ट्रेट करते हैं। जहां तक मैं समझता हूं मजिस्ट्रेट ने यह कहा कि इसके ऊपर कोई जुर्म नही बनता है। वह आदमी जो कि वहां पर मर गया इस प्रकार से उसके बारे में क्या हुआ अस्पताल में। जैसे मलहोत्रा थानेदार ने उसकी गरदन पर बैठकर डंडा जमाया जिसको लोगों ने देखा और मजिस्ट्रेट के पास में बयान दिया, उसी प्रकार से दूसरे लोग जो कि अस्पताल में मरीज़ के साथ थे, उन मरीजों का बयान था कि मरने से पहले यह कहता रहा कि इन पुलिस वालों का सत्यानाश हो, सत्यानाश हो, मुझे मार डाला। जो मरीज़ अस्पताल में उसके बेड के पास सोये हुए थे उन्होंने अपने बयान में यह कहा। दूसरे और लोग जो थाने में मौजूद थे और जिनके बयान दिलाने की कोशिश की उन्होंने यह बयान दिये कि इस प्रकार से हुआ लेकिन फिर भी वह व्यक्ति छूट जाता है, क्योंकि उसको मारने के लिए उसकी मौत का कारण एक कांग्रेस का जिम्मेदार व्यक्ति है जिसने कहा था कि इसको बुरी तरह से पीटा जाय। इस आधार पर उसकी मौत होती है, और वह व्यक्ति जिला कांग्रेस बीकानेर के अध्यक्ष का लड़का था। जिसने यह बात कही उसने अपने बयान भी दिये। परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि यह कोई साधारण बात नहीं है कि आज प्रजातन्त्र के अन्दर अगर किसी शहर के अन्दर खुले आम एक थाने के अन्दर एक नौजवान को पीट दिया जाय और जिसकी स्त्री की मेंहदी का रंग मिटा दिया जाय, उसका सुहाग इस तरह से लूट लिया जाय और उसके लिए सरकार कोई व्यवस्था नहीं करे, और जो घटना हुई है उसकी जांच न करे और उसके बारे में दूसरी किस्म से मौन रहे, तो मैं समझता हूं कि इससे बढ़कर और कोई न्याय हमारे यहां नहीं हो सकता है! यह कोई घटना साधारण नहीं है। इसके अन्दर एक बड़ा भारी भ्रष्टाचार भी है, और भ्रष्टाचार की एक कहानी है। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी के पास में यह चीज़ भेजी गई। दूसरे लोगों के पास में भेजी गई, और अब मैं इस सदन के अन्दर खुले चेलेन्ज के साथ कहता हूं कि इसमें से कोई बात गलत हो; बीकानेर के अन्दर सवा लाख की जनता रहती है, उस सवा लाख की जनता में से अगर १० आदमी भी ऐसे निकाल दें जो यह कह दें कि यह चीज़ गलत है तो मैं समझूंगा कि गलत् है। सारे शहर के लोग इस बात को जानते हैं और यह घटना इस साल अभी चार महीने पहले ही घटी है। सारी बातें सरकार के पास में भेज दी गई हैं, मगर आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। यहां तक कि जिस वक्त कि थाने में खुले आम डंडे से उसको मारा था

(श्री मुरलीधर व्यास)

उसके बारे में जो डॉक्टर की रिपोर्ट है उसमें डॉक्टर ने खुले शब्दों में लिखा है कि इसकी मौत पिछली सातवीं हड्डी टूटने से हुई है। यह मेडीकल रिपोर्ट है, यह डॉक्टर की रिपोर्ट है और भी इस सारी कार्यवाही के तरीके से अन्दाज लगाया जा सकता है कि किस प्रकार से थानेदार ने रातों रात उसको जलवाने की कोशिश की है। थानेदार को पता था कि इस व्यक्ति के रिश्तेदार कौन हैं। यह चीज़ रिपोर्ट में मौजूद है, लेकिन उसने रिश्तेदारों को लाश जलवाने का हुक्म नहीं दिया और उसको रातों रात जलाने की कोशिश की। वह कोशिश किस प्रकार से की कि वहां की म्युनिसिपेलिटी के सेनीटेशन और हैल्थ आफिसर के पास में पहुंचते हैं और पहुंचकर कहते हैं कि उसकी लाश को जलाने का हुक्म दो और जलवाने के लिए भंगी दो। यह सारी कार्यवाही इस प्रकार से की गई कि सारे मामले को दबाया जाय। इस दबाने में बड़े-बड़े लोगों का हाथ है। मैंने इस मामले को इस लिए रखा कि सुव्यवस्था का यहां प्रश्न था।

जहां तक नीति का सवाल है, मैंने आपके सामने सुव्यवस्था के बारे में यह बात कही है, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अन्दर किसी देश की नीति किस प्रकार की हो जो कि देश का जो मुख्य लक्ष्य समाजवाद है, उस समाजवाद के आधार पर किस प्रकार का विकास हो रहा है, और विकास के साथ साथ आगे किस प्रकार से समाजवाद लाया जायगा और किस प्रकार से विषमता का अन्तर दूर किया जायगा, किस प्रकार से गरीबी और अमीरी का भेद मिटाया जायगा, किस प्रकार से जमीन का मालिक किसान बनाया जायगा, इन सारी बातों के लिए कोई निश्चित नीति नहीं है। उसके कारण यह हो रहा है कि सारे राजस्थान में आज मैंने जैसे बेकारी के बारे में कहा और बेकारी के बारे में प्रस्ताव रखा था, लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण के अन्दर बेकारी के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं है। जहां तक मैं समझता हूं दूसरे लोगों ने अपने विचार रखे हैं।...

२.५० म० प०

अभी अभी बाडमेर से आने वाले साथी ने आंकडे रख कर बताया कि किस प्रकार बेकारों की फौज़ दिनों दिन बढ़ती जा रही है और उसके साथ ही सरकार के कामों की संख्या किस प्रकार घटती जा रही है और उन कामों में खर्चा किस प्रकार से बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान में आज कोई प्लानिंग नहीं है। जमीन के मामले के बारे में कहते हैं कि राजस्थान में भूमि का बहुत विकास हुआ है, लेकिन भदान के आधार पर जिस प्रकार से भूमि का बंटवारा होना चाहिये था उस तरह से नहीं हुआ है और जिनको जमीन मिलनी चाहिये थी उनको मिलने में काफी कमियें रही हैं। भाखरा में जाकर देखिये वहां क्या हुआ ? राजस्थान सरकार ने सन् ५१ में कानून बनाया कि जिनके पास जमीन नहीं है वे २५ बीघा तक जमीन खरीद सकते हैं। लेकिन जिनके पास जमीन नहीं थी वे जमीन नहीं खरीद सके, पर जिनके पास पहले से ही ज्यादा जमीन थी उन्होंने जमीन खरीद ली। जब यह मालूम हुआ कि सन् ५१ के कानून से वाकई में भूमिहीनों को जमीन नहीं मिली तो सन् ५३ में उक्त कानून में फिर से सुधार करके कहा कि जो भूमिहीन लोग हैं वे जमीन ले सकते हैं। इसके आधार पर भमिहीनों ने जमीन लेना

(श्री मुरलीधर व्यास)

शुरू किया ही था कि सन् ५४ में कोलोनाइज़ेशन एक्ट बन गया जिसमें यह घोषणा की गई कि सन् ५२ से पहले जिनके पास जमीन थी और उसका पट्टा जिनके पास है वे जमीन ले सकते हैं। जिस किसान ने सन् ५२, ५३ और ५४ में जमीन जोती लेकिन जो पट्टेदार नहीं थे वे फिर बिना जमीन के रह गये। जहां तक नीति का सवाल है, जिसके अनुसार भूमिहीन को जमीन मिलनी चाहिये थी, उनको नहीं मिली। यह बात आज भी विकास योजना और कानून में रह गई है और भूमिहीन आज भी भूमिहीन ही हैं। खुद मुख्य मन्त्री जी ने सर्वोदय सम्मेलन में घोषणा की थी कि भूदान के अनुरूप जमीन का बंटवारा होगा लेकिन आज उसी पोलिसी के खिलाफ जा रहे हैं।

जहां तक जमीनदारी का सवाल है, राजस्थान में सही माने में यदि कोई सोचने का तरीका होता और प्रारम्भ से ही सरकार योजना बनाती तो किसी प्रकार का हल निकल सकता था कि किस प्रकार किसानों के बीच में गरीबी और अमीरी का भेद मिटे और किस प्रकार किसान लाभ उठा सकते हैं; इस बारे में सरकार सोच सकती थी।

सीलिंग के बारे में रिपोर्ट अब आई है। लेकिन उसमें स्पष्ट बात नहीं है कि जमीन के आधार पर सीलिंग फिक्स होगा या आर्थिक दृष्टिकोण से आमदनी के आधार पर फिक्स होगा। यह बात स्पष्ट नहीं है और इस बारे में जो नीति है उसमें कमियें है। मैं समझता हूं, सही माने में यदि जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन देना चाहते हैं तो कम से कम यह कर सकते हैं कि इतने बीघा जमीन से ज्यादा जमीन कोई नहीं रखे। इस प्रकार की नीति बहुत जल्दी प्रारम्भ से ही रखी जा सकती थी, पर इस तरह की कोई चीज रखी नहीं गई। लेकिन आज भी जहां तक जमीन के बंटवारे का सवाल है, जमींदारी एबोलिशन बिल आ रहा है, कब आयगा पता नहीं; लेकिन यदि आयगा तो इससे लोगों को लाभ होगा निश्चितरूप से। राजस्थान में जितने किसान भूमिहीन हैं उनको किस प्रकार जमीन मिल सकती है, सीलिंग फिक्स करने के बाद कितने आदमियों को जमीन दी जा सकती है इस नीति को निश्चित किया जाय तो लोगों को लाभ हो सकता है वरना किसानों को लाभ नहीं होगा।

जहां तक नहरी जमीन का सवाल है, कल किसी सज्जन ने उदयपुर का किस्सा बयान किया था उसके अनुसार यदि जमीन का फायदा किसानों को नही मिले और जो लोग यहां पर बैठे हैं सत्तारूढ दल के, चाहे वे हल चलाने वाले न भी हैं, वे फायदा उठाते है तो मैं समझता हूं कि यह किसानों के साथ घोर अन्याय है।

दूसरी बात मैं सरकारी व्यवस्था के बारे में कहना चाहता हूं। हो क्या रहा है ? कांग्रेस और राज्य में जनतंत्र में भेद होना चाहिये। दोनों अलग अलग चीजें हैं। दोनों में एक ही पार्टी के लोग हो सकते हैं, एक ही साथ बैठ सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही काम चलाने का तरीका यह होना चाहिये कि सरकार और कांग्रेस अलग अलग हैं। उनके सोचने का तरीका अलग होना चाहिये। यह नहीं कि यदि उनके पक्ष के आदमी आकर कह दें कि यह होना चाहिये तो उसी तरह से काम किया जाय चाहे वह गलत ही क्यों न हो। यह अन्याय है। लेकिन हमारे पक्ष का आदमी कहता है तो उसके कहने के अनुसार ही काम किया

(श्री मुरलीधर व्यास)

जाय। यह जनतन्त्र को खतरा है, जैसा कि जयप्रकाशनारायणजी ने सर्वोदय सम्मेलन में कहा था। यदि सही तरीके से काम नहीं किया गया तो जनतन्त्र पर से लोगों का विश्वास उठ जायगा।

हाउसिंग प्रोब्लम के बारे में कहा गया कि ऐसे व्यक्ति जिनके पास मकान नहीं हैं और जिनकी आमदनी इतनी थोड़ी है कि वे मकान बना नहीं सकते, ऐसे लोगों को मकान बनाने के लिये हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत लोन दिया जायगा। लेकिन मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि जो हाउसिंग स्कीम राजस्थान में चल रही है उसमें वे लोग लोन ले रहे हैं जो कांग्रेस के एम०एल०एज़० हैं और जिनके पास एक नहीं दो दो और तीन तीन मकान पहले से ही मौजूद हैं, ऐसे लोग इस स्कीम के अन्तर्गत लोन लेकर फायदा उठाते हैं। मैं आपके सामने भीलवाड़े का उदाहरण रख सकता हूं। मेरे पास वहां से रिपोर्ट आई है कि किस प्रकार किस किस व्यक्ति ने मकान बनाने के लिये कितना लोन लिया है। उनमें से राजस्थान विधान सभा के तीन एम० एल० एज़० भी हैं। उन सब के पास में मकान हैं। एक नहीं दो दो हैं, फिर भी उन्होंने लोन लिया। राजस्थान कांग्रेस के प्रमुख व्यक्ति श्री माणिक्यलाल जी वर्मा के परिवार में जितने सदस्य हैं, उनके साले, साली, दामाद आदि सब को आठ आठ हजार रुपयों का लोन मिला है और दूसरी तरफ जिन लोगों को लोन मिलना चाहिये था उनको नहीं मिला। यदि हाउसिंग स्कीम इन्हीं लोगों के लिये है जो कि सरकारी पक्ष के हैं तब तो अलग बात है, वरना ऐसे लोगों को न मिल कर जिनको वाकई जरूरत थी उनको मिलना चाहिये था। इस प्रकार की चीज एक तरह से जनतन्त्र और विचारों की हत्या है और आप जो विकास करना चाहते हैं उसकी भी हत्या है।

बीकानेर के बारे में मैं कहना चाहूंगा। बीकानेर कांग्रेस के व्यक्ति जो म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन हैं उन्होंने लोन लिया। कांग्रेस के प्रेसिडेन्ट जिनके पास एक या दो ही नहीं बल्कि तीन तीन मकान मौजूद हैं वे भी लोन लेकर और मकान बनाना चाहते हैं। इस पर भी आप यदि यह सोचते हैं कि वाकई सही माने में स्कीम है तो आपको रोचना किस प्रकार का है। वाकई सही माने में आपको यह स्कीम चलानी है और कम आमदनी वालों को कर्ज देना है तो आपको गहराई के साथ देखना पड़ेगा और जांच करनी पड़ेगी कि वाकई ऐसा हो रहा है या नहीं।

इसी प्रकार सहकारी समितियों का लोन है। कहा जाता है कि सहकारी समितियों ने लोन दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि बीकानेर में कितनी सहकारी समितियां हैं? किस किसने मांग की और किस किस को लोन दिया गया, इसकी जांच करेंगे तो पता चलेगा। रामरतनजी कोचर जिन्होंने सहकारी समिति बनाई है उसमें कितने उत्पादकों, मजदूरों आदि के शेयर्स हैं और इसका लाभ किसको मिलता है इसकी जांच करेंगे तो पता चलेगा कि इससे व्यक्तिगत लोग लाभ उठाते हैं। किसी भी किसान या मजदूर को इससे लाभ नहीं मिला है। आप रेकार्ड उठाकर देख लीजिये। इसके साथ ही यह भी देखिये कि कितने दूसरे लोगों ने लोन मांगा और किस किस को दिया गया। सहकारी समितियों के बारे में जैसा कि कल कहा गया था ७००० रु. खादी में से खा गये, ३३.४० हजार में से ७००० रुपयों की हुंडी की बिक्री के पैसे नहीं मिले। इसी प्रकार कल

(श्री मुरलीधर व्यास)

और भी नाम आये थे जिन लोगों ने इससे लाभ उठाया। मैं कहता हूं, ११ हजार और ७ हजार की बात ही क्या है, आज से आठ साल पहले कपड़े के व्यापारियों का एक सिन्डीकेट बना था जिसके ढाई लाख रुपये जमा हैं और एक व्यक्ति हैं जिनके दस्तखतों के बिना ये रुपये निकाले नहीं जा सकते थे उनके बारे में मैं दावे के साथ कहता हूँ कि यदि सरकार जांच करेगी तो पता चलेगा कि उनमें से कितने रुपये चले गये हैं, कितने जमा हैं। मैं यह बात इसलिये कहना चाहता हूं कि ऐसे लोग भी हैं जो जनता के रुपयों का दुरुपयोग करते हैं जब कि वे ऐसे जमाने में रहते हैं। सरकार को चाहिये कि वह उनकी जांच करे। आज जहां तक........

श्री उपाध्यक्ष : I think you are not keeping to your promise, Mr. Vyas,

३. १ म० प०

श्री मुरलीधर व्यास : मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि यह जो तरीका है व्यक्तिगत अपने अपने लोगों को इस प्रकार कुछ देने का, चलाने का और सारे राजस्थान के अन्दर इस राज्य की गवर्नमेंट ने यह समझ लिया है कि अगर कुछ देंगे नहीं तो, अगर इस प्रकार घूसी बांटेंगे नहीं तो काम नहीं चल सकता। इस भावना के कारण राजस्थान में पक्षपात जबरदस्त होता है। इस चीज में बड़े बड़े आदमी शरीक हैं, कांग्रेस के प्रधान शरीक हैं, एक्जीक्युटिव कमेटी के मेम्बर हैं। मैं समझता हूं यह बड़े बडे आदमियों की भावना है। हमारे मुख्य मंत्री जी के बारे में मुझे सुनने को मिला कि सालों का राज्य राज्य चलाया हुआ है मुख्य मंत्री जी के साले के साले जो हैं उनका राज्य है। अभी कुछ दिनों की बात है कि यहां पर महारानी गर्ल्स स्कूल के अन्दर एक डान्स टीचर की नियुक्ति हुई........

एक माननीय सदस्य : सालों का राज्य कैसे, क्या सभी मंत्री साले हैं ?

श्री मुरलीधर व्यास : कोई भी मंत्री जी के साले बन जायं तो वे समझे जाते हैं कि आज के युग के अन्दर बड़ा भारी पद प्राप्त कर लिया। इसके साथ ही साथ आज के युग के अन्दर पांच पीढ़ियों के साले के साले इसके अन्दर आ जायं तो वे तिर सकते हैं। इस प्रकार की आज व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अन्दर महारानी गर्ल्स कालेज के अन्दर एक व्यक्ति डान्स टीचर की पोस्ट पर अपॉइन्ट किया गया, वह पब्लिक सर्विस कमीशन की बिना आज्ञा के अस्थाई रूप से रखा गया। डान्स टीचर के नाम पर रखा गया, पर उसे डान्स आता ही नहीं।

(हंसी)

वहां जो हैड मिस्ट्रेस है...

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order please ! No explanations from.....

श्री मदनसिंह : रखा गया या रखी गई।

(हंसी)

श्री मुरलीधर व्यास : वह रखा गया है।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : आखिर में गई हो तो बतला दीजिये।

(हंसी)

श्री मदनसिंह : गर्ल्स स्कूल का मतलब रखी गई होगी।

श्री मुरलीधर व्यास : साले के साले

Page No.81

(श्री मुरलीधर व्यास)

को डान्स टीचर रखा गया है और वहां पर जो प्रिन्सिपल है, उसने कहा कि यह नृत्य सिलेबस में रखा है, उसे सिखाओ। उन्होंने कहा कि यह नाच जानता नहीं, इसलिए सिखा नहीं सकता। उन्होंने डाइरेक्टर और डिप्टी डाइरेक्टर से शिकायत की कि सिलेबस के अन्दर जो नृत्य है उसे सिखा नहीं सकते? तो वे कहते है मालूम नहीं, जो हुकूमत चला रहा है, उसके साले हैं; उसके खिलाफ इस प्रकार की शिकायत करती है, जैसा चलता है, वैसा चलने दो।

(हंसी)

और यह जो बात कही वह उस व्यक्ति के लिए जो कि मोहनलाल साहब के साले मन्नु बाब, उनका नाम कल आया था, उनके साले के लिए कही गई। इसी प्रकार सरकार ने जो पहले एकेडमी...

श्री चन्दनमल : वे साले नहीं पटाक साले हुए।

श्री मुरलीधर व्यास : मेरे कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार के व्यक्तियों के द्वारा उन पदों पर, जो प्रधान हैं, काम चलता रहे, वहां ऐसी हालत है तो इससे पता लग सकता है कि ऐसा कौन सा स्थान हो सकता है जहां पर वाकई सही तरीके से न्याय दे सकते हैं। इस व्यक्ति के लिए स्पेशल पोस्ट क्रिकेट की गई, एक तरीका अपनाया गया, जिससे वे आ सकें। अभी वे अस्थाई रूप से काम कर रहे हैं लेकिन उन्हें स्थाई रूप से करने के लिए जिस प्रकार काम चलता है, उसको गहराई से देखना चाहिए। मैं इन बातों को इसलिए आपके सामने रखता हूं जिससे मालूम हो सके कि सही मायने के अन्दर पता लग सके कि राज्य को चलाने का आज कौन सा तरीका है आज यह भावना है कि अधिक से अधिक आदमियों को, अपने आदमियों को काम करने का मौका दे सकें और साथ ही साथ अपने पक्ष की राजनीति चला सकें। जनतंत्रीय तरीके से काम चल सके, ऐसी भावना नहीं है। नगरपालिकाओं और पंचायत के बारे में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनका काम वैधानिक तरीके से नहीं होता। अगर कहीं पर विरोधी दल की नगरपालिका है तो वहां जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जाती है। वहां के अधिकारियों को, चुने हुए लोगों को हटाने की कोशिश की जाती हैं और दूसरे पक्ष के लोगों की नगर-पालिका या पंचायत के कैसे ही मामले हों, उनका ध्यान नहीं रखेंगे। मैं दो उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं; एक तो नेनवा नगरपालिका का.......

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Vyas, I appeal to your good sense. After all 45 minutes should not be a short time.........

श्री मुरलीधर व्यास : मै नेनवा नगर पालिका की बात कहता हू........

श्री उपाध्यक्ष : I repuest you, you will kindly conclude it within two minutes.

श्री मुरलीधर व्यास : मैं नगरपालिका नेनवा की बात कहता हूं, जहां पर नगर-पालिका ने इतना अच्छा काम किया, वैसे वह छोटी सी नगरपालिका है, पर उसके मुकाबले की नगरपालिका राजस्थान में नहीं है। उस नगरपालिका के क्षेत्र में सात-आठ हजार की आबादी है, उस नगरपालिका ने नगर व गांवों में बिजली लगाई और सुविधायें, ऐसी नगर-पालिका आपको राजस्थान में नहीं मिलेगी जिसने मेहनत करके इतना अच्छा काम किया

(श्री मुरलीधर व्यास)

हो। उस नगर पालिका के चुनाव की तारीख नजदीक आ रही थी, तारीख घोषित होने को थी। मैंने लिखा कि इस नगरपालिका की ऐसी हालत है, इस नगरपालिका की कमेटी को एक महीने की और मयाद बढ़ा दी जाय। लेकिन अधिकारियों ने कहा, क्योंकि समय हो चुका है, इसलिए इन लोगों को रोकना ठीक नहीं है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में कौनसी नगरपालिका है जहां पर इस तरह का कार्य किया गया हो....

श्री चन्दनमल वैद : सरदारशहर में किया है।

श्री मुरलीधर व्यास : मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर जनता के चुने हुए अध्यक्ष रह जाते तो क्या गड़बड़ी हो जाती, क्या अन्याय हो जाता, लेकिन क्योंकि वहाँ प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के चेयरमैन थे, उनकी मेजोरिटी थी इसलिए एक महीने का टाइम नहीं दिया और एडमिनिस्ट्रेटर को अपोइन्ट करना चाहते थे, अब एडमिनिस्ट्रेटर अपोइन्ट कर चुके हैं। मैंने एक तार भी दिया कि यह एक छोटी सी चीज़ है, इस मामले में पक्षपात नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार बनेड़ा की पंचायत के अन्दर हुआ। उस पंचायत में सब प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के मेम्बर थे, उस पंचायत को त्याग-पत्र देना पड़ा, क्योंकि काम करने की आजादी नहीं है। वहां पर एक कुंड़ है। कांग्रेस ने चुनावों में वोट लेने के लिए मुसलमानों से कहा कि तुम्हारे ताजिये कुंड में डलवा देंगे। जब चुनाव के बाद ताजिये डलवाने का सवाल आया, उस समय मंत्रीजी ने क्या इशारा किया कि वहां ताजिये डलवाने के लिए डी० आई० जी० व पुलिस बन्दूक और अश्रु गेस लेकर पहुंची और ताजिये किसी प्रकार डलवाये गये। वह कुंड हिन्दुओं के स्नान का स्थान है। पंचायत का कहना था कि ताजिये नहीं डाले जायं क्योंकि एक लड़का उसमें डूब गया। ताजिये के डंडे में उसका पैर फंस गया, इसलिए वह डूब गया, लेकिन सहानुभूति प्राप्त करने के लिए ताजिये उस कुंड में डलवाये गये; क्योंकि पंचायत ने रोका था, इसलिए वहां की पंचायत ने त्याग-पत्र दे दिया। आजकल वह पंचायत काम नहीं कर रही है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अपने पक्ष का समर्थन किया जाय और दूसरे पक्ष की पंचायतों को काम न करने दिया जाय, दूसरे पक्ष के बोर्ड को काम न करने दिया जाय, उनका दमन करें। जिनको जनता ने बोर्ड की बागडोर सौंपी है, उसको छीनने की कोशिश करें तो मैं समझता हूं यह जनतन्त्र नहीं होगा। मैं एक नहीं कई म्युनीसिपेलिटीज का उदाहरण दे सकता हूँ लेकिन मैंने एक उदाहरण दिया क्योंकि पूरे ढेर में से एक मुट्ठी भर गेहूं निकाल कर देख लेने से ही गेहूं का नमूना मालूम पड़ सकता है; इसलिए अधिक उदाहरण देने की जरूरत नहीं है।

इसी प्रकार भ्रष्टाचार की बात कहना चाहता हूं। आप नगर पालिकाओं की बात कहते हैं, मैं बीकानेर नगर पालिका के बारे में कहना चाहता हूं। सन् १९५० से १९५६ तक लाखों रुपयों का गबन हुआ है। उसके लिए ऑडिटर्स की रिपोर्ट है कि इस आदमी को निकाल देना चाहिये और पुलिस कार्यवाही होनी चाहिए, इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिये। सन् १९५० से १९५६ तक कांग्रेस पार्टी का बोर्ड था, उसके सम्बन्ध में ऑडिट रिपोर्ट देख ले, उसके अन्दर जबरदस्त आरोप लगाये गये हैं परन्तु सरकार ने आज तक ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार जांच नहीं

(श्री मुरलीधर व्यास)

की। मैं प्रश्न करता हूं कि ऑडिट रिपोर्ट का क्या हुआ तो मन्त्री महोदय कहते हैं कि अब तो दूसरा आ गया है, ऑडिट की क्या आवश्यकता है ? जहां जनता के लाखों रुपयों का गबन जाहिर होता है, उनकी जांच करके सजा देने की बात करते हैं तो दोषियों को बचाने की कोशिश की जाती है, यह अनुचित है। जो गरीब बड़ी मेहनत से रोटी कमाते हैं, उनसे टैक्स लेकर नगरपालिकाएं चलाई जाती हैं, उस धन का दुरुपयोग हो और इसकी जांच के लिये कहते हैं तो उनको सजा देना तो दूर उनको बचाने की कोशिश करते हैं। कलेक्टर ने यहां तक लिख दिया कि यह रखने लायक नहीं है, फिर भी चुने हुए लोगों के हाथ मे सौंपता हूं कि वे इसका फैसला करेंगे, वे ही लोग उसको बचाने की कोशिश करते हैं। १८ तारीख को भैंसा मर चुका, वह बराबर गवार खाता है और उसके खाने के लिए चीजें दी जाती हैं उसके पैसे इसमें लगाये जाते हैं और फिर वह मरा हुआ भैंसा जी जाता है और कहा जाता है कि नया भैंसा लाने के लिये पैसे दिये, ये सब बातें ऑडिट रिपोर्ट में हैं। जहां तक गबन का सवाल है अन्त में कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण के अन्त में जोरदार बात कही है विकास के लिए कि विकास आज सबसे बड़ी चीज है और सदस्यों को सोचना चाहिये विकास के साधनों के लिये। उनका इससे मतलब यह है कि विकास के लिये जनता पर टैक्स लगायें। इसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि राजस्थान की आज जो आर्थिक स्थिति है, उसको गहराई से देख लें। जहां तक फाइनेन्स की रिपोर्ट है, ऑडीटर जनरल की राजस्थान के बारे में रिपोर्ट है कि लाखों रुपयों के राजस्थान में गबन के मामले हैं, ५६-५७ तक ३०० गबन के मामले ऐसे हैं जिनमें २०००००० का गबन हुआ है और लाखों का, इतने रुपयों का गबन होते हुए सरकार ने, जिन लोगों ने गबन किया है उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया है। सरकार चुप बैठी हुई है। इससे राजस्थान में गबन के मामले दिन प्रति दिन बढ़ते जा रहे हैं।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

श्री मुरलीधर व्यास: मैं थोड़ी देर में खत्म कर देता हूं। माननीय उपाध्यक्ष, मैं निवेदन करूंगा कि विरोधी पक्ष की हर पार्टी के सदस्य को अपनी बातें रखने का समुचित समय दें।

श्री उपाध्यक्ष : That position does not arise at all. As against the rules, I have allowed you to continue. That was a specific promise from you, a solemn promise. There are so many speakers you see and they are all anxious.

श्री मुरलीधर व्यास : तो मैं इसके सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि टैक्स का सवाल आयेगा पर राजस्थान सरकार की अव्यवस्था के कारण राजस्थान सरकार का सात, आठ करोड रुपया दूसरों पर कर्ज है जो राजस्थान सरकार को लेना हैं दूसरों से, दूसरी ओर राजस्थान सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट से रुपया कर्ज लेकर काम चलाती है और इस तरह के कर्ज की रकम ७ करोड़ है। एक तरफ तो रुपया उन लोगों में बाकी है जो इसके भक्त हैं, दूसरी ओर केन्द्रीय सरकार से ७ करोड़ का कर्ज ले रखा है। राजस्थान सरकार का सात,

(श्री मुरलीधर व्यास)

साढ़े सात करोड़ रुपया खजाने के बाहर पड़ा हुआ है, उसको जमा नहीं कर सकती तो आज २०,००,००० रुपया सालाना व्याज का देना पड़ता है और दूसरी ओर राजस्थान सरकार जैसा कि राज्यपाल महोदय ने कहा कि योजनाओं के विकास के लिये साधन जुटाने की आवश्यकता है, टेक्स लगाने की कोशिश में है, मैं अर्ज करूंगा कि राजस्थान की जनता भूखी है, हालांकि क्षणिक उतार चढ़ाव को ले कर कह दिया गया है कि अनाज भाव गिर रहे हैं लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि अनाज के भाव बढ़ रहे हैं, पहले से बराबर ज्यादा रहे हैं और अनाज के भावों को संतुलित रखने की कोई व्यवस्था नहीं रही है। आज हर गरीब की क्या हालत है ? हिन्दुस्तान के रहने वालों के बारे में बड़े बड़े लोगों ने आंकड़े दिये हैं, अमेरिका के एक बहुत बड़े व्यक्ति ने कहा है कि हिन्दुस्तान में १० करोड़ आदमी एक टाइम खाते हैं। ऐसी हिन्दुस्तान की स्थिति है, ऐसी स्थिति में टैक्स लगाने की बात आये और उस हालत में टैक्स लगाये जायं जब कि राजस्थान सरकार का करोड़ों रुपया उसके लोगों में बाकी है, उनको वह वसूल नहीं कर सकती।

इस आधार पर नये टैक्सों की बात आ जाए तो मैं निहायत अदब के साथ अर्ज करूंगा कि यहां की जनता भूखी है, इस पर और नये टैक्स न लगाये जायं। राजस्थान सरकार की टैक्सों के बारे में कोई निर्धारित नीति हो, ऐसी भी बात नहीं। राजस्थान सरकार की टैक्सों के बारे में ऐसी नीति है जो भूखे से भूखे आदमी पर सीधा असर करती है, वह बड़ी मेहनत से जो आधी रोटी कमा पाता है उसमें से भी उसे टैक्स के रूप में देना पड़ता है, इस प्रकार की राजस्थान सरकार की टैक्स की नीति है। इस प्रकार की नीति को कोई भी समाजवादी सहन नहीं कर सकता। मैं निवेदन करूंगा कि टैक्सों के बारे में, जमीनों के बारे में उद्योगों के बारे में एक निश्चित नीति होनी चाहिये।

जिप्सम के बारे में राज्यपाल महोदय ने सुझाव दिया कि प्राइवेट एन्टरप्राइज़ के रूप में यहां पर खाद का कारखाना खुले। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि प्राइवेट एन्टरप्राइज़ के रूप में अगर खाद का कारखाना खोला गया तो आम किसानों को इससे कोई फायदा नहीं होगा, राजस्थान सरकार के अपने आदमियों को फायदा पहुंचाया जायगा। ४५ प्रतिशत शेअर्स हैं, ५ प्रतिशत शेअर अधिक लेकर इस पर कब्जा करें और इसका राष्ट्रीयकरण करें, शेअर्स ले सरकार इसे अपने कब्जे में रखे और यह किसानों तक सीमित हो। सरकार ने अगर इस प्रकार की योजना बनाई है तो उसको चाहिये कि जिप्सम उत्पादन का राष्ट्रीयकरण करें और खाद का कारखाना सरकार स्वयं खुद खोले। इससे खाद के भावों का, कीमत का फायदा किसानों को मिलेगा।

सरकार की नीति इसमें कही गई है कि राजस्थान सरकार जावर माइन्स में मशीनों के द्वारा काम कराना चाहती है, और मशीनों के लिये ऑर्डर भी दे दिया है। मैं इसकी खिलाफत करता हूं। जिस खान में खोदने से वही खर्चा लगता है, उसके प्रोडक्शन में खर्चा नहीं बढ़ता तो....

श्री जनार्दनराय नागर : मशीन से खोदने की बात नहीं है, स्मेल्टर की बात है।

श्री मुरलीधर व्यास : मशीनों का मतलब मैं समझता हूं।

श्री जनार्दनराय नागर : स्मेल्टर का मतलब आप नहीं समझते।

श्री मुरलीधर व्यास : जामसर में इसी प्रकार का मशीनीकरण हुआ और उसका नतीजा यह हुआ कि १००० मजदूर कम किये गये। खोदने के काम के लिये मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाय और मैं तो यहां तक कहता हूं कि ब्लास्टिंग भी नहीं किया जाय, इससे वाकई में सही माने में मजदूरों के हाथ कटते हैं। इसको अच्छी तरह से देख लिया जाय, मशीनों का वहां पर उपयोग नहीं किया जाय।

पलाना की खानों के बारे में........

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैं काफी बोल चुका हूं और उपाध्यक्ष महोदय ने समय की सूचना दी है, अतः मैं यही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

(अनेक सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदनसिंह।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है, उसका मैं विरोध करता हूं और वह विरोध केवल इसलिये करता हूं कि उसमें राजस्थान सरकार की केवल अच्छाइयां ही अच्छाइयां थीं, बुराइयां नहीं थीं, यह बात नहीं है; बल्कि इसलिये विरोध करता हूं कि गवर्नमेंट की अच्छाइयां भी उसमें नहीं थी।

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे माननीय राज्यपाल महोदय का यहां पधारना दो बातों के लिये होता है, एक तो इसलिये कि वे हैड ऑफ दी स्टेट होने से उनके कर कमलों से कार्य शुरू होता है, दूसरे हैड ऑफ दी स्टेट होने से गवर्नमेंट सम्बन्धी सब कार्यवाहियां ठीक तरह से वे बता सकते हैं, स्टेट में दूसरा कोई नहीं है जो बता सके। पर उनके भाषण में देखते हैं तो यह कहीं नहीं दिया गया है कि वाकई में गवर्नमेंट को क्या क्या कार्य करने चाहिये थे, उनमें यह यह कमी है, इस वास्ते उनके भाषण का विरोध करना पड़ता है। शुरू में अर्थ व्यवस्था के बारे में राज्यपाल का भाषण हुआ, उसमें इसकी युक्ति कुछ नहीं है कि राजस्थान में अर्थ व्यवस्था किस तरह ठीक हो सकती है।

दूसरा जो टैक्सेज़ लगे और उन टैक्सेज के कारण जनता को जो परेशानी हुई है उस सम्बन्ध में कोई ज्यादा बातचीत इसमें नहीं हुई।

तीसरा एजुकेशन के बारे में। मैं सबसे ज्यादा उम्मीद राज्यपाल से यह कर रहा था कि वे एजुकेशन के विषय में विशेष बातें बतावेंगे। इसमें दो बात नहीं हो सकतीं कि राजस्थान सरकार ये शिक्षा के अन्दर वाकई काफी कोशिश की है लेकिन दो मुख्य चीजें न तो सरकार ने विचाराधीन रखी हैं और न शिक्षा मंत्री को उस विषय का, मुझे ऐसा ख़याल लगता है, ज्ञान है। वे दो चीजें क्या हैं? किसी भी सरकार को और किसी भी शिक्षा मंत्री को अपने हृदय में रख लेना चाहिए; यह है कि मास्टरों का ट्रान्सफर हो रहा है। बार बार उनका ट्रान्सफरर्स करते हैं, उनको एक जगह नहीं रखते, यह एक बुरी चीज़ है। कहीं कोई मास्टर पढ़ा रहा है उसको वहां ६ महीने रख कर उसका ट्रान्सफर कर देते हैं

(श्री मदनसिंह दांता)

यह एक बुरी चीज़ है। चाहे सरकार १ अरब रुपया भी रख दे तो भी शिक्षा में उन्नति नहीं हो सकती। यह तो यह हो रहा है कि कोई घी का पीपा सड़क पर गिर गया, जिसका वह घी है अब वह जब वह ढुल गया तो कहने लगे कि यह सड़क पर लोगों के चाटने के लिए डाल दिया, यह गलत है। मास्टरों को किस प्रकार से स्कूलों में रखना चाहिए और यदि यह शिक्षा मंत्री और अधिकारियों को मालूम नहीं है तो यह फिजूल है। प्राचीन संस्कृति में यह पढ़ते आये हैं कि यदि गुरु बार बार पलटा जाता है तो चेले का सर्वनाश हो जाता है और यदि गुरु स्थायी रूप से नहीं रखा जाता है तो गुरु का कल्याण नहीं होता। गांवों के स्कूलों में जाकर देखें तो आपको मालूम होगा कि उस गांव का कहीं मास्टर नहीं है, मास्टर अगर डूंगरपुर का है तो उसको बीकानेर ट्रान्सफर कर दिया, बीकानेर का है तो जैसलमेर ट्रान्सफर कर दिया। वह क्या शिक्षा देगा और उस शिक्षा से क्या फायदा ? मैं पढ़ता था उस वक्त की बात बताता हूं कि हिस्ट्री का पीरियड महावीर दयालजी का, यदि एक पीरियड में नहीं होते तो ६ महीने की पढ़ाई खराब हो जाती थी, ऐसा माना जाता था। जहां १५, २० वर्ष पहले ऐसा माना जाता था और इस प्रकार शिक्षा की और बच्चों की पढ़ाई की ओर ध्यान दिया जाता था कि एक घंटा न आवे तो बच्चों के लिए इतना खतरनाक हो जाता था और आज यह हो रहा है मास्टरों का ट्रान्सफर कर दिया जाता है यह शिक्षा के लिए अच्छा नहीं है। राजस्थान में शिक्षा में परिवर्तन आया है, इस ओर सरकार ने कोशिश की है लेकिन उस कोशिश के साथ ही, उन प्रयत्नों के बावजूद भी इस प्रकार की बातें होती हैं। गांवों में जाकर बच्चों को यदि पूछा जाय तो पता चलेगा, मैं कई गांवों में गया हूं और पूछा तो वे कहते हैं कि फलां बड़े अच्छे अंग्रेजी के मास्टर थे लेकिन उनको उदयपुर भेज दिया गया, जो अच्छे मास्टर हिस्ट्री के पढ़ाने वाले थे उनको जैसलमेर भेज दिया और जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं वे यही सोचा करते हैं कि उनके अच्छे पढ़ाने वाले मास्टर चले गये। शिक्षा मंत्री जी इस ओर ध्यान रखेंगे कि मास्टरों का ट्रान्सफर होना ही नहीं चाहिए, चाहे ऊपर से ही क्यों न सिफारिश आ जाय, उनको चेन्ज नहीं करना चाहिए, यह हमारे हित में है।

दूसरा, आज शिक्षा अच्छी तरह से नहीं मिल रही है उसका कारण है मास्टरों की कम तनख्वाहें। सब की तनख्वाहें बढ़ाने की बात होती है लेकिन न तो आज मास्टरों की कद्र है और न उनकी कोई बात ही करता है। मैं गांवों में गया, मास्टरों को बार बार तंग किया जाता है, उनसे बेगार का काम लिया जाता है। डेवलपमेंट के काम में कलेक्टर्स उनको बांध लेते हैं। स्पेशल पीरियड होते हैं उसके बीच में ही उनके लिए ऑर्डर आ जाता है कि आपको कलेक्टर साहब ने बुलाया है, कोई विचारधारा चल रही है, चाहे स्पेशल पीरियड समाप्त हो या न हो उसको बीच में ही छोड़ कर उनको वहां जाकर अटेन्ड करना पड़ता है। उनका कोई महत्व नहीं है, शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। कोई नेता जाकर किसी तरह मास्टरों को कुछ कह देता है, कोई नागरिक जाकर कुछ कह देता है, जैसे मास्टरों का कोई महत्व ही नहीं है। वे मास्टरों को कोई महत्व नहीं देते। अगर राजस्थान में शिक्षा अच्छी देनी है तो मास्टरों की कद्र करनी पड़ेगी। पुराने जमाने में जिस तरह से गुरुओं की कद्र होती थी उसी प्रकार करना पड़ेगा। यदि मास्टर ठीक तरह नहीं रखे जावेंगे तो आगे जाकर बच्चों के दिमाग

(श्री मदनसिंह दांता)

में और न मास्टरों के दिमाग में यह बात आयगी। पुराने जमाने में सन्यास क्यों लिया जाता था इसलिए कि उनको घर की चिन्ता नहीं रहती थी और वे बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सकते थे। लेकिन आज मास्टर सन्यास न लें तब भी मास्टरों की पे अच्छी होनी चाहिए जिससे कि उनको अपने घर की फिक्र न रहे। इस सम्बन्ध में मुझे ये दो बातें कहनी थीं।

दूसरा सुरक्षा के बारे में कल से प्रसंग चल रहा है, उसके बारे में कहना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि सेक्रेटेरियेट तक होम डिपार्टमेन्ट का अच्छा काम होता है। यह राज्यपाल के भाषण में नहीं आया है कि यह काम तारीफ का है। सबसे बड़ी खराबी जो सेक्रेटेरियेट में थी उसमें पहले व्यवस्था बैठी है, कागज ठीक ढंग से चलते हैं। जब सुरक्षा के विषय में राज्यपाल महोदय भाषण दे रहे थे तो मैं सही कहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह असेम्बली का नियम था, अन्यथा मैं उस वक्त उठ कर कह देता। मेरी सब से बड़ी दुश्मनी है चोरी से, अन्याय से। कौन कहता है कि सुरक्षा का काम हो रहा है? कौन कहता है कि चोरियां बन्द हो गई हैं? जैसा कि माननीय भैरोंसिंहजी ने कहा कि इसके लिए होम मिनिस्टर जिम्मेदार हैं, वे चाहें तो सीधा कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि आज ८० पर्सेन्ट चोरियां बढ़ी हैं। अगर यह बात गलत है, यह साबित कर दें तो मैं असेम्बली से इस्तीफा दे दूं और अगर यह सही है तो होम-मिनिस्टर साहब इस्तीफा दे दें।

(विरोधी पक्ष द्वारा करतल-ध्वनि)

पहले भी राज्यपाल महोदय ने गये साल कहा था कि सच्चे रूप से चोरी बन्द नहीं हुई थी। आपको मालूम होना चाहिये कि थानेदार स्वयम् चोरी सिखाते हैं कि चोरी कैसे करनी चाहिए और चोरी करके फिर कैसे बच सकते हैं? आप चाहें तो कल ही जीप ले जाकर, होम मिनिस्टर साहब को सिद्ध करा सकता हूं कि किस तरह से प्रीचिंग होता है, थानेदार किस प्रकार लोगों को चोरियां कराना सिखाते हैं और इसका कानूनी जवाब क्या होना चाहिये और जिसके यहां चोरी की जाय उसको इस प्रकार दबाना कि वह थाने में जाकर रिपोर्ट न करे। मेरी कोन्स्टिट्युएन्सी के गांव लोशल की बात है कि थानेदार के खिलाफ ३४ इल्जाम हैं और उस रिपोर्ट को इसलिये खत्म करते हैं कि चौड़े कर देते हैं तो सुपरिन्टेन्डेन्ट यह कहें कि डिविजन की पोल ही सामने आ जावेगी; ३४ जिसके खिलाफ इल्जाम हों, अपराध जिसके हों उसको बचाया जाय। आज यह राज्यपाल महोदय को कौन कहे। यदि महाराजा रामसिंह जी का समय होता तो पता चलता क्योंकि वे स्वयम् ऊंट पर बैठ कर घूमते थे। इस प्रकार राज्यपाल जावें तो सही बातें सुरक्षा के विषय में भी मालूम हों। लोशन के अन्दर खिघड़ावट के थानेदार में, कौन से अवगुण नहीं है जो उनमें नहीं मिलते। उनके अवगुण मैंने देखे और इस सम्बन्ध में आई० जी० पी० को रिपोर्ट की और उन्होंने मेहरबानी करके इन्क्वायरी के लिये भेज दी। लेकिन इन्क्वायरी इसलिये दबाई गई कि थानेदार के खिलाफ इतने काण्ड हो चुके हैं। वहां के थानेदार का सबसे बड़ा काम जो हो सकता है वह यह है कि ठाकुर साहब के पुराने गढ़ में, जैसे ठग बैठ जाते हैं उसी तरह से आदमी बैठ जाते हैं, वहां शराब गढ़ी हुई है, वहां खुले रूप में शराब की बिक्री होती है, जब रात को शराब पीने के

(श्री मदनसिंह दांता)

लिए चोर आते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि फलां जगह चोरी हुई, उसका जवाब यह है; चोरी करो लेकिन चोरी का जो माल है उसमें से आधा हमें दे दिया करो और आधा खा जाया करो और अगर हमारे पास शिकायतें भी आयी तो हम आधा माल बतायेंगे भी नहीं। अगर आधा माल बता देते हैं तो सारी सम्पत्ति पुलिस के कब्जे में आजाती है, तो क्या किया जाता है कि गोल्ड और चान्दी की चीजों को तोड़ दिया जाता है। मैं आपको एक सही किस्सा सुनाना चाहता हूं, इसके मारे लासोल के बनिये का हार्टफेल होता होता बचा है। तुझसे उन्होंने शिकायत करनी चाही मैंने उनसे सब के सामने कह दिया, कहो आपको क्या शिकायत है? वह बनिया इतना डरा हुआ था कि उसने कहा पहले सबको बाहर जाने दो, फिर मैं कहूंगा। उसने कहा, मैं कोटा डिवीजन के बारां में रहता हूं, पन्द्रह बीस रोज हुए मेरे यहा चोरी हुई। सिघरवाडा के थानेदार आते रहे, उनको जब कहा गया तो उन्होंने कहा कि आधा परदा माल मिल जाय तो भी ठीक है। थानेदार और चोर मिल जाते हैं और जो चोरी किया हुआ सोना और चांदी है उसको गला देते हैं, ताकि यदि उसको उस व्यक्ति के सामने रखा भी जाय तो पता नहीं चल सकता कि यह उसी का माल है। ये डिपार्ट-मेन्टली शिकायतें करते हैं तो इस प्रकार से सिद्ध हो नही सकतीं। माननीय होम मिनिस्टर साहब से मैं प्रार्थना करूंगा कि वे किसी भी अपने विश्वासपात्र आदमी को मेरे साथ सिघरवाडा भेजें, मैं उनको बताऊंगा कि केवल मेरी कॉन्स्टीटयुएन्सी के एक थाने लोसल में थानेदार और पुलिस के क्या क्या कबाड़े चल रहे हैं। मैंने इस बारे में कई शिकायतें कीं आज तक डिपार्टमेन्ट की ऐसे पुलिस कर्मचारियों को किसी प्रकार की सजा नहीं मिली। उपाध्यक्ष महोदय, जब वे थानेदार महाशय शराब के नशे में चूर होते है तब उनका मजा देखने लायक होता है। लोसल के अन्दर खुले आम जुआ चलता है, पहले तो चालीस रुपये माहवार बन्धे हुए थे अब उसको बढ़ाकर १५० रुपये कर दिये गये। खूब अन्धाधुन्ध जुआ चल रहा है। यह जो रुपया बन्धा हुआ है थानेदार साहब के पास महीने के महीने पहुंच जाता है। ऊंट चोरी गये, सौ रूपया दो सौ रूपया लेकर दे दिया गया; मैंने खुद ने इस बात की इन्क्वायरी की है, मुझे यह मालूम हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे होम मिनिस्टर साहब को इशारा कर देना चाहता हूं कि अगर उनसे इनकी रोकथाम नही हुई तो हम गांव वालों को अपना खुद का प्रबन्ध करना पड़ेगा। जागीरदारी आपने खत्म की, उसके साथ साथ आप थानेदारी भी खत्म कर देते तो आज जो पुलिस में इस प्रकार की गड़बड़ी है वह नहीं रहती। आज थानेदारों की जरूरत नहीं। आपके मुन्शी ईमानदार हैं, बेचारे पुलिस के जवान ईमानदार हैं, सर्कल इन्सपेक्टर्स इमानदार है; इन ओहदों में जरूर सुधार हुआ है लेकिन थानेदारों को तो जनता को लूटने का बहुत अच्छा अवसर मिल गया है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस थानेदारी को जल्दी से जल्दी खत्म कर देना चाहिये।

श्री चन्दनमल वैद : जमींदारी के साथ साथ थानेदारी भी चली जायगी।

श्री मदनसिंह : आप जैसे सदस्यों के यहां विराजे हुए यह कभी नहीं हो सकेगा। आधा काम तो थानेदारों के लिये आप सदस्यों का होता है। मैं होम मिनिस्टर साहब

Page No.89

(श्री मदनसिंह दांता)

से निवेदन करूंगा कि कम से कम ऐसे लोगों को आप दंड नहीं देंगे तो गड़बड़ी होगी। इतनी सारी शिकायतों के बावजूद भी उस थानेदार को उसी थाने में रखा गया ताकि जिन लोगों ने उसकी शिकायतें कीं उनको दबाया जाय। मेरी खुद की भी गवाही हुई। मैंने सब बातें थानेदार की साफ साफ रख दीं लेकिन डिपार्टमेन्ट वाले उसके खिलाफ एक्शन लेने में बिलकुल अपने को असमर्थ पाते हैं क्योंकि मैंने उसकी चार-पांच साल की सब बातें रख दी थीं। अगर एक्शन लेते हैं तो एस० पी० की रिपोर्ट बिगड़ेगी।

खाटू के थानेदार का मैं एक किस्सा बयान करूं। मैंने उनका कान पकड़कर रुपया वापिस करवाया है। मैंने उनसे कहा कल जो रुपया तुम्हें दिया गया था वह वापिस कर दो। उनका कान पकड़ कर वापिस करवाया गया। इससे ज्यादा और क्या सुबूत दिया जा सकता है, कान पकड़कर किसी के रूपये दिलवाये जायं इससे अधिक दुर्व्यवस्था और क्या पुलिस की हो सकती है। अगर मैं होम मिनिस्टर होता तो इस प्रकार के पुलिस के कारनामे देखकर कभी का इस्तीफा दे देता, एक दिन भी यहां नहीं रुकता; तो ऐसे कबाड़े भी नहीं होने देता। राजाओं को यह पता नहीं होता था कि बालजी खवास क्या कर रहे हैं। लेकिन आप तो उनसे भी बढ़कर रहे........

श्री श्रीभानसिंह : Self praise is no recommendation.

श्री चदनमल वैद : What is it?

श्री श्रीभानसिंह : Self praise is on recommendation. Do'nt be jealous.

श्री उपाध्यक्ष : We may turn it sometimes to be a recommendation.

श्री मदनसिंह : (जारी रखते हुए) आज थानेदारी के नीचे हमारे राज्य में क्या क्या कारनामे हो रहे हैं वे मैंने आपके सामने रखे।

इधर भीम तहसील का जिक्र है। पुलिस के जरिये औरतों तक को उड़ाया गया। सारी चीजों की रिपोर्ट हुई किन्तु उसको वहीं खत्म कर दिया गया। इन्क्वायरी हुई लेकिन अभी तक किसी का कुछ नहीं हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, थानेदार लोग खुले आम शराब पीते हैं, मां बहिनों की गालियों के सिवाय बात नहीं करते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है इसी थानेदार को चोधरी ने पार्टी दी, उसमें मुझे भी बुलाया गया और चौधरी साहब ने कहा कि हम आपको थानेदार के तमाशे बतायेंगे। पार्टी हुई, उसमें मैं भी गया। मैंने देखा थानेदार साहब बोतलों पर बोतलें पी रहे हैं, उसके बाद उठकर मेरे से गले मिले और मुझसे कहा, ठाकुरसा आपको तो मेरी सब हरकतें मालूम हैं, आप गले मिल कर मुझे माफ करो। मुझ जैसे गरीब के साथ भी इस प्रकार की बातें होती हैं, तो उन जनता के बेचारे लोगों के साथ क्या होता होगा? मां बहिन की गाली सिवाय तो वे किसी से बात ही नहीं करते।

पुलिस कर्मचारियों के अन्दर एक संगठन बन रहा है। हो सकता है इस प्रकार के संगठन से पुलिस विभाग में कुछ सुधार आवे। लेकिन हमारी सरकार तो इस पर तुली हुई है कि यह संगठन बनने ही न पावे। मुझे विश्वास है कि पुलिस के कर्मचारी इस प्रकार से अपना संगठन बनाकर आज पुलिस के प्रति जो दुर्भावनायें लोगों में हैं उनको दूर

(श्री मदनसिंह दांता)

कर पायेंगे। मेरा आई० जी० पी० से और होम मिनिस्टर साहब से निवेदन है कि लॉ एन्ड ऑर्डर की आज ऐसी स्थिति है कि हो सकता है किसी भी समय जनता उसको अपने हाथों में ले ले, इसकी गंभीरता को उन्हें सोचना चाहिये, केवल कागजी कार्यवाहियों के आधार पर नहीं बल्कि गांवों में जाकर देखना चाहिये, कि पुलिस गांवों में क्या क्या कार्यवाहियां करती है।

पुलिस वाले संगठन बना रहे हैं उस संगठन को दबाने का तरीका यह नहीं है कि उनको हर प्रकार से सजा देकर दबाया जाय। जब पुलिस के उच्च अधिकारी हैं, वे अपना संगठन बना सकते हैं, अगर आप उनके संगठन को खत्म कर दें तो उनको भी संगठन बनाने से मना कर सकते हैं, अन्यथा यह नहीं हो सकता कि उच्च उच्च अधिकारियों का तो संगठन हो और वे पुलिस के संबन्ध में विचार कर सकें, बुरे भले के बारे में विचार कर सकें, वहां छोटे कर्मचारियों को संगठन बनाने के लिये आप क्यों मना करते हैं? उनको रोकथाम करते हैं, यह गलत बात है। आज जो पुलिस के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वह गैर कानूनी है। आज देखने में यह आता है कि एन्टी करप्शन विभाग में जितने भी पुलिस के कर्मचारी हैं उनको ट्रान्सफर करने का अधिकार एन्टी करप्शन विभाग के आई० जी० को मिला हुआ है। उनकी मरजी के खिलाफ ट्रान्सफर नहीं हो सकता, लेकिन आज उनके विभाग के लोगों का भी जल्दी से जल्दी ट्रान्सफर किया जा रहा है ताकि संगठन में फूट पड़ जाय। यह जो संगठन तोड़ने का तरीका सरकार अपना रही है वह गलत है। उनको समझा-बुझाकर ऐसा किया जा सकता है, ऐसा कोई कानून बना दिया जाता है कि वे संगठन नहीं बना सकते यह बुद्धिमानी नहीं। इससे तो संगठन और प्रबल जो पकड़ेगा और अपने अधिकार लेकर रहेगा।

मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ, चोरियों का प्रतिशत बढ़ा है और ८० प्रतिशत बढ़ा है घटा नहीं है। प्राइवेट तरीके से थानेदारों के जरिये जो फैसले होते हैं उनको रोका जाना चाहिये। राज्यपाल महोदय को इस बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था, अगर ज्ञान होता तो वे ऐसी बात नहीं कहते। जब उच्च अधिकारियों का संगठन है वे पुलिस के बारे में विचार कर सकते हैं तो छोटे कर्मचारी अपने बुरे भले के लिये अगर संगठन बनाते हैं तो सरकार को उसमें क्यों आपत्ति होनी चाहिये, उनको रोकथाम करना गलत बात है।

लोकलसेल्फ गवर्नमेन्ट डिपार्टमेन्ट हमारा इतना सुस्त है कि दुनियां का और कोई डिपार्टमेन्ट इतना सुस्त नहीं होगा और यहां इस विभाग की यह भी खासियत है कि कोई भी आदमी कितना ही तेज क्यों न हो इस विभाग में घुस जाय तो उसमें भी सुस्ती आ जाती है। इसमें कभी कोई काम ढंग से नहीं हुआ। ढंग से किसी चीज का जवाब तक नहीं दिया जाता। अगर किसी चीज के बारे में माननीय मंत्री महोदय से मिला जाय तो उसका एक छोटा सा जवाब होगा और वह भी बिल्कुल छोटे से शब्दों में "होजायगा" इसके अलावा और कुछ भी उत्तर वे नहीं देते। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सच कहता हूं मुझे केवल इन शब्दों को सुनने के लिये अपनी एक जोड़ी तोड़नी पड़ी। सेक्रेटेरिएट से होस्पीटल और होस्पीटल से सचिवालय के बीच जाते-आते मेरी एक जोड़ी टूट गई।

अभी कल ही हमारे माननीय मित्र,

(श्री मदनसिंह दांता)

ने बाघला और बनाथला पंचायतों के बारे में जिक्र किया था । वहां दो साल से पंचायतों का झगड़ा चल रहा है । दो पंचायतें चल रही हैं दोनों अलग अलग पंचायतें कर रहे हैं, कई दफा इस बारे में लिखा गया, फैसला भी हो गया कि एक पंचायत टूट जानी चाहिये लेकिन फैसला केवल जयपुर स्टेशन तक पहुंच कर रुक जाता है आगे नहीं पहुंच पाता पर दूसरा आदमी आता है और वापिस मिनिस्टर महोदय से ऑर्डर करा कर ले आता है और वहां का काम बन्द हो जाता है । और सब से बड़ी दुख की बात यह है कि आज तो कुछ फैसला हो जावेगा और कल दूसरा मन्त्री महोदय के पास गया तो दूसरा फैसला हो जावेगा ।

श्री चन्दनमल वैद : आपका काम तो नहीं पड़ा ?

(हंसी)

श्री मदनसिंह : मैं ऐसी आशा तो नहीं करता । पर अगर यह नौबत आ जावे तो मजबूरी है फिर ।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : यह काम आपके जिम्मे छोड़ दिया है ।

(हंसी)

श्री जनार्दनराय नागर : यह तो व्यक्तिगत सम्बन्धों की बात है ।

(हंसी)

श्री मदनसिंह : तो मैं कह रहा था कि आज कुछ और, कल कुछ फैसला हो जाता है । वहां एक पंचायत थी बघाखला की । उसको तोड़ने की बात थी । पर तोड़ दी बखाला को । हमने पूछा आपने यह क्या किया ? तो जवाब मिला इसका बब्बा और लल्ला एक ही मिल रहा था इसलिये इसको तोड़ दिया गया ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह बात नहीं है ।

(हंसी)

श्री मदनसिंह : आप सुनिये तो सही....

श्री बद्रीप्रसाद : गलत बात क्यों कहते हैं ? (हंसी) दोनों की बात चल रही थी न ।

(हंसी)

श्री मदनसिंह : आप सब्र तो रक्खें । अभी तो मैं एक ही नमूना बता रहा हूं । दो चार बातें कहूं तो मालूम नहीं आप क्या क्या फरमावेंगे । मैंने कहा जवाब दिया गया बब्बा और लल्ला तो मिल गया, इसलिये तोड़ दिये । उनके चुनाव अभी तक वापिस नहीं हुए और यह हालत चल रही है । ऐसे डिपार्टमेन्ट का हैड ऑफिस यहां न रख कर डिस्ट्रिक्ट में रख दिया जावे तो बहुत अच्छा रहेगा । वहां काम ज्यादा हो सकता है और फिर इनसे तो काम नहीं होगा । इनके पास दो काम हैं, हैल्थ मिनिस्टर भी हैं और लोकल सैल्फ मिनिस्टर भी हैं । उनके हैल्थ के सम्बन्ध में तो मैं क्या कह सकता हूं । आज सुबह ही मैंने पूछा था रिंगणवाय का आपके पास क्या इलाज है । रिंगणवाय का इलाज नहीं निकाल सकते उनके डॉक्टर ।

(हंसी)

श्री जनार्दनराय नागर : आयुर्वेद में इसका कोई दूसरा नाम है क्या ?

श्री मदनसिंह : यह आयुर्वेद का ही नाम है रिंगणवाय ।

Page No.92

श्रीमती डा० चन्द्रकला : इसका अंग्रेजी नाम बताइये।

श्री मदनसिंह : तो यह हालत है उनके हैल्थ डिपार्टमेन्ट की।

श्री चन्दनमल वैद : वक्ता महोदय इससे पीड़ित हैं क्या ?

(हंसी)

श्री मदनसिंह : मन्त्री महोदय से निवेदन किया कि आप डॉक्टरों का ट्रान्सफर कम किया करो। अभी सीकर में ऐसा अन्याय हुआ कि वहां के डाक्टर को एक दम चेन्ज कर दिया, जो डाक्टर वहां मरीजों को अपने बच्चों की तरह पाल रहा था उसे वहां से हटा दिया गया। वह जानता था कि किस का इलाज कैसे होना चाहिये, इसका किस तरह से ठीक इलाज हो सकता है वह एक एक मरीज की बीमारी में पूरी पूरी दिलचस्पी लेता था। आज सैकड़ों रोगी सरकार को रो रहे हैं, इस विभाग को कोस रहे हैं। अब क्या मालूम किसकी सिफारिश से यह हुआ, यह मंत्री महोदय ही जानें। सिवाय सिफारिशों पर ट्रान्सफर करने-कराने के के मिनिस्टरों का कोई काम नहीं रहता !

अब न कोई शिक्षा में कोई ऐसा चेन्ज हुआ जिसके बारे में राज्यपाल महोदय ने कुछ बताया हो, न सुरक्षा सम्बन्धी और न पुलिस के सम्बन्ध में ऐसी कोई योजना रखी है जिसके सम्बन्ध में हमको कोई यह प्रेरणा मिले कि हम उनको उसके लिये धन्यवाद दें।

पुलिस के सम्बन्ध में मुझे एक बात और कहनी है। चोरियां कम हो रही हैं, यह कहा गया। पर इसका एक कारण भी है कम होने का। रिपोर्ट ही लिखाने की हिम्मत लोगों को नहीं होती। फिर जो रिपोर्ट होती हैं, उन चोरियों का पता भी पुलिस नहीं लगा पाती। तो इसके लिये एक इलाज है।

इससे किसी हद तक जनता को संतोष हो सकता है। वह यह कि एक पाबन्दी यह लगा दी जाय कि कम से कम जिसके चोरी हो जावे उसको आधी कीमत पुलिस की तरफ से या सरकार की तरफ से दे दी जावे, ताकि यह रात-दिन का जो हो-हल्ला यहां और बाहर होता रहता है वह न हो। तो ऐसा एक फण्ड इकट्ठा किया जावे। अगर इसके लिये जरूरी हो तो इस असेम्बली में ऐसा कानून बनाया जा सकता है और अगर इससे भी अधिक सख्ती आप करना चाहें तो यह करें कि जिस थानेदार के हल्के में चोरी हो उस चोरी का जब तक पता नहीं लगा लिया जावे तब तक उस थानेदार को तनख्वाह नहीं दी जावे या जब तक पूरी पूरी जांच न हो जावे।

अब थोड़ा करप्शन के बारे में मुझे निवेदन करना है। पहले भी इसके लिये मेरा एक सुझाव था जिसका जवाब आज तक चीफ मिनिस्टर साहब ने नहीं दिया। यह विभाग हमें क्यों नहीं सौंप दिया जावे ? दुख क्या है आपको इसमें ? अगर हम किसी को बेकुसूर पकड़ कर रख देंगे तो अदालतें हैं, छोड़ देंगी। आप कल अनाउन्स कर दीजिये। आपके अनाउन्स करने का ही यह प्रभाव पड़ेगा कि २५ प्रतिशत तो उसी वक्त रिश्वतें बन्द हो जावेंगी। अगर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब यह अनाउंन्स कर दें कि यह विभाग बम्बई वाला को न देकर दांता वाले को दे दिया गया है तो २५ प्रतिशत रिश्वतें अपने आप बन्द हो जावेंगी अनाउन्स करने के साथ ही।

(हंसी)

Page No.93

(श्री मदनसिंह दांता)

यह मैं गारन्टी के साथ कहता हूं कि लोग रिश्वतें लेना छोड़ देंगे कतई। पहले भी मैंने निवेदन किया था। इसमें हर्ज ही क्या है? हमें काम मिलेगा। जिलों में हम जाते हैं, यह जानते हैं कौन कौन रिश्वतें लेता है, हम उन्हें ठीक ढंग से पकड़ सकते हैं। आज क्या हो रहा है? बम्बई वाले की बड़ी शोहरत सुनी, पर आज तक क्या काम किया यह पता नहीं चला। अभी तक वह ठीक तरह से सैट अप भी नहीं हुआ। उनका काम करने का ढंग भी अजीब है। मैं बताऊं एक जैसलमेर से पटवारी और तहसीलदार की शिकायत करने आया। अब इतनी दूर से चलकर यहां आया, इस पर भी उससे यहां ऐसी चीजों की पूर्ति करवाते हैं, ये कि जिनकी पूर्ति होने से पहले ही उन पटवारी और तहसीलदार को इत्तला मिल जाती है कि तेरे को दो चार आदमी पकड़ने वाले आते हैं इसलिये तुम सावधान हो जाओ, पैसा मत लो। अब अगर ऐसा है तो कौन शिकायत करने के लिये आपके पास आवेगा? इसलिये जब तक यह विभाग अपोजीशन के हाथ में नहीं आए तब तक कुछ होना सम्भव नहीं है। आप हमारे पर अगर ट्रस्ट न करें तो चीफ मिनिस्टिर खुद इसके प्रेसीडेन्ट बन जावें, बाकी हम रहें। तो इसमें फिर आपको हर्ज नहीं होना चाहिये। दो महीने ही अजमा कर देख लें।

श्री चन्दनमल वैद : आप तनख्वाह क्या लेंगे?

(हंसी)

श्री मदनसिंह : असेम्बली से जो तनख्वाह मिलती है वही काफी है।

(हंसी)

श्री उपाध्याय : आपके अधिकार की बात है क्या?

श्री मदनसिंह : यह तो दिल की तसल्ली के लिये पूछ लिया था। इसमें हर्ज नहीं था और फिर करप्शन विभाग में आज जो हैं वे सभी इतने अच्छे हैं, इसका थर्मामीटर रीडिंग किसके पास है? हमारे मिनिस्टर सब खाने वाले केवल बम्बई वाला ही शुद्ध और सारी चीजों में निपुण, ऐसी चीज हमें बताई गई। तो क्या राजस्थान में चरित्र नहीं रह गया? क्या यहां कोई चरित्र नहीं रहा? एक आदमी भी यहां ऐसा नहीं जो बम्बई वाले के कम्पीटीशन में आ सके। इसका मतलब क्या यह है कि सब चोर हैं? माननीय मन्त्रीजी से राजस्थान के आदमी छाने नहीं हैं। अच्छे अच्छे लोग यहां पर हैं जिनको वाकई में दर्द है। उनका एक संगठन अगर बनाकर काम कराया जा सकता है तो यह करप्शन बन्द हो सकता है अन्यथा तो यह कभी बन्द नहीं होगा। चाहे आप कितना ही खर्चा इसे काबू में करने के लिये करिये क्योंकि तरीका जो है आपका वह गलत है। अब अगर यह सही है कि देने वाले को भी पकड़ा जावेगा तो इस करप्शन में और भी ताला लग जावेगा, कुछ भी मालूम नहीं हो सकेगा। जब देने वाले को पकड़ा जावेगा तो वह कभी नहीं कहेगा कि मैंने दिया है, इसलिए इसको नहीं पकड़ा जाना चाहिये। महरबानी करके ऐसा कानून तो आप नहीं खड़ा करें।

श्री चन्दनमल वैद : यह तो कानून बना हुआ है पहले ही।

श्री मदनसिंह : बना हुआ है तो इसे खत्म करवा दें। मुख्य मंत्रीजी के हाथ की बात है यह तो, आप करवा सकते हैं। तो मेरी राय में आज तो इस एन्टीकरप्शन डिपार्ट-

(श्री मदनसिंह दांता)

मेन्ट में कोई काम नहीं हो रहा है, एक तरह से मज़ाक सा हो रहा है। इसमें आई. जी. पी. बाहर से बुला कर रखना यह तो राजस्थान के अन्य लोगों के चरित्र पर आक्षेप है, यह एक तरह से राजस्थान के लोगों को खुला चेलेन्ज है कि राजस्थान में ऐसा कोई नहीं जो एन्टीकरपशन डिपार्टमेन्ट को ठीक ढंग से चला सके।

दूसरी बात मुझे जागीरदारों के सम्बन्ध में, जागीर विभाग के बारे में कहनी है। जागीर विभाग की जैसी कही जा रही है व्यवस्था अच्छी है, पर वह जागीर ऑफिस तक ही है नीचे नहीं है। मैं यह जरूर कहूंगा कि जागीर ऑफिस जो है वह वाकई में काम अच्छा कर रहा है, और डिपार्टमेन्टों को उसकी मिसाल लेनी चाहिये। जहां तक रेगुलेरिटी का और इस विभाग का सम्बन्ध है वहां तक ठीक है, पर जहां जागीरदार को रुपये मिलने का सवाल है, नीचे जाकर गड़बड़ आती है। इसके लिये भी पूरा प्रबन्ध होना चाहिये; कारण, यह भाषण तो करना बहुत आसान है कि हमने जागीरदारी खत्म कर दी, और आसमान से तारे तोड़ लिये, पर यह नहीं कहा गया कि हमने उनका प्रबन्ध ठीक ढंग से कर दिया है। चाहे अखबारों में आ जाता हो, चाहे ठीक ढंग से ऑफिस में कार्यवाही हो जाती हो लेकिन नीचे जाकर कुछ दिक्कतें आती हैं और वे दिक्कतें यह आती हैं कि जागीर रिज़म्पशन एक्ट के अन्दर यह है कि जो भी जागीरदारों के कर्जे हैं व १५ साल के आय में निश्चित रूप से काटे जाने चाहिए। इसे निश्चित रूप से भूलकर, वहां पर क्या होता है कि कर्जे वाले एक ही दिन में सारे मुआवजे में से खत्म करा देते हैं इसलिए उसको कुछ नहीं मिलता है। इसलिए जहां आपने रीहेबीलीटेशन का नाम रख दिया उस रीहेबीलीटेशन ग्रान्ट में से भी कर्जदार ले गया तो वह रीहेबीलीटेट कहां हो पाये। इसलिए इस चीज के ऊपर सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, इस गवर्नमेन्ट के पांच वर्ष तो पूरे हो गये और पांच वर्ष और मैं तब तक चिल्लाता ही रहूंगा कि क्या क्या खराबियां हैं। इतना ही भाषण देकर मैं यह जो राज्यपाल महोदय के भाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है उसका विरोध करता हूं और मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नागर.।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : उपाध्यक्ष जी, राज्यपाल महोदय के भाषण के स्पष्ट दो अंग हैं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का बहुत सा हिस्सा, गत वर्ष राज्य सरकार द्वारा विभिन्न राजकीय स्थानों में वृद्धि और विकास के काम हुए हैं उनका उल्लेख इस भाषण में किया गया है और राज्यपाल महोदय के भाषण का दूसरा अंग है राजकीय सेवाओं के विषय में और राजकीय सत्ता के विकेन्द्रीकरण के बारे में। मैं समझता हूं कि राज्यपाल महोदय के भाषण पर हमें मुख्यतः कई पहलुओं से विचार करना चाहिए। यह ठीक है कि मेरे कुछ माननीय मित्र राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के इन आधारभूत दो पहलुओं को लेते हुए अन्य विषयों में दिलचस्पी रखते हों। वह अन्य विषय अपनी दृष्टि से लायें लेकिन मैं यह उचित समझता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के आधारभूत सिद्धान्तों पर हम सही रूप में ध्यान दें और तभी मैं समझता हूं कि राज्यपाल महोदय के भाषण के ऊपर अपनी ओर से न्याय कर पायेंगे और जो आधार वह हमारे

(श्री जनार्दनराय नागर)

सामने रखना चाहते हैं और जो बातें वह हमारे सामने रखना चाहते हैं और जिन भावनाओं की ओर उन्होंने हमें इंगित किया है उनकी हम सही रूप में सराहना कर पायेंगे। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो वह जो खतरा आज दो दिन से हमारे सामने सदन में है वह बढ़ता जायेगा। यहां पर हम इधर उधर की बहुत सी बातें जब कभी अवसर आते हैं तो करते हैं, वे सब व्यक्तिगत बातें होती हैं। वे ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हम संक्रामक तरीके की बातें कह सकते हैं। इन दो दिनों में हमारे कई माननीय मित्रों द्वारा कई बातें कही गई हैं और इन तमाम बातों को लेकर यदि हम उन्हें राज्यपाल महोदय के भाषण के साथ जोड़ें, तो मुझे इस बात का खतरा है कि जो आधारभूत राज्यपाल महोदय ने कहा है उन पर विचार करने से हम एकाएक वंचित रह जायेंगे इसलिए मैं सबसे पहले राज्यपाल महोदय के भाषण के दूसरे हिस्से को लेता हूं। इस दूसरे हिस्से में सबसे बड़ी आशाप्रद बात यह कही गई है कि राजकीय सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने का प्रयत्न और अधिक किया जायगा। उपाध्यक्षजी, मैं यह मानता हूं कि राजकीय सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने का प्रश्न आज वर्षों से राजस्थान सरकार के सामने है। जब से हमारे नव राजस्थान का निर्माण हुआ तब से इस सत्ता के विकेन्द्रीकरण का सवाल बराबर राज्य सरकार के विचाराधीन है। इसके अन्दर कुछ उलझनें राज्य सरकार के सामने अपनी हो सकती हैं और हो सकता है कि उन उलझनों का मुझे ज्ञान न हो, कुछ व्यवस्था उनकी हो सकती है जिनके बारे में अधिक नहीं जानता। लेकिन मैं इतना मानता हूं कि विकेन्द्रीकरण का सवाल हम अब और अधिक समय के लिए विचारणीय नहीं रख सकते और इसके लिए मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार को शीघ्र कोई न कोई निश्चित प्रभावशाली कदम उठाने चाहिए। गत वर्ष हमें इस बारे में यह कहा गया था कि एक ऐसी समिति इस मामले में राज्य सरकार ने नियुक्त की है और उस समिति के जरिये ऐसी कोई सैरीयोनी मनाई जा रही है या ऐसी पद्धति का निर्माण किया जा रहा है जिससे कि शनैः शनैः राजकीय सत्ता का विकेन्द्रीकरण होगा। राज्य की सत्ता के विकेन्द्रीकरण के आधारभूत पहलुओं में स्वायत्त शासन का विस्तृत दायरा है। उसका भी एक प्रश्न आता है लेकिन मैं यह मानता हूं कि इन दोनों प्रश्नों को जोड़ कर मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार का सारा प्रचार, उसकी सम्पूर्ण गतिविधि और प्रक्रिया ऐसी स्थिति में आ गई है कि विकेन्द्रीकरण का प्रारम्भ यदि हम इस वर्ष से प्रभावशाली ढंग से करें तो मैं समझता हूं कि प्रशासन की बहुत सी समस्याओं का समाधान स्वतः ही होने लग जायेगा। प्रशासन की बहुत संक्रामक उलझनें हैं जिनकी तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनको हम और आप ज्यादा जानते हैं लेकिन उन तमाम समस्याओं का इक्का समाधान हम प्राप्त नहीं कर सकते। मैं यह कहना चाहता हूं कि राजकीय विभागों में सिद्धान्तों के निकालने में जो तकलीफ देने वाली खराबियां होती हैं उनका भी समाधान मैं समझता हूं कि सत्ता के विकेन्द्रीकरण के साथ हो जायगा और आज देखा जाये तो राजकीय कर्तव्यों में से बहुत से कर्तव्यों का पालन नहीं होता है। मुझे थोड़ा सा अफसोस है कि राज्य सरकार द्वारा राजकीय कर्तव्यों के निर्णय देरी से होते हैं और इसके लिए कभी कभी निराश का सामना करना पड़ता है।

Page No.96

(श्री जनार्दनराय नागर) :

भैरोंसिंहजी इसलिए में यह चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय ने जो अपने भाषण में बातों को इंगित किया कि वह विकेन्द्रीकरण के विषय में अधिक से अधिक सजग हैं और राज्य सरकार इस मामले में प्रभावशाली ढंग से काम करना चाहती है तो मैं समझता हूं कि राज्यपाल महोदय हमें इस मामले में और विश्वास न दें और अगर वह उन काम करने के तरीकों के बारे में वर्णन करते तो हम यह सोचते कि अब राज्य सरकार वास्तव में प्रभावशाली कदम उठाने में प्रयत्नशील है ।

बहुत सी बातें प्रशासनिक सेवाओं के बारे में कही गई । मैं यह कहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि सेवाओं के एकीकरण के मामले पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है । अभी तक एकीकरण का सवाल आज हमारे सामने बराबर चलता आया है और उसका अभी कुछ अंश एकीकरण करने को बाकी है । इन सेवाओं के एकीकरण के मसले को लेकर और भी कई छोटे मसले हैं जो रात दिन आते हैं और यही छोटे मोटे मले हमारे अन्दर अधिकतर असंतोष पैदा करते हैं । लेकिन यदि राज्य सरकार हिम्मत और साहस के साथ विकेन्द्रीकरण की ओर कदम उठाये तो मैं समझता हूं कि बहुत सा असंतोष जो छोटे मोटे मामलों में हमारे सामने आता है वह दूर हो जाय । सत्ता के विकेन्द्रीकरण के साथ ही साथ जो दो मूलभूत आधार हैं उनकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । इन दो मूलभूत आधारों में एक तो यह है कि पंचायतों को अधिक से अधिक अधिकार देने की ओर राज्य सरकार को अपनी नीति बराबर प्रगतिशील बनानी चाहिए । राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा गया है कि पंचायतों को इस बार तीस प्रतिशत रेवेन्यु आय में से हिस्सा दिये जाने का प्रोवीज़न किया गया है और साथ ही राज्य के विभिन्न भागों में पंचायतों के पंचों, सरपंचों व सचिवों की ट्रेनिंग का विशेष आयोजन किया गया है और यह भी इस भाषण में कहा गया है कि विकास खंडों के क्षेत्र में जहां पंचायतें हैं वहां के करीब १५०० मुखिये अपने गांवों में देख सकें कि उनके यहां क्या क्या विकास कार्यक्रम चल रहे हैं और इस बारे में उन्हें अधिकाधिक अधिकार देने का प्रश्न सरकार के विचारार्थ है तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि पंचायतों को अधिक से अधिक सहयोग देने की ओर सक्रिय रूप से हमारी सरकार सजग है । लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं कि विकेन्द्रीकरण का प्रभाव हमारी पंचायतों पर बहुत पड़ेगा । विकेन्द्रीकरण की समस्या उपाध्यक्ष महोदय, केवल यों ही हल नहीं होती । हमारे सामने आज विकेन्द्रीकरण की समस्या है । वह राज्य सत्ता जो कि समाज सत्ता से उत्पन्न होती है उसे आम जनता के प्रतिनिधियों तक पहुंचाने का यह सवाल है । इस लिए मैं चाहता हूं कि हम दो दृष्टियों से उस विकेन्द्रीकरण की समस्या पर विचार करें । एक तो यह है कि जन-संस्थाएं हम किस स्तर पर बनाना चाहते हैं ? किन संस्थाओं हम जिला स्तर पर बनाना चाहते हैं ? जो जन संस्थाएं बन गई हैं उन जन संस्थाओं को राजकीय निर्णयों में, राजकीय कर्तव्यों में, जो जन कल्याण और जन-सेवा के कर्तव्य हैं उनमें अधिक से अधिक सक्रिय कैसे करें, प्रभावशाली ढंग से सक्रिय कैसे करें, ताकि हम सारे राजस्थान में राज्य सरकार के सारे ढाचे के साथ साथ जन संस्थाओं का प्रभावशाली और सक्रिय योग भी उत्पन्न कर सकें ।

(श्री जनार्दनराय नागर)

दूसरी बात यह है कि जो राज्य सरकार के विभिन्न विभाग हैं, सचिवालय से लेकर, मैं समझता हूं, कि तहसीलों की स्थिति तक यह निश्चित बात है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो जाना चाहिए । आज यदि आप राज्य सरकार के निर्णयों को देखें, कुल मिल कर विश्लेषण करें तो मैं यह मानता हूं कि १०० में से ६० या ७० निर्णय सचिवालय के अन्दर होते हैं । छोटे मोटे उदाहरणों में मैं नहीं जाना चाहता हूं । मेरा रात दिन का अनुभव है कि जयपुर आये बिना और जहां कागज़ हैं वहां जाये बिना हमारे कागज़ निकलते नहीं हैं और निर्णय होते नहीं हैं । इसलिए मैं मानता हूं कि राज्य सरकार के प्रयत्न होते हुए भी, उनकी उदारता, उनकी सदाशयता होते हुए भी न मालूम क्या उलझन हैं ज्यादा देर होने में । विकेन्द्रीकरण का जो दूसरा पहलू है वह यह है कि जो राज्य सरकार के विभागीय अध्यक्ष हैं और जो अध्यक्षों के नीचे काम करने वाले सहायक हैं उनके अधिकार जो काफी अरसे पहले तय हो जाने चाहिए थें वह नहीं हो पाये हैं । एक छोटा सा ,उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि हमारे हाईस्कूलों के हैडमास्टर हैं उन हैड मास्टरों को, मैं कहना चाहता हूं कि संबधित विभाग के वे अधिकार, मैं समझता हूं कि उनको होने चाहिए । वे अधिकार इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स के पास में हैं या उससे ऊंचे के दर्जे के ऑफिसर के पास में हैं । जब बृहत् राजस्थान बना तो उनके निर्माताओं में यह प्रवृत्ति उत्पन्न हुई कि अधिक से अधिक सत्ता का केन्द्रीकरण जयपुर में कर दिया जाना चाहिए या जयपुर की समानता के अंग हों राज्य प्रशासन के वहां कर दी जाय । इसका परिणाम यह हुआ कि सारी राज्यसत्ता बिना चाहे भी जयपुर में केन्द्रीभूत होती चली गई, और जब राज्यसत्ता एक बार केन्द्रीभूत हो जाती है तो अपने आप में एक अच्छा आकर्षक स्वार्थ हो जाता है । यही वजह है कि सेवाओं का एकीकरण होने पर भी, अन्य सेवाओं का नियमन हो जाने पर भी आज राज्यसत्ता का सेवाओं के अन्तर्गत विभाग में राजकीय स्तर पर किये गये प्रयोगों के अन्दर विकेन्द्रीकरण नहीं हो पाया है । जो जो कमेटियां राज्य सरकार ने स्थापित की हैं, मैं समझता हूं, कि उन कमेटियों का काम बहुत जल्दी परिणाम के रूप में नहीं आ पा रहा है । इसलिए मैं आपके ज़रिये, उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में यह इंगित किया है, और हमें विश्वास में लाने की कोशिश की है कि सत्ता के विकेन्द्रीकरण की ओर राज्य सरकार प्रभावशाली ढंग से कदम उठाने वाली है, तो मैं समझता हूं कि इस संबंध में राज्य सरकार ने काफी देर से इस मामले को लिया है और अधिक देरी, मैं समझता हूं, जो प्रयत्न कर रहे हैं, जिस तरह से इस मामले में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें होने वाली देरी बिना किसी कारण से उचित नहीं होगी ।

मैं यह मानता हूं कि नीति की दृष्टि से राज्य सरकार ने विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त को स्वीकार किया है । इस स्वीकारोक्ति से हम इन्कार नहीं कर सकते हैं । इसके बारे में, सिद्धान्त को मन्जूर करने के बारे में विभागीय शंकाएं हैं तो यह कहा जा सकता है कि यह स्वीकारोक्ति केवल स्वीकारोक्ति ही है । जो सिद्धान्त माना है वह केवल किसी चीज़ को माना है । मैं इस बात को इस तरह से नहीं देखता हूं । मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि राज्य सरकार के जो कर्णधार हैं, जो राज्यसत्ता

Page No.98

(श्री जनार्दनराय नागर)

आज चला रहे हैं उनके मन में इस बात की ख्वाहिश है, उनका इरादा है, उनके प्रयत्न भी हैं कि वे सत्ता का विकेन्द्रीकरण अधिक से अधिक करें इसका एक कारण है, उपाध्यक्ष महोदय, वह कारण यह है कि राजस्थान के समाज को, मैं समझता हूं, किसी भी दृष्टि से राज्य प्रशासन को कुल मिलाकर लेलें, हमारे समाज की प्रगति, समाज के विकास के कार्यों के लिए जो सबसे बड़ी एजेन्सी है वह है राज्य सरकार, जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दूसरे वर्ष की समाप्ति पर ही राजस्थान में समानता के इस सिद्धान्त पर पहुंचा सकी है और प्रशासन का विकेन्द्रीकरण ठीक तौर से, वैज्ञानिक आधार पर नहीं हुआ तो तीसरी पंचवर्षीय योजना को अधिक कामयाब करने में सफल नहीं होगी। इसलिए ऐसे अवसर के अन्दर वजन रखने के लिए स्थिति राज्य प्रशासन सामने आगई कि जो प्रशासन के कर्णाधार हैं उनको इस मामले में काफी सजगता और वास्तविकता की दृष्टि से विचार करना पड़ा है और सत्ता विकेन्द्रीकरण करना प्रारम्भ कर दिया है।

मैं एक चेतावनी, उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये देना चाहूंगा कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण प्रयोग की दृष्टि से नहीं किया जाय। यदि इस प्रकार का प्रयोग किया गया तो मैं समझता हूं कि उसका परिणाम जो प्राप्त करना चाहते हैं परिणाम पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो सकेगा। यह मानी हुई बात है कि जनतन्त्रीय प्रशासन की कसौटियां दो हैं। एक एक कसौटी है कि जनतन्त्रीयवादी राज्य शासन में राजकीय और व्यक्तिगत प्रयत्नों से होने वाले उद्योगों का विकास हो; दूसरी, मैं समझता हूं, कि विकेन्द्रीय राज्य व्यवस्था हो। इसलिए मेरी यह मान्यता है कि विकेन्द्रीकरण केवल कमेटी तक ही सीमित न रहे, केवल सरकार के सिद्धान्तों तक ही यह न रहे। इसके अलावा, मैं समझता हूं, कि हिम्मत और साहस के साथ सरकार को विकेन्द्रीकरण की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। यदि आप तहसील लेवल से विकेन्द्रीकरण चाहते हैं तो तमाम तहसीलों में राज्य सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। जिस स्तर पर भी आप राज्य सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं उस स्तर पर वह राजस्थान व्यापी हो और पूर्ण हो। जो प्रशासन का ढांचा है उसके अन्दर सम्पूर्ण अंग का विकेन्द्रीकरण लागू नहीं करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि इस ढांचे में एक स्तर पर जो कि अधिक से अधिक जनकार्यों से संबंध रखता है उसमें आप विकेन्द्रीकरण करें, लेकिन सम्पूर्ण प्रयोग लागू करें। यह मेरा अनिवार्य संकेत है। इसलिए मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये राज्यपाल महोदय के प्रति तो कृतज्ञता एक तरह से व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने वास्तविक रूप से विकेन्द्रीकरण के मामले की ओर संकेत किया है।

दूसरी बात में इसी प्रसंग को लेकर करना चाहता हूं कि प्रशासन के अन्दर निर्णय जल्दी करने की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं राज्य सरकार की आलोचना की दृष्टि से यह बात नहीं करना चाहता हूं। मैं अपना फर्ज महसूस करता हूं। मैं कहता हूं कि राज्य सरकार के निर्णय बहुत देरी से होते हैं। मैं यह नहीं कहता कि निर्णय करने के इरादे में कोई कमी है, मैं यह नहीं कहता कि निर्णय करने के प्रयत्नों में कोई कमी है, लेकिन यह ठीक बात है कि निर्णय जितने जल्दी होने चाहिए वे नहीं हो पाते हैं। यह मेरा ही नहीं मंत्रियों का भी अनुभव है। मेरी स्वयं

(श्री जनार्दनराय नागर)

की कई मंत्रियों से व्यक्तिगत बात होती हैं, वे स्वयं भी इस बात को महसूस करते हैं कि कागजों की लम्बी यात्रा के मामलों में कुछ कमी होनी चाहिए, और अधिक से अधिक शीघ्रता से होने की स्थिति आनी चाहिए। मैं यह मानता हूं कि प्रशासन में रहने वाली कई ऐसी व्यर्थ की बातें निकाली जा सकती हैं और अनावश्यक कागजों की दूरी कम की जा सकती है। राजस्थान सरकार का कागज़ एक यात्री है जो कि बहुत ही चुलबुला है और रंगीन तबियत रखता है और कई तरह के नोट आदि की वेशभूषा धारण करता है। वह अपनी यात्रा एक अर्जी के रूप में शुरू करता है, नीचे के विभाग में वह, प्राप्त होती हैं और जयपुर तक आकर उसकी बद्रीनाथ और केदारनाथ की बड़ी लम्बी यात्रा होती है, और उसकी यात्रा में आई हुई हज़ारों परेशानियों को यदि आप देखें तो आपका उपन्यास लिखने का मन हो जायगा। मैं इस बात को इस दृष्टि से नहीं कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार के जो कागज़ हैं उनका कोई महत्व नहीं है। उनका संपूर्ण महत्व है। उनका इतना महत्व है कि वे कागज़ स्वयं अपने आप में एक महत्व की चीज़ रहती है। मैं यह मानता हूं कि प्रगतिशील प्रशासन की अन्य कसौटियों में एक कसौटी यह भी है कि कागज़ जो हो उसका ठीक तरह से प्रतिपादन होना चाहिए। मेरे कहने का यह कोई मतलब नहीं है कि राज्य के काम करने वाले जो अधिकारी हैं, उत्तरदायी अधिकारी, उनके इरादे की वजह से कागज़ निकलने में देरी होती है। समूची प्रक्रिया जो प्रशासन की है इस मामले में वह आवश्यकता से अधिक विस्तृत प्रक्रिया है। जो कागज़ मैं समझता हूं एक दो स्थिति में निकल जाना चाहिए वह नहीं निकलता है। उसको अर्ध कल्पित, कल्पित, पूर्ण कल्पित और संपूर्ण कल्पित स्थितियों से गुज़रना पड़ता है। एक अधिकारी के बजाय १० अधिकारियों के हाथ में से जाना पड़ता है।

इस बीच हमारे मुख्य मंत्रीजी ने आज से, मैं समझता हूं एक आध साल पहले एक दौरे में कमी करने की कोशिश की और उन्होंने एक कमेटी कायम की जिसने यह सुझाव दिया कि राज्य सरकार के कागजों की यात्रा के दौर में स्टेशनों में कमी की जाय और मुझे मालूम नहीं किस प्रकार इस में कमी की गई। लेकिन अब भी काफी गुंजायश इस बात की है कि अनेकानेक कागज जिनके अंतिम निर्णय और अमल करने की स्थिति में विशुद्धपन आ जाय, अधिक वास्तविकता आ जाय, नोट लगाने की प्रवृत्ति कम हो तो यह जो संक्रामक देरी कागज निकालने में हो रही है उसमें कमी हो। लेकिन प्रशासन का यह ढांचा, मैं समझता हूं, एक वैज्ञानिक ढांचा नहीं है। जनतंत्र की दृष्टि से यह पुराने किस्म का ढांचा है। इसमें हमको आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा। यदि इसमें ऐसी बात मालूम हो या मैं यदि ऐसी बात कह रहा हूं जो प्रशासन के विज्ञान के विपरीत हो तो मुझे क्षमा किया जाय। प्रशासन के नाम पर एक तरह की परंपरा चली आ रही है। २०० साल तक अंग्रेजों ने इसे चलाया और वहां से यह आधुनिक प्रशासन में भी आया। अंग्रेजों के जमाने में एक साम्राज्य को चलाने की भावना थी। हमें जनतंत्र चलाने की भावना लानी है, साम्राज्य चलाने की भावना नहीं; साम्राज्यवाद के आधारभूत प्रसंग से चलते चलते उसके सामने दीवारें आईं, उनके मोड़ आये, कमरे आये, तिजोरियां आईं, अनेक उलझनें आईं। वे सब ऐसे हैं जिनसे, मैं समझता हूं

(श्री जनार्दनराय नागर)

एक प्रकार का मोह हो गया है, इस मोह को हमें त्यागना होगा । निश्चितरूप से हमें जनतंत्रीय बन कर उसी ढंग से राज्य चलाना प्रारम्भ करना है । इसकी शुरूआत हम राजस्थान के प्रशासन के जरिये करें तो इससे अच्छी बात दूसरी नहीं होगी । हमारे प्रधान मंत्री जी कभी कभी घबराहट में कह देते हैं कि दिल्ली का प्रशासन एक तरह का जंगल है और हम उसमें घूमते हैं । मुझे जब कभी मौका मिलता है मैं इसके बारे में कहता हूं लेकिन बार बार कहने में वजन नहीं है । लेकिन जिस सिद्धान्त को सामने रख कर हमने सदन का विकास किया है और जिस तरह से हम राजस्थान राज्य और समाज का संचालन करना चाहते हैं उसके अनुरूप ही प्रशासन का ढांचा हमारा होना चहिये । एक अधिकारी के द्वारा ही कोई विभाग नहीं चल सकता । इधर हम यह कहते हैं कि जन सहयोग चाहिये तो वह बराबर मिलना चाहिये । हमारे पुराने ढांचे को वैकल्पिक ढांचा कहने से मतलब यह नहीं है कि सरकारी अधिकारियों के बारे में कोई बात कही जा रही है । हमारे बहुत से अधिकारी अनुभवी और योग्य हैं और भारतवर्ष के प्रशासन के क्षेत्र में उन्होंने अनुभव प्राप्त किया है । लेकिन हमें यदि अधिक सफलता प्राप्त करनी है, अधिक विस्तार से सफलता दिलानी है तो यह जरूरी है कि हमारे प्रशासन के ढांचे में आवश्यक रद्दोबदल होनी चाहिये और यह रद्दोबदल कैसे हो सकती है यह सरकार के विचारने की बात है । हम सरकार को इसमें सहयोग देना चाहते हैं, यदि सरकार हमसे सहयोग लेना चाहती है तो । लेकिन अब समय आ गया है, जब कि कागज १० १२ दौर निर्णय में करता है और बाद में १०, १२ दौर उसके अमल में होते हैं, उनको खत्म करने का । मेरी समझ में नहीं आता कि डीलिंग क्लर्क से सचिव तक कागज जाता है और वापिसी में भी सचिव से डीलिंग क्लर्क तक यात्रा करता है और इसी प्रकार यह यात्रा जिला स्तर पर भी करनी पड़ती है, तो अच्छा इरादा होते हुए भी इस कागज के अमल में महीनों और वर्षों की देरी हो जाती है । इस देरी को कम करने के लिये हमें तीन बातें करनी पड़ेंगी । एक तो यह कि जन संस्थाओं को अधिक सक्रिय अधिकार देने पड़ेंगे । दूसरा यह कि विभागीय अधिकारियों को निश्चित निर्णय लेने की सत्ता देनी पडेगी और तीसरी बात यह कि प्रस्तावित विषय चाहे कितना ही कठिन हो, चाहे जैसी योजना स्वीकार हो इन तमाम के बारे में हमें एक ऐसा तरीका अख्त्यार करना पडेगा जिसके अनुसार शीघ्र निर्णय हो और वह शीघ्र अमल में लाया जाये । हमारे राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में इंगित किया है कि सत्ता के विकेन्द्रीकरण की ओर सरकार ध्यान दे रही है । सब बातें सारगर्भित बातें है और मैंने आपके जरिये सदन के सम्मुख रखी हैं ।

मुझे इस बात को जानकर खुशी हुई कि राज्यपाल ने विश्वास दिलाया कि राज्य के आर्थिक साधनों में काफी बढ़ोत्तरी हुई है । मुझे कुछ आश्चर्यजनक खुशी हुई जब कि उन्होंने भाषण दिया और कहा कि आर्थिक साधनों में ३ करोड़ और कुछ लाख रुपयों की बढ़ोत्तरी गतसाल की बनिस्पत हुई है । मैं यह मानता हूं कि राजस्थान की आर्थिक सफलता की दृष्टि से यह एक शुभारम्भ है और मैं

(श्री जनार्दनराय नागर)

मानता हूं कि राज्य के सामने कई संक्रामक समस्याएं हैं। उन समस्याओं को और वर्तमान आवश्यकताओं को हल करने में और उत्पादन बढ़ाने में, मैं समझता हूं कि इन आर्थिक साधनों से हल प्राप्त होगा। आर्थिक साधन बढ़ने के जो कारण राज्यपाल ने बताये हैं, मैं समझता हूं, राजस्थान के प्रति केन्द्रीय अर्थ नीति के निर्णायकों ने काफी न्याय किया है।

एक बात का और हर्ष संवाद मिला है और वह यह कि बृहद् राजस्थान को जो कई प्रकार का ऋण लेना पड़ा, खास कर के पुनर्वास के संबंध में जो भारी मिकदार में था, उसे अब रकम की सीमा तक ही भुगताना पड़ेगा। मैं समझता हूं, यह आर्थिक साधनों को मुहैया करने की दृष्टि से जो साधन और सामग्री प्राप्त करना चाहते हैं और जो आर्थिक क्षमता व शक्ति योजना को कार्यान्वित करने के लिये चाहते हैं उसमें राज्यपाल ने आश्चर्यजनक बात कही है। ३ करोड़ और कई लाख रुपयों की आर्थिक साधन में बढ़ोत्तरी होना इस बात का सूचक है कि राज्य की आर्थिक शक्ति और आधारभूत साधनों के विकास का क्रम आरम्भ हो गया है।

कुछ सेवाओं के संरक्षण के बारे में राज्यपाल महोदय ने काफी विस्तार में बताया। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों के लिये पर्याप्त पद सुरक्षित रखने के बारे में जो नीति है, मैं समझता हूं, न वह उपयुक्त है। मुझे मालूम हीं हमारे देश में यह दौर कितने समय तक चलेगा जिसमें पिछड़ी जातियों के विकास के लिये संरक्षण देना पड़ेगा, प्रोत्साहन देना पड़ेगा। उनमें जो प्रतिभा और योग्यता उत्पन्न हो रही है उनको राजकीय ढांचे में लाना होगा। एक बात साफ है कि अब तक अनुसूचित जातियों को प्रशासन सेवा में लाने में देरी हुई है। मैं समझता हूं, एक अवधि में राज्य सरकार द्वारा इन अनुसूचित जातियों में जो योग्यता और प्रतिभा उत्पन्न होती है उनको जज्ब किया जायगा। यह हमारा अधिकार है। यदि यह कहा जाय कि यह किसी जाति के लोगों को खुश करने के लिये कहा गया है तो मैं कहूंगा कि यह इसकी गहराई को नहीं समझते।

भारतवर्ष की आजादी के बाद २ श्रेणी के लोगों का विशेष अधिकार उत्पन्न हुआ है जिसे भारतीय समाज के अपर श्रेणी के लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा, उनमें से एक है शरणार्थी जिनके लोहुलुहान हाथ सन् ४७ में अपार बलिदान कर चुके हैं। मैं समझता हूं, इनके लोहुलुहान हाथों के अधिकार को हम स्वीकार कर चुके हैं। राज्य सरकार इनकी जितनी मदद कर सके उतनी करनी चाहिये। भारतीय स्वतंत्रता की कीमत उन्होंने हमसे ज्यादा चुकाई है।

भारतीय समाज की जो पिछड़ी जातियें हैं उन्होंने अपर वर्गों की खुशहाली के लिए सदियों से सेवाएं दी हैं। हम उनकी कीमत केवल यह कह कर चुकाना चाहते हैं कि हमने राजकीय सेवाओं में उनको संरक्षण दिया है, तो, मैं समझता हूं, यह क्षुद्र बुद्धि की अभिव्यक्ति है। जो विकसित दिमाग हैं वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते। मैं समझता हूं, यह हमारा प्रायश्चित है जिसे करने का यह एक जरिया है जिसे हम कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि जनतंत्रीय समाज में जो शोषित और पीड़ित श्रेणियां हैं, उनमें प्रतिभाओं का विकास,

(श्री जनार्दनराय नागर)

अपर श्रेणी के विकास के समान ही करना राज्य सरकार का कर्तव्य है। इस कर्तव्य की पूर्ति के लिए ही उन्हें संरक्षण दिया गया है। इसलिए मैं मानता हूं कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में पिछड़ी जातियों को संरक्षण देने की राजकीय कर्त्तव्य की सूचना तथा अधिक से अधिक संरक्षण देने की नीति के अनुकूल खाना-पूर्ति करने की सूचना दी है, वह इस आवश्यक कर्त्तव्य के मार्ग को प्रशस्त करने की सूचना है। मैं यह मानता हूं कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में हमारी सरकार के आधारभूत कर्त्तव्य के बारे में, उसके आवश्यक कर्त्तव्यों के बारे में सूचना दी है, एक अच्छे रूप से अपने उत्तरदायित्वों को निभाने की सूचना दी है, और यह सूचना देकर उन्होंने हमारा ध्यान सरकार के इन कर्त्तव्यों की ओर आकर्षित किया है। कुल मिला कर प्रशासन की समूची समस्याओं पर राज्यपाल महोदय ने जो दो तीन बातें कहीं हैं, उनके बारे में मैंने अपना मत व्यक्त किया है। मैं मानता हूं कि पंचवर्षीय योजना के संचालन से हमारे प्रशासन के सारे ढांचे में, राजकीय सेवाओं के तौर तरीके में, दृष्टिकोण में परिवर्तन आता चला जा रहा है। जब भारतवर्ष आजाद हुआ, तब जो पुराने तरीके की राज्य व्यवस्था हमें मिली, उसे उसी ढांचे में हमें मंजूर करना पड़ा। उस समय यह ठीक नहीं था कि हम प्रशासन के ढांचे में रद्दोबदल करते। यदि ऐसा करते तो समूचे भारत के राज्यों का संगठन किया, उसमें बाधायें आतीं। उन बाधाओं को, मैं समझता हूं, न आने देने के लिए जो पुराना ढांचा था, उसे चलते रहने दिया तथा ऐसे कार्य किये गये जिनकी वजह से ढांचे के दृष्टिकोण में परिवर्तन आता चला जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार ने जो प्रयत्न किये हैं उस ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करूं। जब से विकास कार्य शुरू हुए हैं, जब से एम. ई. एस. ब्लॉक शुरू हुए हैं तब से राज्य सेवाओं के अधिकारियों के जो विकास के कार्य से सम्बन्धित हैं, जिन्हें नीति निर्धारित करनी पड़ती है, जो कार्यक्रम बनाने के उत्तरदायी हैं, दृष्टिकोण में काफी परिवर्तन आया है। आज जो कलेक्टर हैं, वे वैसे नहीं हैं, जो आज से कुछ साल पहले थे, आज वे विकास अधिकारी भी हैं। आज तहसीलदार से लेकर कलेक्टर तक ग्रामीण जनता के बीच में बैठते हैं, वे पहले नहीं बैठते थे, मैं मानता हूं उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन आ रहा है। मैं यह भी मानता हूं कि पदाधिकारियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन ज्यादा जरूरी है बनिस्बत ढांचे में परिवर्तन लाने के। आज हमारा विकास का आयोजन इस सीमा पर आ गया है कि आज सब में प्रच्छन्न चेतना फैल गई है, अनायास ही रुक रुक कर राजकीय सेवाओं के संचालकों में रद्दोबदल मानसिक दृष्टि से हुई है। यदि हम मानसिक दृष्टि से ईमानदार हैं तो हमें कहना चाहिए कि यह मानसिक परिवर्तन राज्य के उच्च पदाधिकारियों में आया है और यह परिवर्तन राज्य के प्रशासन में अधिक प्रगतिशील परिवर्तन के लिए आवश्यक है और मैं मानता हूं कि यह परिवर्तन हुआ है। राज्यपाल महोदय ने इस बात की ओर संकेत नहीं किया है लेकिन जिस तरीके से इसकी सूचना दी है, उससे मैं समझता हूं यह अर्थ निकलता है कि आज हमारे सामने ब्यूरोक्रेसी की समस्या है। आज ब्यूरोक्रेसी के तौर तरीके, ब्यूरोक्रेसी की आदत, मैं समझता हूं, जनतंत्रीय राज्य में विकास कर रही है, इसे हमें नजर अन्दाज नहीं करना है। मैं नहीं कहता कि राज्य की उच्चतम सेवाओं में कोई ब्यूरोक्रेसी दृष्टि-

श्री जनार्दनराय नागर)

ोग ही चल रहा है लेकिन यह खतरा हमारे श के समक्ष है। मैं इस ओर राज्य सरकार ा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं ानता हूं कि ब्यूरोक्रेटिक तौर तरीकों का ेराकरण तभी हो सकता है जब प्रशासन को युरोक्रेटिक न रख कर जनतंत्रीय करते चलें। नतंत्रीय भावना हमें अखिल भारतवर्ष में ानी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ुल मिला कर प्रशासनिक पहलुओं को लेकर ाज्यपाल ने जो इंगित दिया है, जो मूलभूत ातों की सूचना दी है, वह श्लाघ्य है, इससे मारी उम्मीद बढ़ती है।

राज्यपाल महोदय के भाषण के दूसरे ंग में राज्य के विविध विभागों, विविध ेत्रों में जो गत वर्ष में तरक्की हुई, या ार्यवाही हुई, उसके बारे में एक रिपोर्ट हमारे ामने दी है। मुझे यह कहना पड़ेगा कि ाज्यपाल महोदय के भाषण का जो यह ंग है, वह एक रिपोर्ट है, पर मैं इसे रिपोर्ट ाहीं कहता। साहित्य के स्वरूप का नया वेकास हुआ है, उस विकास के अनुसार ग्च्छी भाषा में, शायरी की भाषा में रपोर्ट को रिपोर्ताज कहते है। यह रिपोर्ताज, मैं समझता हूं, राज्यपाल महोदय ने ग्पने अभिभाषण में दी है। राजकीय अध्यक्ष ारा, राज्य सरकार द्वारा जो विभिन्न क्षेत्रों ं अन्दर विकास के कार्य चलाये गये, उनका ेवरण दिया गया है। वह विवरण, मैं ामझता हूं, हमारे विश्वास के निस्सन्देह योग्य ं और उसके लिए हम राज्यपाल महोदय को ्हें कि आपने राज्य की विविध प्रवृत्तियों ो हमारे सामने रखने का जो कष्ट किया है, सके लिए हम वन्दानवाज़ हैं तो अनुचित ं होगा। यदि इस विवरण को लेकर हम इसका फलार्थ निकालने की कोशिश करें कि यह अभिभाषण निराशामय है, हमें कोई आशा नहीं है, यह अभिभाषण रिपोर्ट है, तो मैं समझता हूं कि भाषण को अन्तरंग दृष्टि से हमने नहीं समझा होगा। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण एक लक्ष्य से प्रेरित है और वह यह है कि राज्य में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत व्यापक और विकास का कार्य हो रहा है और इस कार्य से राजस्थान की जनता का विकास हो रहा है, जनता की आकांक्षाओं की उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहना जरूरी है और सम्यक् परिवर्तन प्रशासन और अनेक क्षेत्रों में करना लाजिमी हो गया है। इन मूलभूत बातों से, जो राज्यपाल के अभिभाषण का सही मकसद है, इधर उधर जाकर यदि कोई बात कहते हैं, तो मैं मानता हूं कि राज्यपाल के अभिभाषण के साथ हम न्याय नहीं करेंगे। इलिए जो विवरण दिया गया है उससे पूर्णतया सहमत होते हुए, उसे स्वीकार करते हुए, दो तीन बातों के बारे में मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं।

सबसे पहले राज्यपाल महोदय ने हमारा ध्यान राज्य की शान्ति और व्यवस्था की ओर आकर्षित किया है। मुझे आश्चर्य हुआ, उपाध्यक्ष महोदय, जब मैंने माननीय मित्रों के द्वारा ऐसी आलोचना सुनी, जिस आलोचना में घोर असन्तोष व्यक्त किया गया। यह कहा गया कि शान्ति और व्यवस्था की स्थिति आज पहले से भी खराब है। मैं मेरे मित्रों की स्मृति को थोड़ी ताजा करने के लिए कहना चाहूंगा कि सन् १९५०-५१ में राज्य में शांति और व्यवस्था की दृष्टि से जो हालत थी, क्या वह हालत आज है? यह हम एकदम कह दें कि राजस्थान की शांति और व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ है, तो ठीक नहीं है। यदि मैं मान बैठा हूं कि शान्ति और व्यवस्था मे सुधार नहीं हुआ है तो इसका

(श्री जनार्दनराय नागर)

कोई इलाज नहीं है। कुछ मान्यतायें अति वृद्ध मान्यतायें होती हैं, कुछ मान्यतायें जवान मान्यतायें होती हैं, कुछ मान्यतायें न जवान कही जा सकती हैं और न वृद्ध कही जा सकती हैं। वृद्ध मान्यतायें संक्रामक रोग की भांति पहुंच जाती हैं। यदि मैं मान बैठा हूं कि शांति और व्यवस्था की हालत पहले से खराब है, तो यह संक्रामक मानसिक रोग है, जिसके लिए मेरे पास कोई औषधि नहीं है, मेरे माननीय मित्रों के पास भी कोई औषधि नहीं है। मैं निश्चित रूप से मानता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि सन् १९५०-५१ में डाकुओं के उत्पात की दृष्टि से राजस्थान में जो स्थिति थी उसमें निरन्तर निश्चित रूप से वृद्धि नहीं हुई है, निरन्तर रूप से उस पर नियन्त्रण किया गया है। कहीं भी राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में नहीं कहा कि सम्पूर्ण रूप से डाकुओं की स्थिति को, डाकुओं की समस्या को सुलझा दिया गया है; राज्यपाल महोदय ने कहा कि सफलतापूर्वक नियन्त्रण किया गया है, डाकुओं के उत्पातों की स्थिति पर सफलता पूर्वक नियन्त्रण कर रखा है, उस उत्पात में निरन्तर रूप से कमी हुई है। यह राजस्थान सरकार ने दावा नहीं किया कि डाकुओं का उत्पात राजस्थान में है ही नहीं, उल्टे कहा गया कि दुर्भाग्यवश डाकुओं के उत्पात की दो-चार घटनाएं हुई हैं। पहले जितने व्यापक, सघनता से डाकुओं के आक्रमण होते थे, अरक्षा का वातावरण सारे राजस्थान में फैला हुआ था, वैसे वातावरण में निश्चित रूप से कमी हुई है और वैसा ही राज्यपाल महोदय कहते हैं कि उस स्थिति पर सफलता पूर्वक नियन्त्रण लाया जा रहा है। यह नहीं कहा गया कि डाकुओं का उत्पात राजस्थान में हो ही नहीं रहा है, रहा ही नहीं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जितनी गंभीर समस्या राजस्थान में भ्रष्टाचार की है उसी तरह जनता में भ्रम फैला कर भय उत्पन्न करने वाले भ्रामक तत्वों की भी एक गम्भीर समस्या है। ५०-५१ में राजस्थान के बहुत सारे जिलों में निश्चित रूप से कोई जा ही नहीं सकता था, बड़ी राजनैतिक उथल पुथल हुई और इस प्रकार के संगठित तत्वों ने उथल पुथल की, राजस्थान के किसी भी गांव में जाइये बराबर लोग यह कहते थे कि आखिर क्या करें, कहां जायं, सुरक्षा का बहुत बड़ा सवाल है। हमें उस समय के तत्कालीन माननीय मुख्य मन्त्री का वक्तव्य याद है कि इसे रोकने में सरकार जितनी चाहिये उतनी सफल नहीं हुई है। तो जो गम्भीर समस्या वृहद् राजस्थान के निर्माण के समय हमारे सामने आई, एक संगठित तत्व भय उत्पन्न करने वाला हमारे यहां राजस्थान में पैदा हुआ, उसको मिटाने के अन्दर जितना सामर्थ्य चाहिये वह राजस्थान सरकार अपने में धीरे-धीरे पैदा कर पाई है। अपने में एक आत्म-विश्वास के साथ यह सामर्थ्य पैदा कर पाई है। यह हम आत्म-विश्वास के साथ कह सकते हैं। आज जो थोड़ा बहुत डाकुओं का उत्पात होता है वह कम है।

मैं यह कहना चाहता था कि इस सम्बन्ध में हमारा दृष्टिकोण, जो पुराना इतिवृत्त है उससे नहीं लगाना चाहिये कि दो चार घटनाएं राजस्थान में डाकुओं की होती हैं उनको लेकर कहने लगे कि, उस समस्या का सुधार नहीं हुआ है, ऐसा कहना वही पुराना ऐतिहासिक इतिवृत्त है। पुराने इतिहास को देखें तो पता चलेगा कि डाकुओं की समस्या

(श्री जनार्दनराय नागर)

हर राज्य परिवर्तन के साथ आई । सौराष्ट्र को लीजिये, सौराष्ट्र में जब अंग्रेजों का राज्य हो रहा था तो भयंकर रूप से डाकुओं की समस्या आई । और राज्यों का इतिहास देखें तो अनिवार्य रूप से मिलता है कि राज्य-परिवर्तन के समय एक तत्व डकैती का पेशा अख्त्यार करता है, आपने गुजरात के नेता की कहानियां पढ़ी हैं, बहुत से डाकुओं का वर्णन उसमें किया गया है । राज्य-परिवर्तन के समय तीन चार बातें पैदा होती हैं, चाहे सौ वर्ष में ऐसी स्थिति आये चाहे २०० वर्षों में ऐसा राज्य परिवर्तन आये, जो उस परिवर्तन के चक्कर में आरहे हों, जो पहले लाभप्रद स्थिति में हों और उस स्थिति से हटा दिये जा रहे हों, जिन तत्वों का मूल उखाड़ा जा रहा हो, उन तत्वों में आक्रमण का भाव आयेगा और वे तत्व समाज में व्यापक रूप से आक्रमण, आंतक और भय का वातावरण उत्पन्न करने का प्रयत्न करेंगे । आखिर जो तत्व डकैती करने के लिये हमारे सामने आये वे इतिहास की बदलती परिस्थिति में हमारे सामने आये और ज्यों ज्यों राजस्थान में जनतन्त्रीय व्यवस्था सुदृढ़ होती गई उन तत्वों पर नियन्त्रण किया गया, जो राजकीय समस्याएं थीं उनका शांति से हल निकाला जा रहा है, वह जनतन्त्रीय व्यवस्था जितनी ही प्रभावशील होती जा रही है, उतने ही ये तत्व कम होते जा रहे हैं । राजस्थान में राजस्थान की जनता का जितना बौद्धिक विकास किया जायगा, जितना आत्म-विश्वास और निर्भयता राजस्थान की जनता में पैदा की जायगी, उतने ही ये जनता में भय पैदा करने वाले तत्व नियन्त्रण में लाये जा सकेंगे ।

राज्यपाल महोदय ने कहा कि डाकुओं के उत्पात की स्थिति पर सफलता पूर्वक राजस्थान सरकार ने नियन्त्रण किया है, इस कथन में अतिशयोक्ति नहीं है, किसी वास्तविकता को सदन के सामने नहीं रखने की नीति नहीं है, बड़ी हिम्मत से राज्यपाल महोदय ने कहा कि दुर्भाग्यवश राजस्थान में डाकुओं के उत्पात की कुछ घटनाएं हुई तो यह नैतिक साहसिकता का परिचायक है जो सही स्थिति थी उसे सदन को विश्वास में लाने के लिये कहा, राज्य का अध्यक्ष ईमानदारी से कोई सूचना सदन के सामने रखना चाहता है, नैतिक साहसिकता से सही सूचना सदन के सामने रखना चाहता है उससे उनके नेतृत्व में और जिस स्थान पर वे हैं, उसमें हमारा विश्वास बढ़ना चाहिये । जो बातें कहीं गई हैं उनको उसी दायरे में देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं । राज्यपाल महोदय ने कहा कि राजस्थान पुलिस की सुख-सुविधाओं में वृद्धि की गई, खुशी हुई पर कुछ मामलों में वृद्धि की गई, खुशी हुई पर; कुछ मामलों में भ्रष्टाचार को जोड़ कर के इसका एक तरह से विरोध किया गया । विरोध का भी कुछ फैशन हमारे देश में चल पड़ा है । फैशन बड़ी ललित बीमारी है । आपने देखा होगा कि यूरोप में और अमेरिका में और संसार में भारतीय साड़ियों का बड़ा प्रचार हो रहा है, वहां स्पूतनिक युग में नई बात भेजी । जब जनतन्त्र राजस्थान में हुआ तो कुछ बीमारियां फैशनेबल तरीके से आई, बड़े क्रांतिकारी और प्रगतिशील अभिव्यक्ति के करने की, यह फैशनेबल रोग है विरोध का, पर मैं निवेदन कर दूं माननीय उपाध्यक्ष, कि इनमें ज्यादा बढ़ने का यह फल होगा कि उनकी और हमारी मनोवृत्ति ही ऐसी ही हो जायगी । पुलिस में भ्रष्टाचार है, मैं कहता हूं सारे समाज में भ्रष्टाचार है, इसके लिये हमें

(श्री जनार्दनराय नागर)

दुःख है, इस तथ्य से किसने इन्कार किया है, इस तथ्य से राज्यपाल महोदय ने, सरकार ने इन्कार किया हो तो शिकायत-शिकवा की गुंजायश हो सकती है, पर इससे इन्कार नहीं किया गया। राज्यपाल महोदय ने इसे माना है, गत समय राज्यपाल महोदय ने कहा था कि भ्रष्टाचार का जड़ मूल से उन्मूलन करना है और जड़ मूल से इसके उन्मूलन के लिये एक विधि नियत की, एक स्पेशल इन्सपेक्टर जनरल ओफ पुलिस की नियुक्ति की, आज वह सारी प्रक्रिया चल रही है। उसकी क्या स्थिति है मुझे मालूम नहीं। पर गत वर्ष राज्यपाल महोदय ने कहा कि राजस्थान में भ्रष्टाचार को जड़मूल से उखाड़ने के लिये प्रयत्न जारी हैं। इसमें परिवर्तन नहीं हुआ हो, यह दूसरी बात है। राजस्थान सरकार ने इसके उन्मूलन के लिये एक वर्ष में जो प्रयत्न किये, उन एक साल के प्रयत्नों से संतोष नहीं है, मुझे भी संतोष नहीं है, यह मैं भी कहना चाहता हूं पर जितनी प्रगति होनी चाहिये वह नहीं हुई है इससे यह नहीं कहा जा सकता कि राजस्थान सरकार भ्रष्टाचार को मिटाने के मामले में पीछे जा रही है, भ्रष्टाचार को जड़ मूल से उन्मूलित करने के लिये एक सारा विभाग कायम किया जायगा यह पहले राज्यपाल महोदय ने कहा, इस इरादे के लिये यदि हम यह कहें कि राजस्थान सरकार भ्रष्टाचार को उन्मूलन करने के मामले में पीछे जाना चाहती है तो यह उचित नहीं होगा। इन प्रयत्नों से संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है तो यह कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार उन्मूलन करने के और तरीके अपनाने चाहिये। इसके लिये एक स्पेशल आई. जी. पी नियुक्त कर के, विभाग निर्माण करके समस्त राजस्थान में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, राजस्थान में भ्रष्टाचारी व्यक्ति हैं, सरकार के विभागों में भ्रष्टाचारी व्यक्ति हैं, उनमें फैले हुए भ्रष्टाचार को जड़मूल से उन्मूलित नहीं किया जा सके तो इससे यह कहना कहां तक उचित होगा कि हमारा भ्रष्टाचार के उन्मूलन की ओर ध्यान ही नहीं गया है।

मैं कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि आज भ्रष्टाचार हमारे समाज में है, उसका प्रतिबिम्ब राज्य सरकार के अन्दर भी मिलता है और उसका प्रतिबिम्ब हम में भी मिलता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं आपके द्वारा अपने मित्रों को कि यह भ्रष्टाचार का रोग सामाजिक रोग है, समाज में व्याप्त रोग है जो हमारे समाज के शरीर में घर कर गया है। उपाध्यक्ष महोदय, आज गांवों में जाइये, गाव के एक व्यक्ति से लेकर राज्य के एक व्यक्ति तक आपको यह मिलेगा। यह भ्रष्टाचार का रोग समाज के प्रतिष्ठानों के साथ, राज्य के प्रतिष्ठानों के साथ चारों ओर चक्कर काट रहा है। उन प्रतिष्ठानों में कमी बेशी में, कुछ मात्रा में यह मौजूद है। उपाध्यक्ष महोदय, एक बीमारी फैलती है। अभी इन्फ्ल्युएन्जे की बीमारी फैली; गांव गांव में फैली। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह राज्य सरकार ने पैदा की अथवा राज्यपाल ने पैदा की, क्या इसके कीटाणु फेंक दिये गये? यदि इन्फ्ल्युएन्जा की बीमारी समाज में आती है तो उसके लिए राज्य सरकार को दोष नहीं दे सकते, किन्तु राज्य सरकार से मांग करते हैं कि उस इन्फ्ल्युएन्जे की बीमारी को दूर करने का प्रयत्न करें और यदि उस ओर प्रयत्न हुए हैं तो सफलता मानते हैं। इस प्रकार से समाज में जो भी बीमारी घर कर जाती है उसके परम्परागत कारण होते हैं और उन परम्परागत कारणों की वजह से अदृश्य बीमारियां पैदा

(श्री जनार्दनराय नागर)

होती हैं और समाज में, उसके प्रतिष्ठानों में जो मानसिक बीमारियां पैदा होती हैं, उस सम्बन्ध में, मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये माननीय मित्रों का ध्यान खींचना चाहता हूं कि डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने एक पुस्तक लिखी है, वह माननीय मित्रों ने पढ़ी होगी, उन्होंने द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् जो मानसिक बीमारियां समाज में फैली हैं, समाजिक चेतना में फैली हैं, उस पुस्तक में उनका दिगदर्शन कराया है। उस पुस्तक का नाम है (अश्रव्य)

यह जो बीमारी फैली है वह केवल हमारे राष्ट्र में ही नहीं फैली है किन्तु दुनिया में, विश्व में, द्वितीय महायुद्ध के बाद विभिन्न रोग फैले हैं, उसमें इसका विश्लेषण किया है। मैं उसका सार आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने हमें इस पुस्तक द्वारा बताया है कि हमको यह पता लगा कि द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् विश्व एक दौर से गुजर रहा है और उस दौर में विश्व के वायुमंडल में ये बीमारियां पैदा हुईं और उनमें से ही यह एक भ्रष्टाचार की बीमारी निकली। डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपनी इस अत्यन्त प्रसिद्ध पुस्तक में लिखा है कि यदि विश्व के वायुमंडल में सबसे बड़ा कोई रोग पैदा हुआ है, जो समाज के लिए एक चिन्ता का विषय है, तो वह है मानसिक बेईमानी। इसके विश्व के वायुमंडल में चिन्ह मिलते हैं, इस महासंक्रामक बीमारी के चिन्ह लोगों के मस्तिष्क में मिलते हैं। उन्होंने लिखा है : "Inter honesty is the first vistory after the world war."

डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने यह बात कही है। हमको मानसिक बेईमानी का नज़ारा विश्व के चारों ओर मिलेगा। जब यह सामूहिक रूप से मस्तिष्क में फैल जाती है तो उससे अनेक छोटी मोटी बीमारियां पैदा हो जाती हैं और उनमें लोभ, लालच, भ्रष्टाचार ये सब आती हैं। लेकिन इसके लिए एक मनुष्य के मस्तिष्क में प्रक्रिया चल रही है वह क्या है? फौरन यह कहते हैं कि अमुक-अमुक व्यक्ति ने यह किया है, हम एक न्याय कर लेते हैं लेकिन हमको विपक्ष के प्रति भी न्याय करना चाहिए, क्या प्रक्रिया है, वह नहीं करते।

मैं कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस मानसिक प्रवृत्ति के कारण सारे भूमंडल में भ्रष्टाचार व्यापक रूप में फैला हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर बुराइयां हैं, एक महामारी हमारे राष्ट्र में भी फैल गई है। अच्छे से अच्छा व्यक्ति होगा तो उसमें भी कसूर मालूम होगा और वह यह कि मानसिक कोई न कोई बीमारी है, जो पारदर्शिक ईमानदारी होनी चाहिए उसकी उसमें कमी है। इस राष्ट्रीय महामारी को सामूहिक प्रयत्नों से ही दूर किया जाना चाहिए अन्यथा, मैं कहना चाहूंगा कि चाहे पांच आई. जी. पी. ही कायम कर लीजिये इस भ्रष्टाचार की महामारी को, जो चारों ओर आज प्रतिबिम्बित होती है जो चारों ओर चक्कर लगा रही है, समाज की जड़ों में, राज्य की मशीनरी में, लोगों के मस्तिष्क में फैली हुई है, वह केवल सरकारी मशीनरी से या केवल सरकारी निर्णयों से दूर नहीं कर पायेंगे। एक बात यह कही गई कि यदि विरोधी दल को एन्टीकरप्शन का विभाग दे दिया जाय तो यह बीमारी दूर हो जावेगी। मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूं, लेकिन यह हिम्मत ऐसी है कि यह चीज़ मिलने वाली नहीं है। चूंकि मिलती नहीं है, यह जो प्रवृत्ति है वह केवल वाणी का शौर्य है और यह बहुत ही जाना माना शौर्य है, उपाध्यक्ष महो

(श्री जनार्दनराय नागर)

दय । लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मेरे मित्रों के हौसले की पूरी दाद देते हुए कहना चाहता हूं कि यदि उनको एन्टीकरप्शन का कार्य दे दिया जाय तो वे स्वयम् थक जावेंगे । मेरे मित्रों को कल्पना नहीं है कि इस भ्रष्टाचार की जड़ें कहां कहां और किधर किधर व्याप्त हैं । इसकी कितनी गहराई है, कितना इसका रूप है, इन सारी बातों की ओर मित्रों ने ध्यान नहीं दिया है । एक नहीं, दस नहीं पच्चीसों पारदर्शी मनीषियों का कर्तव्य है कि समाज की जो मानसिक स्थिति है उसका विश्लेषण करें । आप यहां रोगों का जिक्र करते हैं, राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और जो थोड़ा बहुत समाज में काम करने की कोशिश करते हैं उनकी प्रवृत्ति इससे और कम हो जावेगी । लेकिन आज आप भी यह दावा नहीं कर सकते हैं कि एक जो व्यवस्था है इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए उस व्यवस्था को बदल कर दूसरी व्यवस्था ले आने पर भी वे तत्व उसमें नहीं आवेंगे । लेकिन यदि जिस समाज की नस में यह रोग फैला हुआ है, उस समाज से आप अलग हैं, उसके उस वायु मंडल से अलग हैं, उसकी प्रासंगिक हलचलों से अलग हैं ।समाज के आदमियों के साथ तारतम्य नहीं है, उनसे संबन्धित नहीं होते हैं तो मैं यह मान लेता हूं कि आप ईमानदारी ढांचा कायम कर रहे हैं । लेकिन यदि समाज के उसूलों के साथ एक मत हैं, उठते बैठते हैं तो आप यह मानते हैं कि जो बीमारी सारे समाज में व्यापक रूप से प्रतिविम्बित हो रही है, जो संक्रामक रोग भ्रष्टाचार का फैला हुआ है उसके प्रति आपका भी उत्तरदायित्व है, आप उससे अछूते नहीं हैं । यह सम्मिलित उत्तरदायित्व है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है कि वह सरकार की मदद करे । यह बीमारी कहीं भी हो, किसी स्तर पर हो, किसी कौने में हो, किसी चौराहे पर हो, किसी संस्था में हो, कहीं भी हो, उसको दूर करने का प्रत्येक नागरिक का उत्तरदायित्व है । लेकिन हम यह मानते हैं कि हमारी सामाजिक नैतिकता, हमारी ईमानदारी, हमारे प्रशासन की स्वच्छता और निर्णयों की अच्छाई एक एक बात इस भ्रष्टाचार के उन्मूलन की समस्या है । अगर इस रोग को नहीं हटाया जावेगा, सरकार से नहीं हटाया जावेगा, प्रशासन से नहीं हटाया जावेगा, समाज से नहीं हटाया जावेगा, जनता की संस्थाओं से नहीं हटाया जावेगा, तो यह भय और आशंकायें पैदा करता रहेगा । इसलिए मैं राज्यपाल महोदय के इस कथन से पूर्ण सहमत हूं कि राजस्थान से भ्रष्टाचार का उन्मूलन सरकार का एक मात्र मुख्य कर्तव्य है और उसके लिऐ सरकार कार्य कर रही है । सरकार को यह मौका देना चाहिए कि सरकार का वह कार्य पूरा हो । उसकी मदद करनी चाहिए । केवल यह कह देना कि इसमें कमी है, पूर्ण रूप से यह लागू नहीं हुआ है, प्रक्रिया सरकार ने बना कर नहीं दी है, यह मेल नहीं खाता है । और एक बात कही गई कि बम्बावाले साहब कायम हुए तब भी कुछ सामने आया नहीं है, दो तीन बातें सामने आयी हैं, वे आये तब से वातावरण का पता है । कुछ बातें नहीं आयी हैं हम यह मानते हैं । लेकिन कुछ हुआ ही नहीं है, यह कहां की दलील है । कुछ बातें नहीं आयीं तो वह मान कर चलें कि कुछ हुआ ही नहीं और इस तरीके की जो मान्यता है वह केवल ख्याली मान्यता है । भ्रष्टाचार की समस्या को निपटाने का उपाय गत वर्ष किया था । ऐसी बातें आयीं हैं कि जो प्रकट में

(श्री जनार्दनराय नागर)

लायी नहीं जा सकती हैं। सामाजिक नीति की दृष्टि से और राज्य के लक्ष्य को पूरा करने दृष्टि से एवं प्रशासनिक दृष्टि से।

मैं यह मानता हूं कि अगर यह कहा जाय कि भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये पहले सरकार जागरूक थी और आज नहीं यह मान्यता गलत है।

४.५१. म० प०

मैं समझता हूं हमारे सदन में व्यक्तिगत बातों को लाने की परम्परा बढ़ती जा रही है। ठीक है, व्यक्तिगत बातें लाने से किसी को आत्म सन्तोष होता हो तो उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। आत्म सन्तोष प्राप्त करने के और भी तरीके हैं, दूसरों की खामियों को, विवशताओं को और अभावों को सामने लाकर भी आत्म सन्तोष प्राप्त किया जा सकता है। मैं उन माननीय सदस्य की इज्जत करता हूं, मैं उनसे यह अपेक्षा करता हूं कि वे राजस्थान के विकास के लिये हम लोगों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर काम करें, उनका जो आत्म सन्तोष करने का तरीका है वह बहुत छोटा है। उन्होंने सदन में एक कागज का जिक्र किया, उस पत्र के बारे में मैं कुछ स्पष्टीकरण करना चाहूंगा; वह पत्र मेरे एक मित्र श्री रोशनलाल को लिखा गया था उस समय मैं जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था। मैं यह कह सकता हूं कि वह पत्र रोशनलाल शर्मा को मिला ही नहीं, अगर वह पत्र मिला होता तो उसकी जानकारी मुझे भी रहती। उस कागज पर कोई कार्यवाही नहीं हुई और जिस मामले को लेकर पत्र लिखा गया था उसका फैसला भी उसी तरह से नहीं हुआ; यह तो सरकार बतायेगी कि वह फैसला किस तरह से हुआ। जो कागज सन् ५३ में लिखा गया था वह चार, साढ़े चार साल बाद सदन में उपस्थित किया जाता है....

एक माननीय सदस्य : यह पत्र लिखा गया या नहीं ?

श्री जनार्दनराय नागर : लगातार चार वर्ष से यह कागज मेरे मित्र के जेब में घूमता चला आ रहा है, इस बीच में यह कांग्रेस के बड़े नेताओं के पास भी गया, लेकिन किसी ने भी इस बात के लिये परेशानी पैदा नहीं की, लेकिन जिन मेरे मित्र ने इस पत्र को यहां प्रस्तुत किया उन्होंने चार साल बाद इसको सदन के सामने कैसे रखा ? ये चीजे ऐसी हैं जिनको रखकर आकर्षण पैदा किया जा सकता है, अखबारों में उनके चित्र छापे जा सकते हैं, उसमें उनका उल्लेख जरूर होगा, लेकिन मैं उन माननीय मित्र से इतना जरूर कहना चाहूंगा कि उनका उद्देश्य, उनके इरादे जायज हो सकते हैं लेकिन एक बात जरूर है इससे राज्य की भलाई नहीं हो सकती, यहां उनको कोई भी बात रखने की स्वतंत्रता है, वे उस स्वतंत्रता का चाहे जिस तरह से उपभोग करें। मैं यह मानता हूं कि जिन माननीय सदस्य ने यह पत्र रखा वे यह सोचते हैं कि वे जिस चीज का प्रतिपादन करते हैं वे ठीक है वही सब के लिये मान्य हो तो मैं मेरे मित्र को मुबारिकबादी देना चाहता हूं कि जितना पारंगत वे अपने आपको समझते है उसका फायदा सबको उठाने दे। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं जिसका इससे सम्बन्ध नहीं है, पत्र जिन्होंने रखा है वे इसको रखकर सन्तोष अनुभव कर सकते हैं और राज्यपाल महोदय के भाषण पर बोलते हुए वे दिलचस्पी पैदा कर सकते हैं, लेकिन जहां तक मेरा खयाल है माननीय मित्र अन्य भी महत्वपूर्ण विषय ये

(श्री जनार्दनराय नागर)

राज्यपाल महोदय के भाषण में उन पर भी प्रकाश डालते । जिस जरिये से यह पत्र माननीय मित्र को मिला उसकी पृष्ठ भूमि का मुझे पता है ।

श्री भैरोंसिंह : मैं माननीय मित्र से चाहूंगा कि वह ज़रिया सदन में बताया जाय ।

श्री जनार्दनराय नागर : ज़रिया मैं बताना नहीं चाहता ।

श्री भैरोंसिंह : अगर आपको गलत सूचना हो तो मैं करेक्ट कर दूं ।

श्री जनार्दनराय नागर : यह जरूर है कि वह आपको भेजा गया है ।

श्री भैरोंसिंह : पत्र तो भेजा हुआ ही आता है और पोस्ट से भेजना पड़ेगा ।

श्री जनार्दनराय नागर : यह कागज चार साल पहले का लिखा हुआ है इससे इन्कार नहीं किया जा सकता, लेकिन यह जरूर है कि जिस को यह लिखा गया था उसको यह पत्र मिला नहीं है और उसके अनुसार कार्यवाही भी नहीं हुई है ।

एक माननीय सदस्य : उस कागज के कारण ही तो उन माननीय सदस्य को टिकिट नहीं मिला ।

श्री जनार्दनराय नागर : (जारी रखते हुए) वह कागज तो उड़ाया गया उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस वक्त उस जरिये को प्रकाश में लाना नहीं चाहता । जो कागज कल सदन में पेश किया गया वह चार साल से चक्कर लगा रहा है । वैसे मैं उन माननीय सदस्य की व्यक्तिशः इज्जत करता हूं और उनसे आशा करता हूं कि व्यक्तिशः ऊपर उठकर वे यह सोचें कि जो चीजें वे सदन के सामने रख रहे हैं उसमें वजन कितना है, उसमें सच्चाई कितनी है, अगर वे इस पत्र के बारे में मुझ से पूछ भी लेते तो मैं उनका निराकरण कर देता । मेरी यह मान्यता है कि इस प्रकार की बातें सदन में नहीं लायी जाय तो अच्छा है । हमारे राज्य की क्या नीति है, राज्य के विकास की क्या प्रवृत्तियां हैं, उस ओर अपना ध्यान केन्द्रीभूत करते हैं तो हम राज्य के विकास में सही मायने में योग देते हैं ।

पंचायतों के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा; मैं मानता हूं कि पंचायतों को स्वायत्त शासन देने की ओर राज्य सरकार की प्रवृति रही है, उसी तरह से राज्यपाल महोदय ने तीन बातों का उल्लेख किया है, उसमें पहली बात यह है भू-राजस्व के ३० प्रतिशत से ज्यादा राशि पंचायतों को सहायतार्थ अनुदान के रूप में दे दी गई जिससे उनके नियन्त्रण में रखी गई राजस्व राशि में पर्याप्त वृद्धि हुई है । उसके अलावा पंचायतों के पंचों, सरपंचों व सचिवों के प्रशिक्षण के लिये व्यवस्था की है । और तीसरी बात बलवन्तराय कमेटी की सिफारिशों पर भी सरकार गंभीरता पूर्वक विचार कर रही है । इससे यह साफ प्रतीत होता है कि सरकार पंचायतों को शक्ति देना चाहती है । इससे राजस्थान सरकार स्वायत्त शासन संस्थाओं को प्रगतिशील और जनतांत्रिक तौर से अधिक से अधिक सत्ता देने की ओर बढ़ रही है ।

हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है वह है शिक्षा के प्रयोग के संबन्ध में । शिक्षा के प्रयोग की मनोवृत्ति समझ में नहीं आ रही है यह हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है । शिक्षा के क्षेत्र में जो अधिकारी हैं वे पूंजीवादी नीति से चलते हैं, वे किस बात का प्रयोग करना चाहते हैं यह

(श्री जनार्दनराय नागर)

मुझे पता नहीं। समस्त इतिहास में आज हम देख रहे हैं कि ४० करोड़ जनता का चक्रवर्ति राज्य हमने कायम किया है, वह भी वयस्क मताधिकार देकर, वहां तो हमने प्रयोग नहीं किया। वयस्क मताधिकार अगर हम देते हैं तो इसके मायने यह हैं कि एक साथ वयस्क मताधिकार देते हैं। आज जो राज्य का ढांचा है वह वयस्क मताधिकार के आधार पर बना है लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में हमारी प्रयोगवादी मनोवृत्ति रही है, मेरा ऐसा निवेदन है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रयोगवादी मनोवृति रही है वह जानी चाहिये। जहां हम जनता को शक्ति देने की बातें करते हैं लेकिन वहां शिक्षा के क्षेत्र में जो मनोवृत्ति अपनायी जा रही है उससे मेरा मेल नहीं बैठता।

जनता की संस्थाओं को शक्ति देने में विचार करना चाहते हैं इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं यह जो पुरानी मनोवृत्ति हमारे समाज में चली आ रही है उसको हमें त्यागना पड़ेगा; आज भारतीय समाज जिस स्थिति में चल रहा है, शायद बहुत जल्दी ही समस्त राज्य की प्रक्रियाओं को हमें जनता को सौंपना पड़ेगा। इसी बिना पर तो हम स्फुटनिक युग तक पहुचे हैं। आप चायना के उद्भव को देखिये, एशिया की जनक्रान्ति को देखिये, आज एशिया पर सारे संसार की आखें लगी हुई हैं, यह सब, उपाध्यक्ष महोदय, जनक्रान्ति के साथ जनसत्ता का विनियोग जनता के साथ होता गया है इसलिए संभव हो पाया है। जहां तक पंचायतों के शक्तिशाली करने का सवाल आता है वहां हमें नाडी परीक्षण की आयुर्वेदिक मनोवृति को छोड़ना पडेगा और जनता पर ज्यादा विश्वास करके जनता को ज्यादा से ज्यादा अधिकार देने होंगे।

श्री श्रीभानसिंह : It is five now.

श्री उपाध्यक्ष : Half a minute more in five.

Are you going to conclude it to day or will you continue tomo-rrow ?

श्री जनार्दनराय नागर: Will continue. I am going to.......

श्री उपाध्यक्ष : My point is whether you have concluded or will continue.

श्री जनार्दनराय नागर : No, Sir, I have just begun.

श्री उपाध्यक्ष : We then adjourn to meet tomorrow at 11-00 a. m.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ५ म. प. दिनांक १३ फरवरी, १६५८ के म० पू० ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई)

संक्षिप्त विवरण

(बुधवार, १२ फरवरी, १९५८)

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर २९९

भवन निर्माण (सिंचाई विभाग) उनियारा।

अनाज उत्पादन में वृद्धि हेतु किये गये प्रयत्न।

वनों का सीमा निर्धारण।

सिंचाई योजना।

जिला बोर्ड द्वारा औषधि वितरण।

"किसान समाचार" का वितरण।

लाउडस्पीकरों का दुरुपयोग।

निर्वाचन ग्राम पंचायत।

जयपुर–कोटा बस सर्विस।

पंचायतों के अपील केस।

यातायात व आवागमन की समुचित व्यवस्था।

बिजली घरों की स्थापना।

सिटी–बस सर्विस, जयपुर।

विद्युत व्यवस्था, केकड़ी।

सहकारी केन्द्रीय फेडरेशन, नागौर।

जल बोर्ड।

जवाई बांध।

डकैतियां व चोरियां।

जमीन पर अनधिकारपूर्ण अधिवास

सेन्ट्रल कोआपरेटिव फेडरेशन, जोधपुर इन्जीनियर्स की नियुक्तियां।

अनाज की उपज बढ़ाने की व्यवस्था।

इन्चार्ज विद्युत विभाग, दौसा के विरुद्ध आवेदन।

स्कम्भ

पशुओं के लिए अच्छे चारे की व्यवस्था।

जवाई केनाल से पानी का न दिया जाना।

पशु चिकित्सालय।

राजयक्ष्मा से पीड़ित कर्मचारियों को चिकित्सा सम्बन्धी सहायता।

सड़क निर्माण।

उप-संचालक, सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय की नियुक्ति।

पुलिस स्टेशन भवन का निर्माण।

सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय में गजेटेड अधिकारियों की नियुक्तियां।

नगरपालिका अध्यक्ष, रतनगढ़ के विरुद्ध की गई शिकायतों की जांच।

अधिनियमों का पुस्तकाकार प्रकाशन।

रतनगढ़ के दक्षिण द्वार का अध्यक्ष नगरपालिका द्वारा तुड़वाया जाना।

यातायात सुविधा।

अनुपस्थिति के लिये अनुमति ३२८

निम्नांकित सदस्यों को सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई :—

नाम अनुपस्थित रहने की तिथियां

(१) श्री अनोपसिंह १० व ११ फरवरी, १९५८।

(२) श्री बृजेन्द्रपाल १० से २५ फरवरी, १९५८।

स्कम्भ

बाड़मेर नगर अस्पताल सम्बन्धी वक्तव्य ३२६

बाड़मेर नगर के अस्पताल की दुर्व्यवस्था से सम्बन्धित श्री जगदीशप्रसाद माथुर के स्थगन प्रस्ताव के बारे में आज सरकार की ओर से श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, ने एक वक्तव्य दिया।

अभिभाषण से पूर्व प्रतियां वितरण सम्बन्धी विशेषाधिकार का प्रश्न ३३५

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पूर्व उनके अभिभाषण की प्रतियां उपलब्ध किये जाने के बारे में श्री श्रीभानसिंह तथा श्री भैरोंसिंह (१४) के विशेषाधिकार प्रश्न की सूचनाओं के सम्बन्ध में आज श्री सूर्यस्वरूप माथुर, उप-सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, द्वारा लिखित में दी गई क्षमा याचना अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में पढ़ी गई जिसके फलस्वरूप इस प्रश्न को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गई।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र ३४७

श्री नाथूराम मिर्धा, यातायात मन्त्री, ने मोटर विहिकल्स एक्ट, १६३६ की धारा १३३ (३) के अन्तर्गत निम्नांकित विज्ञप्तियां सदन की मेज पर रखीं :—

(क) गृह विभाग (बी) विज्ञप्ति संख्या डी. ६७६६. एफ. १६ (१४) (१३) एच. बी. । ५६, दिनांक १७ जून, १६५७, जिसके द्वारा राजस्थान मोटर विहिकल्स रूल्स, १६५१ के नियम ६६ (जे) में संशोधन किया गया।

स्कम्भ

(ख) गृह विभाग (बी) विज्ञप्ति संख्या डी. ६०८६ एफ. १६ . (४) (१५) एच. बी. । ५६, दिनांक ७ अगस्त, १६५७, जिसके द्वारा राजस्थान मोटर विहिकल्स रूल्स, १६५१ के नियम १२१ में संशोधन किया गया।

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिए समय की वृद्धि ३४८

श्री पूनमचन्द बिश्नोई, सभापति, प्रवर समिति के प्रस्ताव पर राजस्थान नगर-सुधार-विधेयक, १६५७ पर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के हेतु नियत समय को मार्च, १६५८ के अन्तिम सप्ताह तक बढ़ा दिया गया।

विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिए समय की वृद्धि तथा इस समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री भैरोंसिंह (खेजरला), सभापति, विशेषाधिकार समिति, के प्रस्ताव पर, श्री जगदीशप्रसाद माथुर, सदस्य विधान सभा, द्वारा उठाये गये प्रश्न पर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के हेतु नियत समय को वर्तमान सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया गया।

तत्पश्चात् श्री भैरोंसिंह द्वारा समिति का प्रतिवेदन भी उपस्थित किया गया।

राज्यपाल महोदय के अभि-भाषण पर वाद-विवाद ३५०

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर श्री भोलानाथ द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव पर वाद-विवाद आज भी जारी रहा। वाद-विवाद में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया :—

(१) श्री पी. के. चौधरी

(२) श्री श्रीभानसिंह

(३) श्री तनसिंह

(४) श्री मुरलीधर व्यास

(५) श्री मदनसिंह दांता

(६) श्री जनार्दनराय नागर

श्री जनार्दनराय नागर का भाषण जारी था कि सभा की बैठक स्थगित हो गई।

वृहस्पतिवार, दिनांक १३-२-१६५८ की कार्य-सूची

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद-विवाद।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ५४ का उत्तर देखिये)

जिला	मंत्री का नाम		वेतन
१. जयपुर	श्री अमेद्दमदत्त शास्त्री	१-५-५५	१५० रुपये
२. सवाई माधोपुर	श्री सांवरमल शर्मा	१-५-५५	१५० रुपये
३. झुन्झुनू	श्री भागीरथ स्वामी	१-५-५५	१५० रुपये
४. अलवर	श्री भवानीसिंह	२६-४-५५	१५० रुपये
	श्री रामजीलाल अग्रवाल	१-४-५७	ऑनरेरी
५. सीकर	श्री सांवरमल मोर	१-५-५५	१५० रुपये
६. भरतपुर	श्री देवकीनन्दन वैद्य	१-५-५५	१५० रुपये
७. टोंक	श्री महेन्द्रकुमार जैन	८-५-५५	१०० रुपये
८. जोधपुर	श्री मीठालाल त्रिवेदी	१-५-५५	ऑनरेरी
९. जैसलमेर	श्री लीलाधर व्यास	१-५-५५	१५० रुपये
१०. बाड़मेर	श्री देवदत्त तिवाड़ी	१-५-५५	१२५ रुपये
११. जालोर	श्री रिखबचन्द शाह	१-५-५५	१५० रुपये
१२. सिरोही	श्री रिखबचन्द शाह	१-५-५५	१५० रुपये
१३. पाली	श्री शंकरलाल	१-५-५५	ऑनरेरी
	श्री माणिकलाल माथुर	१-२-५७	ऑनरेरी
१४. नागोर	श्री बृजमोहन दूत	१-१२-५५	१७५ रुपये
१५. कोटा	श्री रतनलाल सोठाणी	१-११-५५	१५० रुपये
१६. झालावाड़	श्री प्रभुलाल सेन्टर	१-५-५५	१५० रुपये
	श्री गौरीशंकर मुनीम	१-५-५७	ऑनरेरी
१७. बूंदी	श्री भंवरलाल शर्मा	१-५-५५	१५० रुपये
	श्री पुरुषोत्तम तुलस्यान	१-३-५७	१२५ रुपये
१८. उदयपुर	श्री किशनलाल शर्मा	१-३-५५	१०० रुपये
	श्री सीताराम शर्मा	१-३-५७	१५० रुपये
१९. बांसवाडा	श्री मूलजी भाई	१-५-५५	ऑनरेरी
		१-३-५७	१५० रुपये
२०. डूंगरपुर	श्री गौरीशंकर उपाध्याय	१-१-५५	ऑनरेरी
२१. भीलवाडा	श्री भंवरलाल मदादा	१-५-५५	ऑनरेरी
	श्री बद्रीनारायण गोस्वामी	१-६-५६	१५० रुपये
२२. चित्तौड़गढ़	श्री इन्द्रदेव	१-५-५५	१५० रुपये
२३. बीकानेर	श्री बालचन्द खडगावत	१-५-५५	१०० रुपये
	श्री गोविन्दनारायण शर्मा	१-८-५७	ऑनरेरी
२४. गंगानगर	श्री हंसराय आर्य	१-५-५५	ऑनरेरी
२५. चूरू	श्री कन्हैयालाल सेठिया	१-५-५५	ऑनरेरी
	श्री जयदेव इन्दोरिया	१-८-५७	ऑनरेरी

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ६१ का उत्तर देखिये)

'A'

Statement Showing the targets and achievements of the Second Five year Plan Scheme 1-4-57 up to December, 1957.

SL. No. Name of the Scheme	Targets (1957-58)	Achievement upto December, 1957.	Remarks.
1. MINOR IRRIGATION.			
(a) Construction of wells.	2,100 Nos.	1941 Nos.	
(b) Deepening of wells.	2,000 "	1649 "	
(c) Development of Village tanks.	1C0 "—	8 "	
2. AGRICULTURE MACHINERY.			
(a) Installation of Pumping sets.	176 "	49 "	
(b) Installation of Persian wheel.	300 "	88 "	
3. LAND DEVELOPMENT.			
(a) Land reclamation.	20,000 Acres.	19,038 Acres.	
4. DISTRIBUTION OF FERTILISERS.			
(a) Ammonium Sulphate.	7,C00 Tons.	2,975 Tons.	
(b) Superphosphate.	600 Tons.	220 Tons.	
(c) Green Manuring.	9,500 Acres.	1,012 Acres.	
5. COMPOST. DEVELOPNMENTS.			
(a) Pits dug.		28,589 Nos.	
(b) Compost distribution.		2,67,408 Tons.	
(c) Compost prepared.	1.6 Lakh Tons.	2,82,363 Tons.	
6. FRUIT DEVELOPMENT.	2,500 Acres.	1,12,844 Plants.	
7. COTTON EXTENSION.			

Seed distributed.	21,216 Mds.	14,794 Mds.
8. PLANT PROTECTION.		
(a) Control of Grass Hopper.	1,00,000 Acres.	2,678 Acres.
(b) Control of Rate.	3,00,000 ,,	1,58.441 Acres& 49 Stores
(c) Control Pets and other diseases	,, ,,	7.489 Acres.
(d) Field crops.	70,000 ,,	59,089 Acres.
(e) Vegetables.	10,000 ,,	22,719 Acres.
(f) Fruit trees.	60,000 Trees.	1,99,704 Trees.
(g) Seed Treatment.	6,000 Mds.	1 97,283 Mds.
(h) Store fumigation.	150 Stores.	3,537
(i) Food Control.	2,000 Acres.	3,640
(j) Wheat pest control.	5,000 Acres.	1,100
9. SUGARCANE DEVELOP MENT SCHEME.		
Seed distributed.	30,000 Mds.	11,406 Mds.
10. SOIL CONSERVATION.	Targets not fixed	8,762 Acres.
11. SEED SCHEME.		
(a) Seed Stores.	94 Stores.	70 Seed Stores in progress
(b) Multiplication Farms.	24 Farms	12 Farms started.
(c) Seed distribution.	3,00 Lakh Mds.	1.50 Lakh Mds.

'B'

TARGETS OF FOOD PRODUCTION AND ACHIEVEMENT IN 1956-57 IN RAJASTHAN.

Name of the Scheme	Targets Unit.	Targets Items	Area to be benefitted.	Additional Production.	Achievements. Items	Achievements. Area benefitted in lakh acres.	Additional production	REMARKS.
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Irrigation from works	Lakh Acres.	-	1.320	33,000	-	0.060	1,500	
2. MINOR IRRIGATION.								
(i) Construction of wells	No.	5,000	0.150	3,750	6,881	0.206	5,150	
(ii) Deepening of wells.	No.	2,000	0.012	500	3,938	0.040	1,000	
(iii) Tubewells.	No.	Nil	-	-	7	0.001	25	
(iv) Development of village tanks.	No.	100	0.010	250	64	0.006	150	
			1,492	37.500		0.313	7,825	
3. Agricultural Mechinery.								
(i) Pumping sets.	No.	80	0.005	125	65	0.002	75	
(ii) Persian Wheels.	No.	300			92	0.001		
			0.400	4,000		0.338	4,180	
4. LAND IMPROVEMENT.								
5. SEED DISTRIBUTION AND SATURATION OF AREA	Lakh md.	1.050	2.500	4,000	1.80	3.00	9,000	
6. MANURES & FERTILIZERS								
(i) Ammonium sulphate.	Tons.	3,000	-	8,200	3,000	0,750	9,200	
(ii) Superphosphate.	Tons.	300	-	600	150	0.037	325	
(iii) Compost.	Lakh tons	0.75		1,800	0.80	0.266	2,426	
				10.600			10,931	
7. GENERAL IMPROVEMENT IN CULTURAL PRACTICES.	-do-		1,000	5,000		0.88	8.800	
				61,225			40,831	

K. G. Saxena.

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण, बुधवार, १२ फरवरी, १९५८)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
२७१	८	गिरती हैं ती अनाज	गिरती हैं तो अनाज
२९१	११	निम्नलिखित मागों पर :	निम्नलिखित मार्गों पर :
,,	१९	अन्य मागों पर बस	अन्य मार्गों पर बस
,,	२५	जिन मागों पर बस	जिन मार्गों पर बस
२९२	१६	जहां तक पमिट	जहां तक पर्मिट
२९३	अन्तिमसे ५वीं	प्राप्त नसीं हुआ)	प्राप्त नहीं हुआ)
२९९	७	फीट में से केवले ११,५०० फीट	फीट में से केवल ११,५०० फीट
३१२	११	आपने जो सूचना ती है	आपने जो सूचना दी है
,,	१२	हे जो सूचना दी	से जो सूचना दी
३१७	६	Directotr for	Director for
३२३	१२	आप लोकल बोडीज़	ऑफ लोकल बोडीज़
३२६	५	तदन्तर ऐसे संग्रह	तदनन्तर ऐसे संग्रह
३२८	१२-१३	(श्री नाथराम मिर्धा)	(श्री नाथूराम मिर्धा)
,,	३३	बडा सफाखाना	बड़ा सफाखाना में
३३०	१५	एम्भुलेन्स की	एम्बुलेन्स की
३३६	अन्तिमसे ६ठी	श्री भैंरोंसिंह	श्री भैरोंसिंह
३४०	३	पर कुठाराघात होता है	पर कुठाराघात होता है
,,	११	Sub section 3 of Section 133 of the	Sub-section (3) of Section 133 of the
,,	१७	parliament of the legislature	Parliament or the legislature
३४२	१५	हूं कि सत्र-सेक्शन	हूं कि इस सत्र-सेक्शन
३५१	३	नैं आपको	मैं आपको
,,	२४-२५	Consesquences	Consequences
३५२	१५	कोन्स्टिटुएन्सी सांभर	कोन्स्टिटुएन्सी सांभर
३५९	१८	peacealy andb	peaceably and
३६३	अन्तिम पंक्ति	युतियन में	यूनियन में
३६४-३६५	शीर्ष पंक्ति	– १२ फरवरी, ५७	–१२ फरवरी, ५८ –
३६६	१८	टेकनीकल रिकल	टैक्नीकल स्किल
,,	२१	जमकर बैठे हैं ससी।	जमकर बैठे हैं सभी।
३६८-३६९	शीर्ष पंक्ति	–१२ फरवरी, ५७ –	– १२ फरवरी, ५८ –
३७४	२७ २८	Legislatiure the	Legislature the

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
३७५	अन्तिम पंक्ति	Departme है s,	Departments,
३८०	१०	and tuned them	and turned them
३८४	२६	Cohtinue to be	Continue to be
,,	३२	when yeu take	when you take
३८६	१५	the peple many	the people many
३८६	१४	The childeren of the	The children of the
४१२	२२	रेतीला टुकाड़ा है	रेतीला टुकड़ा है
४१४	१३	मंत्री जी किसी भी व्यक्ति	मंत्री जी किसी भी व्यक्ति
४१६	अन्तिम पंक्ति	आधार पर भमिहीनों ने	आधार पर भूमिहीनों ने
४२५	१२	आ जाएं ती वे	आ जाएं तो वे
,,	१६	पब्लिक सविस	पब्लिक सर्विस
४२६	१६	मन्नु बाब	मन्नू बाबू
४३३	२०-२१	उसको चाहिये कि जिप्सम उत्पातन का	उसको चाहिये कि जिप्सम उत्पादन का
४३५	अन्तिमसे ४थी	उनका ट्रान्सफरर्स	उनके ट्रान्सफर्स
४३६	अन्तिम पंक्ति	यदि पछा जाय	यदि पूछा जाय
४४२	अन्तिमसे २री व ३ री	Self praise is on recommendation	Self praise is no recommendation
४४६	२	ने बाघला और बनाथला	भैरोंसिंहजी ने बाघला और बनाथला
४५०-४५१	शीर्ष पंक्ति	– १२ नवम्बर, ५८ –	– १२ फरवरी, ५८ –
४६६	अन्तिमसे ४थी	,न वह उपयुक्त है ।	, वह उपयुक्त है ।
,,	अन्तिम से ३री	हीं हमारे देश में	नहीं हमारे देश में
४७८	अन्तिमसे ४थी	the first vistory after	the first visitory after